FOR REFERNCE ONLY.

चतुर्दश माला, खंड 3, अंक 15

शुक्रवार, 23 जुलाई, 2004
1 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No......57..........
Dated......18/2/05......

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)

अंक 15, शुक्रवार 23 जुलाई, 2004/1 श्रावण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	1
सभा के समक्ष कार्य के बारे में	1-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	3-32
तारांकित प्रश्न संख्या 262 से 281	32-248
अतारांकित प्रश्न संख्या 2276 से 2451	32-248
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
सभा की कार्यवाही में व्यवधान	249
सभा पटल पर रखे गए पत्र	249-262
राज्य सभा से संदेश	263-264
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	264
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	265
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	266-270
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	271-272
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	271-272

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 23 जुलाई, 2004/1 श्रावण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को हमारे सहयोगी श्री जंग बहादुर सिंह पटेल के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल, वर्ष 1996 से 1999 तक ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय संसदविद् श्री पटेल वर्ष 1996-97 के दौरान वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1998-1999 के दौरान उन्होंने परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति तथा पर्यटन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

व्यवसाय से कृषक और अधिवक्ता श्री पटेल एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थे। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर और डा. राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों से प्रेरित होकर, श्री पटेल ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया था। वे वर्ष 1979 से 1984 तक दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के सदस्य रहे। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल का निधन 18 जुलाई, 2004 को 57 वर्ष की आयु में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित कर करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

पूर्वाह्न 11.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा के समक्ष कार्य के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल प्रारंभ होने से पहले मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्यो, प्रश्न काल प्रारंभ करने से पूर्व मैं एक बार पुन: आप सभी और विशेषकर सभा में सभी पक्षों के माननीय नेताओं से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने के लिए नम्र निवेदन करता हूं ताकि वह इस महती सभा के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में अपने भारी दायित्वों और कृत्यों का निर्वहन कर सके। हालांकि मैं व्यथित हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान सभा में जो कुछ हुआ है उसे मैं भूल जाना चाहता हूं।

आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जानी है। इराक में हमारे नागरिकों को बंधक बनाए जाने के मुद्दे, देश में बाढ़ और सूखे की गंभीर स्थिति से संबंधित मुद्दे, पिछड़े जिलों की समस्याओं और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जानी बाकी है...और मुझे विश्वास है...

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली): महोदय, माननीय विपक्ष के नेता कुछ निवेदन करना चाहते हैं। कृपया उनकी बात सुनने का कष्ट करें...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): आप यहां तक कि अध्यक्ष महोदय को भी अपनी टिप्पणी पूरी करने से रोक रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है...*(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: हम जानते हैं कि इन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। *लेकिन उन्हें विपक्ष के नेता की बात सुननी चाहिए। वह कुछ कहना चाहते हैं*...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): जब अध्यक्ष महोदय टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आप लोगों की हद हो गयी।...*(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: लीडर ऑफ दि अपोजीशन कुछ कहना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि पहले मैं बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: आप स्पीकर साहब को बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप अध्यक्ष महोदय को भी अपनी टिप्पणी पूरी करने से रोक रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कोई तो लिमिट होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: *वह उपदेश दे रहे हैं*...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): क्या माननीय अध्यक्ष को भी नहीं बोलने दिया जायेगा?...*(व्यवधान)*

*...*श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा दिनांक 16.8.2004 को प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा की ओर से उनके द्वारा की गई इन टिप्पणियों को वापस लिया गया। तद्नुसार, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा की गई टिप्पणियों को वापस लिया माना गया।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: हम स्पीकर साहब को इन्टरप्ट नहीं करने देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब माननीय अध्यक्ष को बोलने से रोका जा रहा है...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चीन से रेशम की तस्करी

***262. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:**

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन से देश में भारी मात्रा में रेशम की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में रेशम की तस्करी हुई;

(ग) इस अवैध गतिविधि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेशम की इस तस्करी से देश में रेशम कीटपालकों के हितों पर कुप्रभाव पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रेशम कीट पालन के विकास के लिए राज्य-वार कितनी राशि निर्धारित की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) चीन से शुरू होकर मुख्य रूप से नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से देश में अवैध रूप से कच्चे रेशम के आने की सूचनाएं हैं। ऐसे रेशम के मूल्य और मात्रा के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं हो सकती। तथापि, शहतूती कच्चे रेशम की 25,000 मी.ट. प्रति वर्ष की अनुमानित मांग और 13930 मी.ट. (अनंतिम) (2003-04) के घरेलू उत्पादन के माध्यम से आपूर्ति तथा 9616 मी.ट. (अनंतिम) (2003-04) के उदारीकृत आयात के अनुसार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बहुत ज्यादा नहीं है।

(ग) आयात का उदारीकरण किया गया है और सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। रेशम सामानों की मांग को पूरा करने के लिए आयात में वृद्धि करने वाले आयात शुल्क कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा, तस्करी की रोकथाम से संबंधित राजस्व आसूचना निदेशालय के सभी एकक रेशम की तस्करी रोकने के लिए कड़ी नजर रख रहे हैं और पूरे प्रयास कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) रेशम के अवैध आयात से किसानों और निम्न स्तर के प्रसंस्करणकर्ताओं को नुकसान पहुंच सकता है और वे अपने उत्पादों के लिए उचित कीमतों से वंचित रह सकते हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेशम उत्पादन विकास के लिए आवंटित कुल योजना निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
योजना निधि	89.77	89.29	89.68

रेशम उत्पादन के विकास के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें प्रमुख योजना उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) के अंतर्गत जारी/खर्च की गयी राज्य-वार और वर्ष-वार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) के अंतर्गत जारी/खर्च की गयी राज्य-वार और वर्ष-वार निधियों का ब्यौरा

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य का नाम	के दौरान जारी/खर्च की गयी निधियां		
		2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	650.51	1506.5	764.24
2.	तमिलनाडु	132.28	62.32	152.33
3.	जम्मू-कश्मीर	71.90	260.14	313.61
4.	आंध्र प्रदेश	350.53	1505.86	878.68
5.	पं. बंगाल	101.92	65.41	48.47
6.	महाराष्ट्र	67.73	92.22	104.47
7.	मध्य प्रदेश	31.57	52.59	76.17
8.	उड़ीसा	48.74	50.62	81.04
9.	बिहार	7.00	106.27	38.30
10.	झारखंड	8.09	103.35	83.77
11.	उत्तर प्रदेश	52.03	22.86	52.91

1	2	3	4	5
12.	उत्तरांचल	22.72	213.41	112.29
13.	केरल	19.23	38.49	82.30
14.	गुजरात	0.05	—	—
15.	पंजाब	3.50	—	—
16.	हरियाणा	—	—	—
17.	हिमाचल प्रदेश	—	1.45	349.62
18.	राजस्थान	—	—	—
19.	छत्तीसगढ़	—	12.13	125.23
20.	सिक्किम	3.25	15.16	16.45
21.	असम	164.87	119.03	315.28
22.	अरुणाचल प्रदेश	12.03	2.62	48.79
23.	मणिपुर	—	0.05	24.00
24.	मेघालय	72.98	33.11	87.39
25.	मिजोरम	39.27	84.49	106.97
26.	नागालैंड	22.82	2.49	32.31
27.	त्रिपुरा	45.42	36.56	28.01
	कुल	1928.44	4386.68	3922.63

विदेशी निवेशक

***263. श्री उदय सिंह:**

श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 2004 के 'हिन्दू' समाचार पत्र में "सिक्यूरिटी, टेरोरीज्म वरी फारेन इन्वेस्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विदेशी निवेशक आतंकवाद और अपर्याप्त सुरक्षा के कारण देश में निवेश करने से हिचक रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और विदेशी निवेशकों के दिमाग से भय/असुरक्षा दूर करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(च) क्या देश में विनिमय दर के उतार-चढ़ाव, वस्तुओं के बढ़ते मूल्य, बढ़ती ब्याज दरें भी विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। उक्त समाचार भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ (फिक्की) द्वारा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों के अनुभव संबंधी किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बेहतर निवेश आकर्षण केन्द्र (डेस्टिनेशन) बनता हुआ प्रतीत हो रहा है और भारत विदेशी निवेशकों द्वारा कार्य करने के लिए एक बहुत सुरक्षित स्थान समझा जाता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक कारकों में सुरक्षा एवं आतंकवादी चिंताएं भावी एफ.डी.आई. अंतर्वाहों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एफ.डी.आई. अंतर्वाह अनेक कारकों जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के हैं, पर निर्भर करता है। वैश्विक आर्थिक परिवेश, देश के बाहर की निगमों की कारपोरेट रणनीति, और घरेलू आर्थिक स्थिति भी एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं।

(ङ) सरकार ने एक उदार, पारदर्शी एवं निवेशक अनुकूल एफ.डी.आई. नीति बनाई है और देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए संवर्धनात्मक उपाय कर रही है। 2004-2005 के बजट अभिभाषण में सरकार ने भारत में निवेश करने के लिए घरेलू एवं विदेशी व्यापारों को प्रेरित करने, बातचीत व आमंत्रित करने के लिए एक निवेश आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

(च) और (छ) फिक्की द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपये के विदेशी मूल्य का प्रबंधन किये जाने से विदेशी निवेशकों के बीच आत्मविश्वास जगा है। तथापि, उक्त सर्वेक्षण के अनुसार कुछ वैश्विक कारक भारत में भावी एफ.डी.आई. अंतर्वाहों को प्रभावित कर सकते हैं और इन कारकों में ये शामिल हैं—विनिमय दर में परिवर्तनशीलता, गृह देशों (होम कंट्रीज) में ब्याज की उच्च दरें और वस्तु मूल्यों का दृढ़ीकरण।

[हिन्दी]

उद्योगों की वार्षिक विकास दर

***264. श्री रामजीलाल सुमन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में कुछ उद्योगों की वार्षिक विकास दर में गिरावट आई है और कुछ उद्योगों की वार्षिक विकास दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन दस उद्योगों के नाम क्या हैं जिनकी वर्ष 2000-2001 के बाद वार्षिक विकास दर अधिकतम रही है;

(ग) वे दस उद्योग कौन से हैं जिनकी वार्षिक विकास दर में सबसे अधिक गिरावट आई है;

(घ) क्या सरकार ने कम विकास दर के कारणों का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अलग किए गए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2003-2004 के दौरान अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि दरें दर्ज करने वाले उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं:

2000-2001 के बाद अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर दर्शाने वाले दस उद्योग:

(1) व्हील माउन्टेड डंप लोडर्स, (2) इलेक्ट्रिक जनरेटर (ऑल्टरेनेटरों सहित), (3) एम्पीसिलिन, (4) यात्री कारें, (5) नालीदार बॉक्स/कार्टन, (6) रेफ्रीजरेटर (घरेलू), (7) पानी के जहाजों का निर्माण व मरम्मत, (8) कंट्रोल पैनल/बोर्ड/डिस्कें, (9) स्विचगीयर (सर्किट ब्रेकर) और (10) साइकिल टायर।

2000-2001 के बाद वार्षिक वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी दिखाने वाले दस उद्योग:

(1) वैल/आफ शोअर प्लेटफार्म, (2) काटने के उपकरण (कटिंग टूल्स) (लेथ आदि), (3) विलयित एसिटलीन गैस, (4) आक्सीजन, (5) सिगरेटें, (6) बाल और रॉलर बियरिंग, (7) औद्योगिक विस्फोटक, (8) प्रयोगशाला और वैज्ञानिक उपकरण, (9) परिपूर्ण ट्रैक्टर और (10) ट्रैक्टर टायर/जानवरों द्वारा चालित वाहनों के टायर।

(घ) और (ङ) चंद उद्योगों के कार्य-निष्पादन को देखने से हो सकता है संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के वास्तविक कार्यनिष्पादन का पता न चल पाए। औद्योगिक कार्य-निष्पादन का बेहतर निर्धारण समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) के रुझानों से मापा जा सकता है, जिसे केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा संकलित किया जाता है। आई.आई.पी. की दृष्टि से उद्योगों की समग्र वृद्धि में हाल ही में तेजी आई है जब वृद्धि 2001-2002 के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2002-2003 में 5.7 प्रतिशत हो गई और फिर 2003-2004 में यह और भी बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गई। वर्तमान वर्ष में भी यह गति बरकरार है और समग्र औद्योगिक वृद्धि में अप्रैल-मई 2003-2004 के दौरान 5.3 प्रतिशत की तुलना से अप्रैल-मई 2004-2005 के दौरान 7.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न नीतियां लागू की हैं। इनमें शामिल हैं—औद्योगिक क्षमता को लाइसेंसमुक्त करना, विदेश व्यापार व्यवस्था का उदारीकरण तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और कार्पोरेट कराधान के मामले में प्रभारों/करों को युक्तिसंगत बनाना। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद, किसी उद्योग विशेष का कार्यनिष्पादन अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य कारकों के साथ-साथ शामिल हैं, मांग और आपूर्ति की दशाएं, आगतों (इनपुट) और उत्पादन के तुलनात्मक मूल्य, आयातों से प्रतिस्पर्धा, विनिमय दरों के रुझान तथा वृहद् आर्थिक ढांचा। इन कारकों में परिवर्तनों का प्रभाव अलग-अलग उद्योगों पर अलग-अलग होता है। इसके अलावा, प्रमुख आयातक देशों में मांग संबंधी दशाएं भी ऐसे उद्योगों के कार्यनिष्पादन को प्रभावित करती हैं जिनके उत्पादन का काफी बड़ा भाग निर्यात के लिए होता है।

[अनुवाद]

तम्बाकू किसानों के लिए विशेष पैकेज

***265. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश और अन्य तम्बाकू उत्पादक राज्यों में तम्बाकू किसान तम्बाकू के कम समर्थन मूल्य और अन्य संबंधित कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को अधिक समर्थन मूल्य, रियायती दरों पर कृषि आदान इत्यादि प्रदान करके इनके लिए विशेष पैकेज घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तम्बाकू किसान यह भी मांग कर रहे हैं कि व्यापारियों को उनसे सीधे तौर पर तम्बाकू खरीदने की अनुमति दी जाए और नीलामी प्रणाली को बंद किया जाए; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) (i) आंध्र प्रदेश में दो तम्बाकू उपजकर्त्ताओं द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है। उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि इन उपजकर्त्ताओं को तम्बाकू की खेती में घाटा नहीं हुआ था। सूचना के अनुसार इन उपजकर्त्ताओं ने किसी अन्य फसल की खेती की थी जिससे हो सकता है कि उन्हें घाटा हुआ हो।

(ii) कर्नाटक में एक तम्बाकू उपजकर्त्ता द्वारा व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या करने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नीलामी मंचों पर फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत से लगातार अधिक रही हैं।

(ङ) जी, नहीं। उपजकर्त्ताओं या उनकी एसोसिएशनों से नीलामी प्रणाली की समाप्ति की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशों से धन जुटाना

***266. प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों को विदेशों से धन जुटाने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वे कंपनियां कौन-कौन सी हैं जिन्हें अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी धनराशि जुटाई गई है और इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है;

(घ) क्या इस धनराशि का उपयोग इसे जुटाये जाने के उद्देश्यों के बजाए अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) भारतीय कंपनियों को घरेलू तौर पर उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने हेतु विदेशी स्रोतों से धन जुटाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह इस रूप में हो सकती है:—

1. विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ई.सी.बी.) और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफ.सी.सी.बी.) के जरिए ऋण; और
2. वैश्विक निक्षेपागार प्राप्ति (जी.डी.आर.) मार्ग सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के जरिए इक्विटी।

यह क्रमश: ई.सी.बी. और एफ.डी.आई. से संबंधित दिशा-निर्देशों/नीतियों के अनुसार होना चाहिए। विभिन्न माध्यमों के जरिए जुटाई गई राशियों से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	ई.सी.बी.	एफ.सी.सी.बी.	एफ.डी.आई. (जी.डी.आर. सहित)
2001-02	2933	20.00	6131.00
2002-03	2823	153.00	4660.00
2003-04	3173	208.94	3429.28 (अनन्तिम)

प्रत्येक कंपनी द्वारा जुटाई गई राशियों से संबंधित सूचना काफी ज्यादा है। एफ.डी.आई. अनुमोदनों/अन्तर्प्रवाहों के संबंध में आंकड़ों को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की मासिक पत्रिका एस.आई.ए. न्यूजलेटर, में प्रकाशित किया जाता है तथा जो उनके वेबसाइट www.dipp.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ई.सी.बी. से संबंधित कंपनीवार डाटाबेस फरवरी, 2004 से भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाता है।

(घ) और (ङ) भारतीय कंपनियों द्वारा पूंजी की एवज में जुटाई गई राशियों के संबंध में आर.बी.आई. को सूचित करने की आवश्यकता विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत अधिसूचित विनियमनों के अनुसार है। ऋण के रूप में जुटाई गई राशियों के लिए नामित प्राधिकृत विक्रेता (ए.डी.) से यह अपेक्षित है कि वह इस बात का सुनिश्चिय करें कि प्रमाणन के समय ई.सी.बी. दिशा-निर्देशों की अनुपालना में विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ई.सी.बी.) को जुटाया/उपयोग किया गया है। ई.सी.बी. दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर फेमा के उपबंधों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

[अनुवाद]

सेवाओं का निर्यात

***267. श्री बीर सिंह महतो:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष में सेवाओं का निर्यात विदेशी व्यापार का लगभग पांचवां भाग था;

(ख) क्या इस समय सेवाओं का निर्यात हमारे कुल निर्यात का लगभग 32 प्रतिशत है तथा विश्व के केवल छह देशों का सेवा निर्यात हमारे से अधिक है;

(ग) सरकार द्वारा वस्तुओं के मुकाबले और अधिक सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) ऐसी कौन-सी भारतीय सेवाएं हैं, जिन्हें विश्व-स्तरीय बनाने के लिए उनकी पहचान की गई है; और

(ङ) सेवा निर्यातकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) वर्ष 2003-04 में सेवाओं का निर्यात हमारे विदेशी व्यापार अर्थात् निर्यातों के साथ-साथ आयातों का लगभग 15 प्रतिशत था।

(ख) वर्ष 2003-04 में निर्यातों में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 31 प्रतिशत था। डब्ल्यू.टी.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के अग्रणी सेवा निर्यातकों में वर्ष 2003 में भारत का 20वां स्थान था।

(ग) से (ङ) जहां तक माल और सेवा क्षेत्रों की निर्यात संवर्धन नीति/कार्यनीति का संबंध है, सरकार इन दोनों को समान समझती है। निर्यात-आयात नीति 2002-07 के पैरा 3.8 के अंतर्गत नीति के सभी

प्रावधान ऐसे सेवा निर्यातों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जैसे वे माल पर लागू होते हैं। सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हाल में किए गए कुछ उपायों में सेवा निर्यातकों को शुल्कमुक्त ऋण पात्रता प्रदान करना, आयात शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देना, सेवा निर्यातकों को पिछले 1/2/3 लाइसेंस वर्षों में उनकी कुल विदेशी मुद्रा आय के आधार पर निर्यात घराने/व्यापार घराने/स्टार व्यापार घराने/सुपर स्टार व्यापार घराने का दर्जा देना जिससे उन्हें एक्जिम नीति (2002-07) के पैरा 3.7.2.1 के अनुसार निर्यातों के लिए प्रोत्साहनों के रूप में विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सेवा निर्यातकों को निर्यात संवर्धन/विकास कार्यकलापों के लिए विभाग की बाजार पहुंच पहल (एम.ए.आई.) और बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

यद्यपि सभी व्यापार योग्य सेवाओं के निर्यात का विकास करने और बढ़ाने के लिए हर कोशिश की जा रही है फिर भी सरकार ने फिक्की, सी.आई.आई. और फिओ के परामर्श से निम्नलिखित 13 सेवाओं को अभिज्ञात किया है जिनमें भारत उन्हें विश्व मानकों के स्तर पर लाने के लिए विशेष बल देने हेतु प्रतिस्पर्धा के छोर पर है:—

1. अकाउंटिंग एवं बुक कीपिंग
2. परियोजना निर्यात
3. चिकित्सा सेवाएं
4. दूरसंचार सेवाओं सहित संचार
5. शिक्षा सेवाएं
6. दृश्य श्रव्य/मनोरंजन सेवाएं
7. बैंकिंग, बीमा और प्रतिभूतियों सहित वित्तीय सेवाएं
8. पर्यटन एवं यात्रा से जुड़ी सेवाएं
9. अनुसंधान और विकास सेवाएं
10. पर्यावरण सेवाएं
11. परिवहन सेवाएं
12. परामर्श और प्रबंधन सेवाएं
13. कम्प्यूटर से जुड़ी सेवाएं

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्राप्तकर्ताओं से मिलने के लिए भारतीय सेवा निर्यातकों को एक मंच उपलब्ध कराने हेतु फिओ द्वारा 2005 में आयोजित की जाने वाली सेवाओं में व्यापार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित करने के लिए सिद्धांत रूप से हाल में अनुमोदन किया है जिससे सेवाओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी। अमरीका में लघु और मध्यम उद्यम (एस.एम.ई.) क्षेत्र से भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा कम्पनियों की उपस्थिति में सुधार करने के लिए जिससे भारतीय आई.टी.एस.एम.ई.एस. वहां गहन निर्यात संवर्धन पर ध्यान दे सकें ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा निर्यात को बढ़ाया जा सके। सरकार ने एम.ए.आई. स्कीम के अंतर्गत न्यूजर्सी, अमरीका में एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एण्ड बिजनिस सपोर्ट सेंटर स्थापित करने के लिए इलैक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् (ई.एस.सी.) के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से अनुमोदित किया है।

विश्व बैंक से सहायता

***268. श्री पी.के. वासुदेवन नायर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशिया मामलों के विश्व बैंक उपाध्यक्ष ने देशों की सहायता के लिए अपनी नई रणनीति के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ वार्ता के कई दौर आयोजित किए जिसमें गरीबी कम करने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी नीति को अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, हां। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष ने 16 जून से 25 जून, 2004 तक भारत का दौरा किया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित तत्संबंधी राज्यों और क्षेत्रों में चलाई जा रही परियोजनाओं के वर्तमान पोर्टफोलियो की प्रगति के संबंध में विचार-विमर्श किया था। उन्होंने जून, 2008 तक की 4 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित देश संबंधी सहायता कार्यनीति के अन्तर्गत भावी विश्व बैंक सहायता पर भी चर्चा की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक निवेश

***269. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश किस सीमा तक बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) उदारीकृत औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में निवेश उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए पहल मुख्यत: राज्य सरकारों की होती है। तथापि, भारत सरकार विकास केन्द्र योजना, एकीकृत अवसंरचना विकास योजना, परिवहन राजसहायता योजना तथा राज्यों के लिए विशेष पैकेजों जैसी विभिन्न पहलों तथा योजनाओं के जरिये राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

विदेशों में प्राचीन धरोहर को पेटेंट कराना

***270. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में भारत की प्राचीन धरोहर का पेटेंट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में पेटेंट कराई गई हमारी धरोहर वस्तुओं और परम्परागत वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा हमारे देश की प्राचीन धरोहर का विदेशों द्वारा पेटेंट कराने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सावधानियां बरती जा रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पेटेंटों की स्वीकृति राष्ट्रों के प्रभुतासम्पन्न विशेषाधिकारों के अधीन उनके अपने-अपने पेटेंटे कानूनों के अनुसार की जाती है और ये केवल स्वीकृति के देश में ही प्रभावी रहते हैं। पेटेंट की मंजूरी के योग्य होने के लिए आविष्कार को, प्रक्रिया हो या उत्पाद, पेटेंटनीयता के मानदंड अर्थात् नवीनता आविष्कारिता और औद्योगिक प्रयोज्यता को पूरा करना होता है। ऐसी भारतीय वस्तुओं और मदों का पेटेंट नहीं किया जा सकता है जो पहले ही से सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। विश्वभर में पेटेंट की गयी वस्तुओं और मदों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) चूंकि पेटेंट वास्तव में निजी अधिकार होते हैं, इसलिए प्राय: इन्हें ऐसे व्यक्तियों द्वारा संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के अनुसार चुनौती दी जाती है जिनके हित प्रभावित होते हैं या खतरे में पड़ जाते हैं। जब भी ऐसी कतिपय मदों पर पेटेंट लिए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होती है जिन्हें पेटेंट के योग्य नहीं माना जाता है और जो भारतीय हितों को प्रभावित करती हों, तब यह निर्धारित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि क्या संबंधित देश में पेटेंट कानूनों के तहत इस प्रकार पेटेंट की मंजूरी को चुनौती दी जा सकती है। इससे पूर्व घाव भरने में हल्दी के प्रयोग के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका में मंजूर किए गए एक पेटेंट को सफलता पूर्वक चुनौती दी गयी थी और इसे संबंधित देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा रद्द भी कर दिया गया था। इसी प्रकार यूरोप में नीम के फफूंदनाशी तत्व के पेटेंट की स्वीकृति को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में बासमती चावल की किस्मों और अनाजों पर दिए गए पेटेंट के दावों, जिनमें भारतीय वाणिज्यिक हितों को प्रभावित करने की सम्भावना है, को भी चुनौती दी गयी थी। संयुक्त राज्य पेटेंट तथा व्यापार चिह्न कार्यालय द्वारा उक्त दावों को बाद में रद्द कर दिया गया था तथा पेटेंट के शीर्षक में भी संशोधन कर दिया गया था।

(घ) पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराए जाने से बचाने के लिए पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारतीय पेटेंट कानून में उपलब्ध शामिल किए गए हैं ताकि मौखिक ज्ञान सहित उपलब्ध स्थानीय ज्ञान द्वारा आविष्कार के पूर्वानुमान को विरोध करने के एक आधार के रूप में और पेटेंट को रद्द करने के लिए भी शामिल किया जा सके। ऐसे आविष्कार को भी गैर-पेटेंट योग्य कर दिया गया है जो वास्तव में पारंपरिक ज्ञान है अथवा जो पारंपरिक रूप से ज्ञान घटक या घटकों के ज्ञात गुणों एक समूह या प्रतिलिपिकरण है। इनके अतिरिक्त सरकार औषधीय पौधों के क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान का एक डिजिटल आंकड़ा आधार भी विकसित कर रही है ताकि इस प्रकार के ज्ञान के आधार पर गलती से पेटेंट देने से बचा जा सके।

वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों हेतु पैकेज

***271. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों को कोई पैकेज देने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र का कार्यनिष्पादन निराशाजनक रहा है और इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में वस्त्र प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना को भी बढ़ावा दे रही है; और

(घ) सरकार द्वारा वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों की स्थिति में सुधार लाने हेतु कौन से अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) देश में वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र लघु प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा खंडित और प्रभावित है। उत्पादन कभी-कभी मानक से कम होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्राप्ति और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता भी कम होती है। इसलिए सरकार ने प्रसंस्करण चरण को संपूर्ण वस्त्र उत्पादन श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में पाया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और सरकार को इसकी आवश्यकता के बारे में मालूम है। वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) में प्रसंस्करण के लिए सभी आधुनिक मशीनों पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था है।

2. वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार अपैरल पार्कों और विद्युत करघा बुनाई पार्कों का संवर्धन कर रही है। उद्यमी इन पार्कों में प्रसंस्करण संयंत्रों की भी स्थापना कर सकते हैं।

3. वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए महत्वपूर्ण-आधारभूत संरचना अंतरालों को पूरा करने के लिए वस्त्र क्षेत्र आधारभूत संरचना विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जो अधिकतम 20.00 करोड़ रु० हो सकती है, साझा बहिस्राव आशोधन संयंत्र, जलापूर्ति में सुधार लाने और पानी की निकासी की सुविधाओं के संबंध में परियोजनाओं के मुख्य संघटकों के 100 प्रतिशत तक उपलब्ध है जबकि अन्य संघटकों के लिए निधि केन्द्र और संबंधित राज्य/संबंधित प्रतिष्ठित एजेंसियों के बीच 75 : 25 के आधार पर दी जाती है।

4. भारतीय प्रसंस्करण गृहों में आधुनिक वस्त्र प्रसंस्करण मशीनों के संस्थापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ऐसे मशीनों का आयात 5 प्रतिशत के मूल आयात शुल्क की रिआयती दर पर करने की अनुमति दी जाती है।

5. टी.यू.एफ.एस. द्वारा शामिल उच्च प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण मशीनों में निवेश के लिए मूल्य ह्रास-दर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है।

6. उच्च प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण मशीनों की शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत अनुमति दी जाती है। इस योजना में 10 वर्ष से ज्यादा की अवधि वाले पुराने पूंजीगत सामान शामिल हैं।

7. यार्न और फैब्रिक्स के लिए विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम.ई.ई.) कोटा के आवंटन के वास्ते उच्च प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण मशीनों में निवेश के विचारार्थ अधिक महत्व का प्रावधान किया गया है। परिधान निर्यातकों के लिए नया निवेशक हकदारी (एन.आई.ई.) कोटा के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उच्च प्रौद्योगिकी परिधान प्रसंस्करण मशीनों में निवेश पर भी विचार किया जाता है।

8. गुणवत्ता की आवश्यकता का ध्यान रखने और प्रसंस्कृत फैब्रिकों के पारि-मित्र उत्पादन को आसान बनाने के उद्देश्य से पूरे देश में 60.00 करोड़ रु. से अधिक के निवेश से पारि-परीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं का सृजन किया गया है ताकि परीक्षण सुविधाएं वस्त्र और वस्त्र मदों के अधिकांश विनिर्माताओं/निर्यातकों के पहुंच के भीतर उपलब्ध हों। ऐसी परीक्षण सुविधाओं के सृजन की योजना अभी जारी है।

9. वस्त्र समिति, मुंबई आई.एस.ओ.-9000 और आई.एस.ओ.-14000 पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों के प्रमाणन के लिए तकनीकी परामर्श देती है।

हवाला कारोबार

*272. श्री राम कृपाल यादव:

श्री काशीराम राणा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान से हवाला कारोबार के जरिए भारतीय बैंकों में भारी धनराशि जमा कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि का उपयोग आतंकवादी गुटों द्वारा अपने सम्पर्कों के माध्यम से भारत में अनेक स्थानों पर किया जा रहा है;

(ग) क्या इन बैंकों ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) किसी भी भारतीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को पाकिस्तान से हवाला लेन-देन के माध्यम से बड़ी धनराशि को जमा करने की किसी भी घटना के बारे में सूचना नहीं दी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

काले धन का पता लगाने हेतु नई योजना

*273. डा. एम. जगन्नाथ:

श्री मोहन रावले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काले धन और गलत तरीके से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन से सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) काले धन और अवैध सम्पत्ति की उद्घोषणा करने वाले व्यक्तियों को क्या-क्या रियायतें दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) इस समय किसी विशिष्ट स्कीम का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि

***274. श्री नीतीश कुमार:**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के परिणामत: कई उद्योगों में उत्पादन लागत बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि के परिणामत: उद्योगों, विशेषत: सीमेंट, इस्पात, वाहन, विनिर्माण उद्योग इत्यादि में उत्पादन लागत में अनुमानत: कितनी वृद्धि होगी;

(ग) इस उत्पादन लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्यों में कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी;

(घ) क्या इस मूल्य वृद्धि से इन उद्योगों में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) ऊर्जा एक आवश्यक आगत (इनपुट) है और ईंधन के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव उत्पादन की लागत पर पड़ता है। तथापि, विभिन्न उद्योगों पर पड़ने वाला प्रभाव अलग-अलग होता है, जो प्रत्येक उद्योग में इनपुट के अनुपात और प्रयोग किए जाने वाले ईंधन की किस्म के अनुसार होता है। अत: विभिन्न उद्योगों के लिए मूल्य वृद्धि का सटीक परिमाण तय करना संभव नहीं है।

(ग) मई, 2003 की तुलना में, मई, 2004 के माह के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) में प्रतिशत वृद्धि केवल 2.83 प्रतिशत रही है।

(घ) और (ङ) उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का स्वरूप व परिमाण, उद्योगों द्वारा अपनाये जाने वाले प्रौद्योगिकी संयोजन, लागत घटाने की रणनीतियों तथा ऊर्जा बचाने के उपायों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि कोयले, पेट्रोल व डीजल का विनिर्माण अलग-अलग विनिर्माण इकाइयों द्वारा अलग-अलग प्रक्रियाओं के जरिये किया जाता है, अत: एक ही उद्योग के भीतर भी इनके मूल्यों में वृद्धि से उत्पादन लागत पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव का परिमाण बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

ऋण नीति की समीक्षा

***275. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गरीब लोगों, बेरोजगार युवकों, श्रमिकों, वंचित वर्ग, छोटे और सीमान्त किसानों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित अपनी नीति की समीक्षा करने और उसे सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में ऋण स्वीकृति के लिए लंबित आवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) इन आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं से संबंधित मार्गनिर्देशों/नीतियों की समीक्षा एवं सरलीकरण एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) दिनांक 31-3-2004 की स्थिति के अनुसार प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत लंबित आवेदन पत्रों के राज्य-वार तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के तहत लंबित आवेदन पत्रों का बैक-वार ब्यौरा क्रमश संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) बैंकों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उसके बाद बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी एवं संवितरण के लिए समय सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं।

(ii) बैंकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 25000 रुपए तक के ऋणों के लिए आवेदन पत्रों का निपटान 2 सप्ताह के भीतर और 2 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए आवेदन पत्रों का निपटान 4 सप्ताह के भीतर कर दिया जाए, बशर्ते कि ऋण आवेदन पत्र हर दृष्टि से पूरे हों।

(iii) बैंकों से कहा गया है कि जहां कहीं आवश्यक हो ''बेबाकी प्रमाण पत्र'' 15 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएं, अन्यथा इसे जारी किया हुआ माना जाएगा।

(iv) संबंधित प्रमुख विभागों द्वारा ब्लाक स्तरीय बैंकर समिति (बी.एल.बी.सी.) की बैठकों में बैंक शाखाओं से विचार-विमर्श किया जाता है, ताकि लंबित आवेदन पत्रों की शीघ्र मंजूरी सुनिश्चित की जा सके।

(v) इन योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए जिला एवं राज्य स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार पी.एम.आर.वाई. योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	लंबित आवेदनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	6160
असम	2143
बिहार	4452
गुजरात	736
हरियाणा	1404
हिमाचल प्रदेश	178
जम्मू-कश्मीर	395
कर्नाटक	6852
केरल	3432
मध्य प्रदेश	7546
महाराष्ट्र	9960
मणिपुर	134
मेघालय	100
नागालैंड	23
उड़ीसा	7921
पंजाब	1974
राजस्थान	4600
सिक्किम	19
तमिलनाडु	2828
त्रिपुरा	1247
उत्तर प्रदेश	8938
पं. बंगाल	3425
अंडमान एवं निकोबार	49
अरुणाचल प्रदेश	536
चण्डीगढ़	50
दादर एवं नगर हवेली	0
गोवा	12
मिजोरम	0
पांडिचेरी	47
लक्षद्वीप	7
दमन एवं दीव	0
दिल्ली	862
झारखंड	1380
छत्तीसगढ़	1997
उत्तरांचल	787
उल्लिखित नहीं	259
अखिल भारत	80723

विवरण-II

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एस.जी.एस.वाई. एवं एस.जे.एस.आर.वाई. योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों का बैंकवार ब्यौरा

बैंक का नाम	लंबित आवेदनों की संख्या	
	एस.जी. एस.वाई.	एस.जे.एस. आर.वाई.
1	2	3
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4396	2787
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	4332	1016
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	32	146
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	236	0
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0	0
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	18	350
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	376	0
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावण कोर	445	53
एलाहाबाद बैंक	194	120
आन्ध्रा बैंक	25	0
बैंक ऑफ बड़ौदा	1940	1082

1	2	3
बैंक ऑफ इंडिया	0	0
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1096	101
केनरा बैंक	156	518
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	133	822
कार्पोरेशन बैंक	26	33
देना बैंक	31	0
इंडियन बैंक	315	1877
इंडियन ओवरसीज बैंक	137	0
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	57	67
पंजाब नैशनल बैंक	0	0
पंजाब एंड सिंध बैंक	197	160
सिंडिकेट बैंक	332	309
युनियन बैंक	383	213
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	669
यूको बैंक	998	0
विजया बैंक	115	70
कुल	15970	10393

[हिन्दी]

भारत-चीन समझौता

***276. श्री प्रदीप गांधी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने इस संबंध में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रधानमंत्री की 22-27 जून, 2003 के बीच चीन की यात्रा के दौरान व्यापार से संबंधित निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे:—

(i) सीमा व्यापार का विस्तार करने संबंधी एक ज्ञापन;

(ii) भारत से चीन को निर्यात होने वाले आमों के लिए पादप स्वच्छता अनिवार्यताओं का एक प्रोटोकॉल;

(iii) संबंधों एवं व्यापक सहयोग के सिद्धांतों पर एक घोषणा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार से संबंधित निम्नलिखित घटक शामिल हैं:—

- संयुक्त आर्थिक दल (जे.एस.जी.) की मंत्रिस्तरीय बैठक की महत्ता
- व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की संभाव्यता की जांच करने के लिए अधिकारियों एवं अर्थशास्त्रियों के एक सुसम्बद्ध संयुक्त अध्ययन दल (जे.एस.जी.) का गठन करना।

[अनुवाद]

लघु कपड़ा मिलों हेतु योजना

***277. श्री दानवे राव साहेब पाटील:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश की, विशेषत: महाराष्ट्र की लघु कपड़ा मिलों की स्थिति में सुधार के लिए एक योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में विद्युत करघा सेवा केंद्र भी स्थापित किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में इन सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) इस समय सरकार का महाराष्ट्र सहित देश की लघु वस्त्र मिलों की स्थितियों में सुधार के लिए कोई नयी योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) देश में 44 प्रमुख विद्युतकरघा समूहों में, विद्युतकरघा बुनकरों को डिजायन, प्रशिक्षण, परामर्श सेवा, कौशल उन्नयन और परीक्षण सुविधाओं आदि सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए विद्युतकरघा सेवा केंद्रों (पी.एस.सी.) की स्थापना की गई है।

(ङ) विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) उड़ीसा और अन्य राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सेवा केंद्रों द्वारा दी गयी सेवाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

सेवाओं का प्रभार	2001-02		2002-03		2003-04	
	उड़ीसा	अन्य राज्य	उड़ीसा	अन्य राज्य	उड़ीसा	अन्य राज्य
(क) प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	—	1,294	27	1,852	1	7,032
(ख) परीक्षित नमूनों की संख्या	50	10,839	43	42,961	—	61,578
(ग) विकसित डिजायनों की संख्या	—	3,137	—	1,504	—	2,792
(घ) प्रदान की गयी परामर्श सेवाओं की सं.	16	8,244	104	6,146	11	4,829
(ङ) संगठित संगोष्ठी/कार्यशाला	1	242	6	162	—	136

विवरण

विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	पी.एस.सी. का नाम	प्रचालन एजेंसी का नाम
महाराष्ट्र	1. इचलकरंची	
	2. माधवनगर-वीटा	बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ, मुंबई
	3. सोलापुर	
	4. भिवांडी-1	सिंथेटिक एंड आर्ट्स सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ, मुंबई
	5. भिवांडी-2	
	6. मालेगांव	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
तमिलनाडु	7. करूर	
	8. कोमारपल्लयम	
	9. पल्लडम	
	10. शंकरणकोइल	दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयम्बटूर
	11. सोमनूर	
	12. सलेम	
	13. त्रिचेन्गोड	
	14. इरोड	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
गुजरात	15. अहमदाबाद	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग, अनुसंधान संघ, अहमदाबाद
	16. ढोलका	
	17. सचिन	मानव-निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ, सूरत
	18. पांडेसर	
	19. सूरत	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
	20. उमरगांव	

राज्य का नाम	पी.एस.सी. का नाम	प्रचालन एजेंसी का नाम
कर्नाटक	21. बेंगलूर	
	22. डोड्डाबल्लपुर	
	23. गदाग-बेटागरी	कर्नाटक राज्य विद्युतकरघा विकास निगम, बेंगलूर
	24. बेलगांव	
उत्तर प्रदेश	25. गोरखपुर	
	26. कानपुर	
	27. मेरठ	उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद
	28. टांडा	
	29. मऊनाथ भंजन	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
मध्य प्रदेश	30. इंदौर	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ, अहमदाबाद
	31. जबलपुर	मध्य प्रदेश राज्य विद्युतकरघा बुनकर सहकारी संघ
	32. बुरहनपुर	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
आंध्र प्रदेश	33. हैदराबाद	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
	34. नागरी	
राजस्थान	35. भीलवाड़ा	उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद
	36. किशनगढ़	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
पंजाब	37. लुधियाना	उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद
	38. अमृतसर	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
हरियाणा	39. पानीपत	उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजियाबाद
पं. बंगाल	40. राणाघाट	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
उड़ीसा	41. कटक	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
बिहार	42. गया	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
असम	43. गुवाहाटी	भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कोलकाता
केरल	44. कन्नूर	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

राज्य व्यापार निगम द्वारा गेहूं का निर्यात

***278. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम अन्य देशों को गेहूं का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को देशवार कितनी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया गया;

(ग) इसी अवधि के दौरान अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम को गत तीन वर्षों के दौरान घटिया गुणवत्ता वाले गेहूं का निर्यात करने के कारण भारी घाटा उठाना पड़ा;

(ङ) यदि हां, तो निगम को कुल कितनी धनराशि का घाटा वहन करना पड़ा;

(च) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है तथा दोषी अधिकारियों की पहचान की गई है; और

(छ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० ने वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान लगभग

30 लाख (मी. टन) गेहूं का निर्यात किया है। गेहूं का देशवार निर्यात तथा मूल्य निम्नानुसार है:—

एस.टी.सी. द्वारा गेहूं का देशवार निर्यात

सं.	देश	2001-2002	2002-2003	#2003-2004
1.	बंगलादेश	497,686	430,483	385,655
2.	इराक	27500*	39,850	—
3.	यमन	94,029	43,291	124,930
4.	यू.ए.ई.	74,904	—	172,253
5.	ओमान	—	—	63,278
6.	सूडान	64,268	14,850	34,325
7.	थाईलैंड	11,265	12,239	—
8.	इंडोनेशिया	125,100	47,334	109,213
9.	फिलिपीन्स	49,188	—	13,500
10.	वियतनाम	822	47,303	54,124
11.	म्यांमार	1,784	—	—
12.	सिंगापुर	—	19,327	—
13.	मलेशिया	—	35,566	48,380
14.	मिस्त्र	27,500	—	—
15.	आर्मीनिया**	750	—	—
16.	आरेटारिया (पश्चिम अफ्रीका)	—	—	12,009
17.	ताईवान	—	—	50,074
18.	तन्जानिया	—	—	33,919
19.	श्रीलंका	21,986	—	48,738
20.	बहरीन	—	—	14,631
21.	जोर्डन	—	—	75,800
	कुल	996,782	690,243	1,240,829
	मुल्य (करोड़ रुपए में)	480.49	357.86	715.33

* अन्य गंतव्यों स्थानों को भेजा गया।

** सरकारी सहायता के तहत निर्यातित।

\# वर्ष 2003-04 के लिए आंकड़े अनंतिम एवं असंपरीक्षित है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना का वित्तपोषण

***279. श्री अर्जुन सेठी:**

प्रो. एम. रामदास:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय बैंक के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए प्रधान मंत्री रोजगार योजनाओं के वित्तपोषण के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि पर शत-प्रतिशत रेहन/अतिरिक्त जमानत की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को रोकने और बैंकों और बेरोजगार युवकों के बीच सम्पर्क सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत व्यक्तियों को कारबार में 1 लाख रुपए तक एवं उद्योग क्षेत्र में 2 लाख रुपए तक तथा उद्योग क्षेत्र में भागीदारी फर्मों को 5 लाख रुपए तक के ऋण देने के लिए कोई तृतीय पार्टी गारन्टी/संपार्श्विक आवश्यक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संपार्श्विक की मांग करने के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतें संबंधित बैंक तथा आर.बी.आई. के साथ उठाई जाती हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त, 2003 के अपने परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए पुनः अनुदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा बैंकों एवं बेरोजगार युवकों के बीच संबद्धता सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) बैंकों को अपने नियंत्रक/प्रधान कार्यालय के उच्चतर प्राधिकारी से अस्वीकृत आवेदनों की संवीक्षा कराने की सलाह दी गई है।

(ii) बैंकों को 25,000 रुपए तक के ऋणों के लिए आवेदन 2 सप्ताह के भीतर तथा 2 लाख रुपए तक के लिए आवेदनों को 4 सप्ताह के भीतर निपटाने के अनुदेश दिए गए हैं बंशर्ते ऋण आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हों।

(iii) जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) से बैंकों को आवेदन प्राप्त होने तथा तत्पश्चात् बैंकों द्वारा ऋणों की संस्वीकृति एवं संवितरण के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।

(iv) बैंकों को जहां अपेक्षित हो, 15 दिन के भीतर "अदेयता प्रमाण पत्र" जारी करने के लिए कहा गया है, अन्यथा इसे जारी किया गया समझा जाएगा।

(v) बैंकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस.आई.एस.आई.) की विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के अनुदेश दे दिए गए हैं।

(vi) राज्य सरकारों को जिला स्तर पर बैंकों के साथ संयुक्त रूप से लाभप्रद गतिविधियों को पहचानने की सलाह दे दी गई है।

जूट उद्योग हेतु योजना

***280. श्री सांताश्री चटर्जी:**

श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पारम्परिक जूट उद्योग के विकास हेतु लागू की जा रही योजनाएं कौन-सी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं के अंतर्गत सम्पन्न कार्यों और आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) वस्त्र मंत्रालय देश में परम्परागत पटसन उद्योग के उन्नयन के लिए अनेक विकासात्मक योजनाएं क्रियान्वित करता है।

(1) वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, पटसन विनिर्माण विकास परिषद् (जे.एम.डी.सी.) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जे.एम.डी.सी. की प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित करती है। जे.एम.डी.सी. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में पटसन उत्पादों के लिए बाजार का पता लगाने, बाजार आसूचना और बाजार विकास के लिए सहायता भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह पटसन उद्योग के लिए अनुसंधान व विकास परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) और पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.जे.टी.) को भी सहायता प्रदान करती है।

(2) वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र (एन.सी.जे.डी.) निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित करता है:—

- पटसन सेवा केंद्र योजना
- पटसन कच्चा माल बैंक योजना
- डिजाइन विकास योजना
- बाजार सहायता योजना
- पटसन उद्यमी सहायता योजना
- एन.जी.ओ. सहायता योजना
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना

इन योजनाओं का उद्देश्य विविधीकृत पटसन उत्पादों के वाणिज्यिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकीय जानकारी का प्रचार-प्रसार करना, तकनीकी मार्गदर्शन करना, वित्तीय सहायता देना तथा विविधीकृत पटसन उत्पादों के विनिर्माण के लिए एककों की स्थापना करने के वास्ते प्रशिक्षण देना, गुणवत्ता उन्मुखीकरण का आयोजन कर पटसन उत्पादों की बाजार स्वीकार्यता को बढ़ाना, डिजाइन विकास और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना है।

(3) अप्रैल, 1999 से वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना टी.यू.एफ.एस. के तहत मिलने वाले लाभ पटसन और पटसन वस्त्र क्षेत्र के लिए भी लागू हैं।

(ख) (1) जे.एम.डी.सी. की पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना (जे.एम.डी.सी.-आई.एस.एम.जे.आई.) 8 जुलाई, 2002 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य या तो निजी स्रोत अथवा बैंक के वित्त पोषण से निवेश की गई राशि पर 15 प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान करके पटसन उद्योग में उन्नयन और/अथवा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश को सुगम बनाना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जे.एम.डी.सी.-आई.एस.एम.जे.आई. के लिए वितरित निधियों की स्थिति

वर्ष	जे.एम.डी.सी.-आई.एस.एम.जे.आई. के तहत व्यय (लाख रुपए में)
2002-03	0.00
2003-04	55.12

(2) जे.एम.डी.सी. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बाजार विकास, इजिरा और आई.जे.टी. पर निम्नलिखित राशि खर्च की है:

योजना/संस्थान का नाम	वर्ष-वार आवंटित निधियां (लाख रुपए में)		
	2001-02	2002-03	2003-04
इजिरा	10.91	10.53	16.57
आई.जे.टी.	82.60	105.00	90.00
बाजार विकास	1802.67	2417.73	3313.64

(3) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं के लिए एन.सी.जे.डी. को आवंटित निधियों की स्थिति

योजनाओं का नाम	वर्ष-वार आवंटित निधियां (लाख रुपए में)		
	2001-02	2002-03	2003-04
पटसन सेवा केंद्र योजना	151.51	195.77	310.12
पटसन कच्चा माल बैंक योजना	55.61	55.90	51.75
डिजाइन विकास योजना	8.46	42.66	66.63
बाजार सहायता योजना	28.90	70.51	107.74
पटसन उद्यमी सहायता योजना	170.51	170.42	90.78
एन.जी.ओ. सहायता योजना	17.50	81.12	1.50
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाएं	0.00	0.00	54.63

(4) देश में पटसन क्षेत्र को टी.यू.एफ.एस. के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि संवितरित हो गई है।

वर्ष	टी.यू.एफ.एस. के तहत संवितरण (लाख रुपए में)
2001-02	922.00
2002-03	109.00
2003-04	2346.00

(ग) और (घ) योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

एक्जिट पोल पर रोक

***281. श्री कैलाश मेघवाल:**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक्जिट पोल और चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा भ्रामक विज्ञापन देने पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में एक विधान लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे संसद में कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु धनराशि

2276. श्री अब्दुल्ला कुट्टी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न परियोजनाओं, केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के विकास हेतु राज्यवार आवंटित और वितरित की गई धनराशि के बीच कोई असमानता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को योजनाओं के निष्पादन हेतु वितरित की गई धनराशि के संबंध में राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाणपत्र नियमित रूप से प्राप्त होते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान दोषी पाए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही शुरू की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग उद्योगों के संवर्धन के लिए परिवहन राजसहायता योजना, पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना और विकास केन्द्र योजना जैसी अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग इस समय निर्यात संबंधी अवसंरचना में अंतराल को कम करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए "निर्यात अवसंरचना और **संबंद्ध**

कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को सहायता'' नामक एक योजना का कार्यन्वयन कर रहा है।

(ग) और (घ) सामान्यतः इस योजना के अन्तर्गत निधियां या तो प्रतिपूर्ति के आधार पर या अग्रिम अदायगी के रूप में जारी की जाती है। अग्रिम अदायगी के मामले में, जारी की गई राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर ही बाद की किश्तें जारी की जाती हैं।

आज की तारीख में, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में उपयोग प्रमाण-पत्र न मिलने के कारण निधि को जारी करने के लिए कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण

2277. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं, शॉपिंग माल, साफ्टवेयर तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) से निवेश आकर्षित करने हेतु आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों ने उक्त परिकल्पना को बढ़ावा देने की सहमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

असम में औद्योगिक इकाइयां

2278. श्री अनवर हुसैन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असम और पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार की कोई विशिष्ट नीति रही है;

(ग) यदि हां, तो इस नीति के संबंध में राज्यों में औद्योगिक विकास का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असम और पूर्वोत्तर राज्यों हेतु प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों में भेजा गया है जिससे पूर्वोत्तर राज्य उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए अनाकर्षक हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास के संबंध में नए कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) और (च) किसी राज्य में परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की जिम्मेदारी मूलतः उस राज्य सरकार की ही होती है और केंद्र सरकार केवल उद्योगों के विकास हेतु उनके प्रयासों में सहायता करती है।

सरकार ने असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 दिसंबर, 1997 को एक नई 'पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति' (एन.ई.आई.पी.) तथा अन्य रियायतों की घोषणा की थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य निवेशकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन/रियायतें/राजसहायता प्रदान करके उन्हें आकर्षित करना है:—

(i) 10 वर्षों की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क तथा आयकर से छूट।

(ii) विभिन्न प्रकार की राजसहायता, जैसे कि परिवहन राजसहायता, पूंजी निवेश राजसहायता, केंद्रीय ब्याज राजसहायता तथा व्यापक बीमा योजना के लिए प्रीमियम।

(iii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की विकास केंद्र योजना तथा लघु उद्योग मंत्रालय की एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केंद्र योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ढांचागत विकास सुविधाओं को बढ़ावा देना।

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक 'स्पेशल पर्पज व्हिकल' के तौर पर पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन.ई.डी.एफ.आई.) नामक एक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई है, जो इस क्षेत्र में राजसहायता के वितरण हेतु नोडल एजेंसी है।

पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति एन.ई.आई.पी. के बाद, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित की गई परियोजनाओं (बड़ी और मझौली परियोजनाओं) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन ब्यौरों से पता चलता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण पर एन.ई.आई.पी. के तहत प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों को प्रभाव उत्साहवर्धक रहा है।

(घ) और (ङ) एन.ई.आई.पी. के पश्चात् सरकार ने जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों के विशेष पैकेज घोषित किए हैं। सिक्किम को छोड़कर, जो कि अब पूर्वोत्तर क्षेत्र का ही भाग है, अन्य राज्यों के पैकेज हल्के हैं और वे पूर्णतः वैसे नहीं हैं, जैसे कि एन.ई.आई.पी. का पैकेज।

विवरण

एन.ई.आई.पी. के बाद परियोजनाओं (मझौली और बड़ी) की सूची

राज्य	इकाइयों की संख्या	पूंजी निर्माण (रुपये करोड़ में)	रोजगार
असम	400	874	30,664
मेघालय	32	101	2,595
त्रिपुरा	23	12	364
अरुणाचल प्रदेश	5	10	140
नागालैंड	1	शून्य	शून्य
मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
योग	461	997	33,763

नाबार्ड की शाखाए खोलना

2279. श्री ए.के. मूर्ति: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखाएं खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कुछ समय से चरणबद्ध तरीके से विभिन्न राज्यों के जिलों में जिला विकास प्रबंधक (डी.डी.एम.) कार्यालयों को खोला है। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 338 डी.डी.एम. कार्यालय कार्यरत थे। वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसे कार्यालयों को खोले जाने के लिए देशभर में अठाईस जिलों की पहचान की गई है।

पालिएस्टर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु योजना

2280. श्री अनन्त नायक: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पालिएस्टर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ पालिएस्टर वस्त्रों के निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) पोलिएस्टर उद्योग के लिए कोई पृथक् संवर्द्धनात्मक योजना नहीं है। तथापि, पोलिएस्टर उद्योग का संवर्द्धन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के सामान्य प्रावधानों के तहत शासित होता है। पोलिएस्टर और पोलिएस्टर फाइबर का विनिर्माण इस समय अनिवार्य लाइसेंसिंग की मदों की सूची के अंतर्गत नहीं है।

(ग) और (घ) पोलीवस्त्र उत्पादकों को खादी के कार्यक्रम, छूट/बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना, ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र योजना (आई.एस.ई.सी.) जिसमें बैंक ऋणों पर कम दरों पर ब्याज की व्यवस्था है और उन्नत डिजाइनों के लिए उत्पाद विकास डिजाइन हस्तक्षेप एवं पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.टी.) योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैनों के विरुद्ध शिकायतें

2281. श्री संतोष गंगवार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 1999 से आज तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यरत चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच पूरी कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों सहित उच्च कार्यपालकों के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। अधिकांशतः, ये शिकायतें गुमनाम/छद्मनाम से होती हैं और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की हिदायतों के अनुसार, गुमनाम/छद्मनाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं होती है। तथापि, सरकार जांच करने योग्य तथ्यों से युक्त शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करती है और भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से उनकी जांच करती है। वर्ष 1999 से 2004 तक आज की तारीख की अवधि के दौरान सरकार को कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इन सभी शिकायतों की जांच की गई है और आवश्यकतानुसार उत्तर भेजे गए हैं। शिकायतों की प्राप्ति और उनकी जांच/निपटान एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में कार्यरत सूती और मानव निर्मित फाइबर मिलें

2282. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में आज की तिथि के अनुसार सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में अलग-अलग कुल कितनी सूती और मानव निर्मित फाइबर मिलें कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन मिलों की उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन मिलों को अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन मिलों के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यरत सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर-एस.एस.आई.) की कुल संख्या, 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार उनकी संस्थापित क्षमता और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका उत्पादन नीचे दिया गया है:—

प्रबंधन	मिलों की संख्या (31.05.2004) की स्थिति के अनुसार	संस्थापित क्षमता (31.05.2004) की स्थिति के अनुसार			उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.)		
		तकुए (सं.)	रोटर्स (सं.)	करघे (सं.)	2001-2002	2002-03	2003-04(अनं)
सहकारी	2	47392	शून्य	शून्य	शून्य	0.28	1.77
सार्वजनिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(अनं: अनंतिम) (स्रोत: वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई)

(ग) और (घ) देश के संपूर्ण वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए, सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है जो 01 अप्रैल, 1999 से लागू है। इस योजना में योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋणदात्री एजेंसी द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज पर 5 प्रतिशत बिन्दु की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत किसी इकाई के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से ऋणों के लिए आवेदन पत्र बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो ऋण स्वीकृत करने के पूर्व अपना विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हैं। ऋण की स्वीकृति और संवितरण के लिए वित्तीय संगठनों का एक नेटवर्क इस प्रकार से प्रदान करने के उद्देश्य से कि देश में उद्योग को और अधिक पहुंच मिल सके, नामित नोडल एजेंसियों यथा—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने लगभग 250 बैंकों/वित्तीय संस्थानों को सहयोजित किया है। सरकार विशिष्ट रूप से आधुनिकीकरण की आवश्यकता के लिए वस्त्र मिलों की पहचान नहीं करती है। यह मिल/इकाई का कर्तव्य है कि वह आधुनिकीकरण की उसकी आवश्यकता का मूल्यांकन करे और इस संबंध में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण के लिए संपर्क करे। यह योजना सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र की वस्त्र मिलों की सभी व्यवहार्य आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए खुली है।

निविदाएं स्वीकार करना

2283. श्री विजय कृष्ण: क्या **वित्त मंत्री** निविदाएं स्वीकार करने के बारे में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बारे में 20.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4902 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1997 में चेन्नई पत्तन-न्यास द्वारा नव निर्मित इन्नौर पत्तन पर संचालन के लिए 3 टगों तथा 2 पायलट जलयानों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। सबसे कम बोली देने वाले निविदाकर्ता ने निविदा की विधिमान्यता को बोली के मूल्य पर और आगे बढ़ाने से मना कर दिया तथा अपने मूल्य को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया, जिससे निविदा पश्चात् संशोधन करना अनिवार्य हो गया। बोली दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, बोलीदाता अपनी बोलियों में न

तो सुधार की मांग करेगा और न ही इसकी अनुमति है। अत: सबसे कम बोली देने वाले का प्रस्ताव अमान्य हो गया तथा चेन्नई पत्तन ने अगली सबसे कम बोली देने वाले के साथ बातचीत की। दूसरे सबसे कम बोलीदाता ने 57.03 करोड़ रु. की बोली दी थी जिसे बातचीत के दौरान कम करके 55.14 करोड़ रु. (करों के बिना) कर दिया गया। पत्तन को वास्तव में दूसरे सबसे कम बोलीदाता से बातचीत करने से 1.89 करोड़ रु. का लाभ हुआ। अत: किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों का विस्तार

2284. श्री परसुराम माझी: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव महानदी कोल-फील्ड लि. (एम.सी.एल.) के अंतर्गत कोयला खानों के विस्तार का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन से अतिरिक्त कोयला क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इन अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए वन विभाग की मंजूरी के बारे में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) जी, हां। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु चार ओपन-कास्ट (ओ.सी.) परियोजनाओं नामत: हिंगुला-II, लिंगराज, भरतपुर चरण-II तथा लखनपुर को स्वीकृति दी है। दो और विस्तार परियोजनाओं नामत: बेलपहाड़ ओ.सी. तथा समलेश्वरी ओ.सी. हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ख) मूल परियोजनाओं हेतु पहले अधिगृहीत किया गया क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं की आवश्यकता हेतु पर्याप्त होगा।

(ग) और (घ) इन विस्तार परियोजनाओं हेतु आवश्यक वन भूमि तथा वानिकी मंजूरी की स्थिति निम्नानुसार है:—

परियोजना का नाम	वृद्धियात्मक क्षमता (मि. ट.प्र.वर्ष)	अपेक्षित वन भूमि (हैक्टेयर)	वानिकी मंजूरी आवेदन की स्थिति
1	2	3	4
1. हिंगुला-II विस्तार ओ.सी.	2.00	शून्य	लागू नहीं
2. लिंगराज विस्तार ओ.सी.	5.00	5.27	एम.सी.एल. द्वारा प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया के अधीन
3. भरतपुर विस्तार ओ.सी.पी.-चरण-II	6.00	38.10	एम.सी.एल. द्वारा प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया के अधीन
4. लखनपुर विस्तार	5.00	शून्य	लागू नहीं
5. बेलपहाड़ विस्तार ओ.सी.	1.50	40.00	एम.सी.एल. द्वारा प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया के अधीन
6. समलेश्वरी विस्तार ओ.सी.	1.00	149.42	मार्च, 2004 में वन संरक्षक, संबलपुर को प्रस्तुत किया गया।

प्रगति मैदान का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना

2285. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव प्रगति मैदान, दिल्ली का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रगति मैदान की तर्ज पर राज्यों में व्यापार मेले कराने हेतु किसी परिसर का निर्माण किया जा रहा है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (आई.टी.पी.ओ.) सतत् आधार पर प्रगति मैदान में सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण में लगा हुआ है।

(घ) और (ङ) आई.टी.पी.ओ. द्वारा संबंधित राज्य सरकार के राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ संयुक्त रूप से चेन्नई, बंगलौर और कोलकाता में क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र (आर.टी.पी.सी.) स्थापित किए गए हैं। आई.टी.पी.ओ. को गुवाहाटी में एक आर.टी.पी.सी. के निर्माण का कार्य भी सौंपा गया है।

त्वरित न्यायालयों को लागू न करना

2286. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारें अधीनस्थ न्यायपालिका में करोड़ों लम्बित मामलों का त्वरित निपटान करने हेतु केन्द्र की बहुप्रचारित त्वरित न्यायालयों की योजना लागू करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त योजना को लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) अधिकांश राज्यों ने ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा नियत लक्ष्य के अनुसार त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित कर लिए हैं। तथापि, कुछ राज्यों ने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है।

(ख) ऐसे त्वरित निपटान न्यायालयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शित किया गया है।

(ग) केंद्रीय सरकार त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना को बारीकी से मानीटर करती रही है और उसने राज्यों से शेष बचे त्वरित निपटान न्यायालयों का शीघ्रातिशीघ्र गठन करने का अनुरोध किया है। भारत का उच्चतम न्यायालय भी बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना को मानीटर करता रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 6 मई, 2002 के आदेश में सभी राज्यों को यह निदेश दिया है कि वे शेष बचे त्वरित निपटान न्यायालयों को तीन मास के भीतर गठित करें।

विवरण

19 जुलाई, 2004 को त्वरित निपटान न्यायालयों की प्रास्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंजूर किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	राज्यों द्वारा अधिसूचित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	राज्यों में कार्य कर त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	86	86	86
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	3	3
3.	असम	20	20	20
4.	बिहार	183	183	112
5.	छत्तीसगढ़	31	31	31
6.	गोवा	5	5	05
7.	गुजरात	166	166	165
8.	हरियाणा	36	15	15
9.	हिमाचल प्रदेश	9	9	9
10.	जम्मू-कश्मीर	12	12	
11.	झारखंड	89	89	89
12.	कर्नाटक	93	93	93
13.	केरल	37	27	27
14.	मध्य प्रदेश	85	85	47
15.	महाराष्ट्र	187	187	187
16.	मणिपुर	3	2	2
17.	मेघालय	3	3	3
18.	मिजोरम	3	3	3
19.	नागालैंड	3	2	2
20.	उड़ीसा	72	72	32
21.	पंजाब	29	17	17
22.	राजस्थान	83	83	83
23.	सिक्किम	3	2	
24.	तमिलनाडु	49	49	49
25.	त्रिपुरा	3	3	3
26.	उत्तरांचल	45	45	45
27.	उत्तर प्रदेश	242	242	242
28.	पश्चिमी बंगाल	152	152	118
	योग	1734	1686	1488

[हिन्दी]

श्रमिकों को देय वेतन का भुगतान

2287. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में इस समय बंद पड़ी हुई राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के श्रमिकों को देय वेतन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा बकाया के भुगतान हेतु उनके देयों का निपटारा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) एन.टी.सी. (एम.पी.) लि., इंदौर में सात में से पांच मिलें बंद कर दी गई हैं और इन मिलों की नामवली में दर्ज सभी पात्र कर्मचारियों को संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एम.वी.आर.एस. के लाभ दे दिए गए हैं। अवशेष कार्य के लिए रखे गए कर्मचारियों की मई, 2004 तक की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	कर्मचारियों की संख्या	भुगतान राशि (रु. लाख में)
1.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल, इंदौर	616	1611.73
2.	कल्याण मल मिल, इंदौर	1444	3529.90
3.	हीरा मिल्स, उज्जैन	874	2143.29
4.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनांदगांव	1202	3049.16
5.	इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल, इंदौर	1792	4159.13
	कुल	5928	14493.21

इन कर्मचारियों की मजदूरी सहित सभी बाकायों का निपटान और भुगतान कर दिया गया था।

[अनुवाद]

ब्याज दरों में असमानता

2288. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे ऋण प्राप्त करने वालों के साथ बैंक अच्छा व्यवहार नहीं करते क्योंकि कम ब्याज दरों के लाभ बड़े ऋण प्राप्त करने वालों के पास चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांग ऋणों की न्यूनतम और अधिकतम दरों के बीच अंतर मार्च 2003 में दरों की तुलना में मार्च 2004 में समाप्त हुई तिमाही में 6.25 तक बढ़ गया है;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों की ऋण दरों के बीच अंतर बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो छोटे ऋण प्राप्त करने वालों की तुलना में दरों में भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) अक्तूबर 1994 से वाणिज्य बैंकों की उधार दरों को अविनियमित कर दिया गया है। अब वाणिज्य बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन मांग एवं मीयादी ऋण सहित वैकल्पिक ऋणों पर अपनी उधार दरों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, बैंकों को अपने बेंचमार्क प्राथमिक उधार दर (बी.पी.एल.आर.) को घोषित करने की आवश्यकता होती है। चूंकि प्राथमिक उधार दर बेंचमार्क दर के रूप में कार्य करता है, अत: बैंकों को निर्यातकों समेत ऋण के लिए पात्र उधारकर्ताओं के लिए उप प्राथमिक उधार दर पर उधार देने की अनुमति दी गई है। तथापि, बी.पी.एल.आर. 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए निरंतर अधिकतम सीमा बना हुआ है जो फिलहाल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 10.25 से 11.5 प्रतिशत की सीमा में है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अधिकतम एवं न्यूनतम उधार दरों के बीच की खाई मार्च 2003 और मार्च 2004 के बीच और बढ़ी है, हालांकि मांग एवं मीयादी दोनों ऋणों के लिए उधार दरों में सामान्य गिरावट आई है। तथापि, गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह गिरावट अधिक तीव्र है। अधिकतम दरों पर ठेके वाले व्यवसाय के 5 प्रतिशत को छोड़कर टेनोर अग्रिमों के साथ ही जिन अग्रिमों पर दो अवधि के बीच अधिकांश व्यवसाय (कम से कम 60 प्रतिशत) ठेके पर लिए जाते हैं, के लिए विभिन्न बैंक समूहों के लिए उधार दरों की सीमा निम्नांकित है:—

बैंक समूह	(5 प्रतिशत ठेके पर)		(60 प्रतिशत ठेके पर)	
	मांग ऋण मार्च 2003	मांग ऋण मार्च 2004	मांग ऋण मार्च 2003	मांग ऋण मार्च 2004
सरकारी क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.)	6.00-16.00	4.00-15.50	8.50-15.75	4.00-15.50
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	5.40-19.00	4.50-19.50	5.40-17.50	5.00-17.50

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्राहक संरक्षण एवं अर्थपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए पी.एल.आर. के साथ अधिकतम एवं न्यूनतम उधार दरों की घोषणा करने को कहा है।

धनबाद में अवैध खनन

2289. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनबाद/ईस्टर्न कोलफील्डस कोयला खानों में अवैध खनन चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दसारी नारायण राव): (क) जी हां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में धनबाद से अवैध खनन के मामलों की सूचना मिली है। अवैध खनन क्रियाकलाप बाहरी व्यक्तियों द्वारा परित्यक्त/बन्द/अप्रयुक्त खानों अथवा खनित किए जा चुके क्षेत्रों से प्रच्छन्न तथा गुप्त रूप से किए जाते हैं।

(ख) कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनियों द्वारा कोल फील्डों में अपने पट्टाधारी क्षेत्रों में कोयले के अवैध खनन को रोके जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

1. आसूचना संग्रहण।
2. जहां कहीं संभव हो, अवैध खनन स्थलों को ढहा देना/भर देना।
3. परित्यक्त/अप्रयुक्त खदानों में बाड़ की दीवारें बनाना।
4. अपने सुरक्षा बल तथा सी.आई.एस.एफ. द्वारा 24 घंटे गश्त।
5. कंपनी के सुरक्षा बल/सी.आई.एस.एफ. द्वारा अवैध खनन स्थलों की औचक जांच/छापे।
6. जब कभी छापों के दौरान अवैध रूप से खनित कोयले तथा कोयले के अवैध खनन के औजारों को जब्त किया जाता है तो उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंपा जाता है तथा प्राथमिकी दर्ज की जाती है।
7. अवैध खनन को रोकने में जिला तथा राज्य प्राधिकारियों की सहायता तथा सहयोग के लिए उनके साथ निकट संबंध रखा जाता है।
8. ऐसे संकार्य से कोयला ले जा रहे जब्त ट्रकों को काली-सूची में डालना।

तथापि, कोयला विभाग ने पहले ही कोयला उत्पादक राज्यों के मुख्य सचिवों को अवैध खनन के विरुद्ध उनके अभियान में जिला प्राधिकारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत उचित नियमों को बनाने, यदि पहले से नहीं बनाए गए हैं, पर विचार करने का अनुरोध करते हुए लिखा है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

2290. श्री अजीत जोगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा वर्ष वार कितना विदेशी निवेश किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति बनाई है और एक छोटी नकारात्मक सूची को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त अनिवासी भारतीयों/पी.आई.ओ. को प्रतिनिषद्ध क्रियाकलापों जैसे, कृषिय/बागान क्रियाकलाप/स्थावर संपदा व्यवसाय/फार्म हाउसों का निर्माण/विकास अधिकारों और निधि कंपनियों तथा चिट फंडों, को छोड़कर कंपनियों, फर्मों तथा स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में अप्रत्यावर्तन आधार पर 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश की प्रमात्रा में निम्नानुसार उतार-चढ़ाव हुआ है:

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष (जनवरी-दिसम्बर)	अनुमोदित अनिवासी भारतीय निवेश की राशि	अनिवासी भारतीय निवेश के अंतप्रर्वाह की राशि
2001	135.20	55.66
2002	75.09	5.57
2003	101.17	45.34
2004*	190.15	0.11

*(जनवरी-अप्रैल, 2004)

रनवे का विस्तार

2291. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर रनवे का विस्तार सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पटना लोकनायक जयप्रकाश नारायण विमानपत्तन से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के उद्देश्य से रनवे का विस्तार अक्तूबर, 2003 तक पूरा होना था परन्तु अभी तक नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रनवे का विस्तार कार्य कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास देश में 18 हवाईअड्डों पर मौजूदा रनवे के विस्तार के लिए योजनाएं हैं। कार्य कार्यान्वयन के विनिमय चरणों पर है।

(ग) से (ङ) पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाईअड्डा पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान को शुरू करने के लिए भूमि की अनुप्लब्धता और रनवे के एप्रोच फनल में पहले से मौजूदा रुकावटों के कारण रनवे का विस्तार नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा सभी शिनाख्त की गई रुकावटों को हटाने के बाद ही कार्य को शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल के लम्बित प्रस्ताव

2292. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार से नाबार्ड को त्रिचूर, केरल में कोले लैंड्स में धान के लिए आधारभूत सुविधाओं के मजबूत करने हेतु कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) प्रस्ताव को लंबित रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि केरल के त्रिचूर जिले में कोले लैंड्स में धान के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रस्ताव उसके पास लंबित नहीं पड़ा है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

असम और पूर्वोत्तर राज्यों को वित्तीय संस्थानों से सहायता

2293. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 से मार्च 2003 और वर्ष 2003-04 के दौरान पूरे भारत की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में भारतीय वित्त संस्थानों द्वारा निवेश की गई धनराशि का प्रतिशत कितना है;

(ख) भारत के सभी प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा असम और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में इतने कम निवेश के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन संस्थानों के विकास कोष से असम और पूर्वोत्तर राज्यों को उनके उचित हिस्सा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) अवसंरचना सुविधा का अभाव, छोटा बाजार, दूरस्थ भौगोलिक स्थिति और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की कानून व व्यवस्था की स्थिति ने इस क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को प्रभावित किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। निधियों का प्रवाह अनुकूल निवेश वातावरण और शान्तिपूर्ण स्थिति पर निर्भर करता है। वित्तीय संस्थाओं ने इस क्षेत्र की सभी पात्र और अर्थक्षम परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

	आई.आई.बी.आई.		एक्जिम बैंक		आई.डी.बी.आई.		सिडबी		आई.एफ.सी.आई.	
	1998-2003	2003-04	1998-2003	2003-04	1998-2003	2003-04	1998-2003	2003-04	1998-2003	2003-04
असम	2.9 (0.04%)	0.6 (0.02%)	—	—	24.54 (0.19%)	39.0 (0.84%)	13.71 (0.21%)	4.88 (0.15%)	29.36 (0.22%)	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5.9 (0.08%)	10.9 (0.48%)	1	2	26.98 (0.21%)	39.0 (0.84%)	28.6 (0.44%)	8.85 (0.26%)	3.80 (0.03%)	0
अखिल भारत	6999.8	2252.2	—	—	12850	4656.0	6479.76	3353.91	13127.5	278.18

बैंकों के निदेशकों का विदेश दौरा

2294. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों ने कितनी बार विदेशी दौरा किया;

(ख) उनके प्रत्येक दौरे के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय किया गया;

(ग) प्रत्येक विदेशी दौरे की अवधि क्या है; और

(घ) इन दौरों से संस्थानों को कितना लाभ हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवास ऋण

2295. श्री मणि चारेनामै:

श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय आवास ऋण देने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आवास ऋण की स्वीकृति का उदारीकरण करने और पूर्व प्रभाव से ब्याज दर घटाने का भी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में विशेषकर मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों/गैर-सर्वेक्षण क्षेत्रों/जिलों में रह रहे ग्राहकों को आवास ऋण नहीं दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक (पी.एस.बी.) आवास ऋण दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम हैं—इलाहाबाद बैंक, आन्ध्रा बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, बैंक आफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, यूको बैंक, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया एवं विजया बैंक।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल से जेद्दाह तक उड़ान

2296. श्री कैलाश जोशी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय मुस्लिम तेहवार समिति ने मध्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए भोपाल से जेद्दाह तक सीधी उड़ान हेतु सरकार को ज्ञापन सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अन्य संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ऐसी उड़ानों के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय मुस्लिम तेहवार समिति ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें मध्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए भोपाल से जेद्दाह तक हज चार्टर उड़ान का सीधा प्रचालन करने का अनुरोध किया है।

(ग) इसी प्रकार के अनुरोध भोपाल के मेयर और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त हुए थे।

(घ) लोजिस्टिकल कारणों से, भोपाल को हज उड़ानों के लिए उतरने-चढ़ने के स्थल के रूप में शामिल सम्भव नहीं पाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोसा बीज उत्पादन परियोजना को बंद किया जाना

2297. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला मुख्यालय में स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा कोसा (टसर) बीज उत्पादन परियोजना बंदी के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना में काम कर रहे कर्मचारियों और कामगारों को रोजगार सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या बकोली (डब्ल्यू.सी.एल.) और अन्य कारखानों के वायु प्रदूषण के कारण रेशम के कीड़े मर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजना को वायु प्रदूषण से बचाने हेतु क्या कार्रवाई की है अथवा किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां। केंद्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) ने महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर और भंडारा में दो तसर मूल बीज बहु गुणन सह प्रशिक्षण केन्द्रों (बी.एस.एम.टी.सी.) की स्थापना की है। चन्द्रपुर में बी.एस.एम.टी.सी. अच्छा कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि इस केंद्र के आस-पास स्थित कोयला खदानों और पेपर मिलों से उत्पन्न प्रदूषण के कारण, तसर रेशम-कीटों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई। इसलिए केंद्रीय रेशम बोर्ड ने चन्द्रपुर से मूल बीज उत्पादन क्रियाकलापों को बी.एस.एम.टी.सी. भंडारा में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

(ख) बी.एस.एम.टी.सी., चन्द्रपुर में कार्यरत कर्मचारियों और कामगारों को केंद्रीय रेशम बोर्ड की पास की इकाइयों में पुनः तैनात किया जा रहा है।

(ग) और (घ) बी.एस.एम.टी.सी., चन्द्रपुर के समीपस्थ कोयला खदानों और पेपर मिलों के कारण उत्पन्न प्रदूषण से तसर रेशम कीटों की मृत्यु दर बढ़ गयी है। इसलिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा में अपने मूल बीज उत्पादन क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करना

2298. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न विमानपत्तनों में पिछले दो वर्षों से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दैनिक मजदूरों की नियुक्ति केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में तथा लघु अवधि अनुबंध बाध्यताओं के लिए बहाल किया जाएगा। दैनिक मजदूरों को स्थाई रूप से खपाने का कोई अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास बैंक

2299. श्री किरिप चालिहा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक से अपनी इक्विटी वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के उपरान्त राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यकलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह उपयुक्त होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जिन संस्थाओं को नियंत्रित करता है उन्हें अपने स्वामित्व में न रखे। इससे भारतीय रिजर्व बैंक अपने विनियामक एवं पर्यवेक्षी क्रियाकलापों पर अधिकाधिक ध्यान रखने में समर्थ होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ई.सी.एल. और अन्य कोयला कंपनियों के लिए पुनरूद्धार पैकेज

2300. श्री सुनील खां:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईस्टर्न कोलफील्ड लि., भारत कोकिंग कोल लि., और सेंट्रल कोल फील्ड्स लि. के लिए पुनरूद्धार पैकेज पर विचार कर ही है जैसा कि 6 जुलाई, 2004 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी रुग्णता के क्या कारण है;

(घ) पुनरूद्धार हेतु कुल कितने निवेश की जरूरत है;

(ङ) इसकी समय सीमा क्या है और वित्त पोषण का स्रोत क्या है;

(च) क्या नाल्को की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जाना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) तथा भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) को रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को संदर्भित किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. पिछले दो वर्षों से लाभ कमा

रही है। ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. की पुनरूद्धार योजनाएं बी.आई.एफ.आर. के समक्ष हैं। उक्त सरकार के विचाराधीन भी हैं। इनको समर्थन योग्य पाया गया है। ई.सी.एल. की पुनरूद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ भूमिगत तथा ओपनकास्ट उत्पादन को बढ़ाने, 17 छोटे ओपनकास्ट पैचों की आऊटसोर्सिंग, 519 करोड़ रु. के असुरक्षित ऋण की माफी भारत सरकार से बैक-टू-बैक सहायता सहित सी.आई.एल. द्वारा 1532 करोड़ रु. के चालू लेखा बकाया को इक्विटी में परिवर्तित किये जाने की अपेक्षा की गई है। बी.सी.सी.एल. की पुनरूद्धार योजना में कुछ शीघ्र उत्पादन करने वाली ओपनकास्ट परियोजना के क्रियान्वयन के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने, पुराने उपकरण को बदलना, भूमिगत खानों के आधुनिकीकरण तथा कम से कम एक बड़ी परियोजना के क्रियान्वयन की अपेक्षा की गई है।

(ग) ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. की रुग्णता के मुख्य कारण ये हैं कि इन कंपनियों में कठिन भू-खनन स्थितियों वाली बहुत सी भूमिगत खानें हैं। ये खानें कम उत्पादकता वाली तथा बड़े आकार की हैं और ये तंत्रों के प्रति संशोधनीय नहीं है। इसके अलावा, भुगतान क्षमता के बाहर वेतन तथा जनशक्ति के संशोधन के साथ-साथ राष्ट्रीयकरण के समय भारी जनशक्ति की रिक्थ, उपकरण में अपर्याप्त निवेश, भूमि की अनुपलब्धता इत्यादि भी लगातार घाटे के कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप कंपनी रुग्ण हो गई है।

(घ) और (ङ) 2003-04 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान पुनरुद्धार योजना में यथा उल्लिखित कोयले के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में ई.सी.एल. के मामले में अनुमानित पूंजी निवेश 2956.83 करोड़ रु. है। कंपनी को 2008-09 के अंत में 330 करोड़ रु. का कर-पूर्व लाभ होगा और 2008-09 में इसका धनात्मक निवल मूल्य 27.84 करोड़ रु. होगा। बी.सी.सी.एल. के मामले में 5805 करोड़ रु. की कुल वित्तीय सहायता परिकल्पित है। वर्ष 2010-11 के अंत तक कंपनी का निवल मूल्य 33 करोड़ रु. से धनात्मक हो जाएगा। जहां पुनरुद्धार योजना में यथा परिकल्पित वित्त-पोषण का पर्याप्त भाग कोल इंडिया लि. द्वारा दिया जाएगा, शेष सी.आई.एल. को भारत सरकार द्वारा बैक-टु-बैक सहायता के रूप में मुहैया कराया जाएगा।

(च) और (छ) नालकों ने जुलाई, 2003 के मूल्य स्तर पर 4091.51 करोड़ रु. की निवेश लागत पर अपनी बाक्साइट खान, एल्युमीनियम रिफाइनरी, एल्युमीनियम स्मैलटर तथा गृहीत विद्युत संयंत्र (सी.पी.पी.) क्षमता के द्वितीय चरण विस्तार हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका वित्त-पोषण पूर्णतः कंपनी के आंतरिक संसाधनों तथा वाणिज्यिक ऋणों से किया जाएगा। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने अपनी 6.2.2004 को हुई बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित विस्तार के पश्चात् विभिन्न सुविधाओं की क्षमता निम्नानुसार होगी:—

(टन प्रतिवर्ष)

क्षेत्र	वर्तमान क्षमता	प्रस्तावित विस्तार के पश्चात् क्षमता
बाक्साइट खान (टन प्रतिवर्ष)	48,00,000	63,00,000
एल्युमीनियम रिफाइनरी (टन प्रतिवर्ष)	15,75,000	21,00,000
एल्युमीनियम स्मैलटर (टन प्रतिवर्ष)	3,45,000	4,60,000
गृहीत विद्युत संयंत्र (मे.वा.)	960	1200

आई.एफ.सी.आई.-पी.एन.बी. विलय

2301. श्री मनोज कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम-पंजाब नैशनल बैंक के विलय संबंधी औपचारिकताओं में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.एफ.सी.आई. के कर्मचारियों ने इसके पुनरुद्धार हेतु सरकार को पुनः अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आई.एफ.सी.आई. का वित्तीय कार्यनिष्पादन समूचे वित्तीय प्रणाली में जोखिम का द्योतक होता है। अन्य वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ आई.एफ.सी.आई. के विलय के विकल्प पर इसके आलोक में विचार किया गया है। आई.एफ.सी.आई. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है। सरकार की आई.एफ.सी.आई. में कोई शेयर धारिता नहीं है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था में आई.एफ.सी.आई. का विलय और इसकी गति आई.एफ.सी.आई. के निदेशक मंडल के निर्णय पर निर्भर करेगी।

(ग) आई.एफ.सी.आई. कर्मचारी संघ आई.एफ.सी.आई. का आई.डी.बी.आई. में विलय की मांग को लेकर अभ्यावेदन देता रहता है।

(घ) सरकार का यह मानना है कि आई.एफ.सी.आई. का परिचालन आधारणीय है तथा पूरी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए जोखिम दर्शाता है।

(ङ) विलय से संबंधित निर्णय आई.एफ.सी.आई. के निदेशक मंडल द्वारा संस्था, जो अधिकतम सहक्रिया प्रदान करती है, के विश्लेषण के आधार पर लिया जाएगा।

देवू मोटर्स द्वारा की गई धोखाधड़ी

2302. डा. पी.पी. कोया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कार्पोरेट इतिहास में देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड और कोरिया में इसकी मूल कंपनी द्वारा बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई जिसमें भारतीय बैंकों के 1500 करोड़ रुपए डूब गए और यह बात हाल ही में प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अनुमानतः कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) जमाकर्ताओं की राशि को हड़पने में कंपनी ने कौन-से तौर-तरीके अपनाए; और

(घ) सरकार द्वारा जमाकर्ताओं की राशि को वसूलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में किसी धोखाधड़ी की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को अब तक नहीं दी गई है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक तथा सहायता संघ के अन्य सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने देवू मोटर्स के खाते को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है तथा मामले ऋण वसूली अधिकरण, नई दिल्ली तथा मुम्बई में दायर किए गए हैं। कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 235 के तहत देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड के कार्यों की जांच के आदेश दिए गए थे तथा गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के एक पदाधिकारी को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी कार्य मंत्रालय में प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट की परीक्षा पूरी हो चुकी है।

चाय नीलामी प्रणाली

2303. श्री विकास चौधरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चाय नीलामी प्रणाली को सुधारने हेतु फर्ग्यूशन समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) चाय की नीलामी कीमतों में गिरावट तथा खुदरा कीमतों में ऐसी गिरावट न प्रदर्शित होने के प्रति चिंतित होकर चाय की प्राथमिक विपणन प्रणाली का अध्ययन मै. ए.एफ. फर्ग्यूसन एंड कं. के जरिए कराया गया था। नीलामी प्रणाली के संबंध में फर्ग्यूसन समिति की मुख्य सिफारिशों में लाटों के विभाजन तथा प्रतिनिधिक बोली को हतोत्साहित करना, अधिकतम नमूना सीमा निर्धारित करना, मात्रा की अपेक्षा भार के रूप में लाट के आकार को परिभाषित करना, बागान स्तर पर बिक्री शुरू करना तथा इलेक्ट्रोनिक नीलामी प्रणाली शुरू करना शामिल हैं।

(ख) और (ग) मै. ए.एफ. फर्ग्यूसन एंड कं. की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने चाय विपणन नियंत्रण आदेश (टी.एम.सी.ओ.) 1984 के स्थान पर दिनांक 01.01.2003 को टी.एम.सी.ओ., 2003 को अधिसूचित किया था। चाय बोर्ड द्वारा अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी कीमत प्राप्ति तंत्र के लिए नीलामी नियमावली में परिवर्तन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। चाय बोर्ड के नए इंटरनेट आधारित इंडिया टी पोर्टल के अंतर्गत कोयम्बटूर तथा गुवाहाटी में चाय की इलेक्ट्रानिक नीलामियां शुरू की गई हैं। यह उस स्कीम का भाग है, जिसमें सिलीगुड़ी, कोलकाता, कोच्ची तथा कुन्नूर स्थित नीलामी केन्द्र भी शामिल हैं।

ग्राउंडिंग ऑफ जेट एयरवेज

2304. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 15 जून, 2004 को हिन्दुस्तान टाइम्स के दिल्ली संस्करण में ***जेट एयरवेज ग्राउण्डेड बिफोर टेक ऑफ*** शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जेट एयरवेज ने गैर-सार्क देशों से अनुमति लेने के पूर्व सरकार से सुरक्षा स्वीकृति ली है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार सार्क देशों के मार्ग पर परिचालन के लिए जेट एयरवेज को पहले ही दी गई सुरक्षा स्वीकृति पर पुनर्विचार करेगी;

(ङ) क्या तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं, वित्तपोषण के स्रोतों, वैधता और एयरलाइन के स्वामित्व की स्थिति पर जेट एयरवेज के बारे में कोई जांच शुरू की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन नीति पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है। घरेलू एयरलाइनों को विश्वभर में प्रचालन करने की अनुमति दिए जाने के प्रश्न पर नई नीति में ध्यान दिया जाएगा।

(ग) और (घ) जेट एयरवेज को केवल श्रीलंका, नेपाल और बंग्लादेश के लिए प्रचालन करने के लिए नामित किया गया है।

(ङ) से (छ) मामला सरकार की जांच के अधीन है।

[हिन्दी]

बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि

2305. श्री सुरेश चन्देलः

श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादवः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न खातों में ऐसी कुल कितनी राशि जमा है जिसके दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 तक कोई दावेदार नहीं थे;

(ख) मार्च, 2004 तक राष्ट्रीयकृत और अन्य वाणिज्यिक बैंकों की कुल कितनी राशि भारतीय रिजर्व बैंक के निष्क्रिय खाते में पड़ी है;

(ग) क्या निष्क्रिय बचत खाते में पड़ी राशि का इसके वास्तविक उत्तराधिकारियों को भुगतान कर दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले 20 वर्षों से निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि का कितना उपयोग किया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न खातों में जमा धन राशि 425.24 करोड़ रु. है जिनका कोई दावेदार नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31.12.2003 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निष्क्रिय खातों में पड़ी कुल राशि नीचे दी गई है:

(राशि करोड़ रु. में)

बैंक समूह	राशि करोड़ में (रुपए)
बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक समूह	145.67
राष्ट्रीयकृत बैंक	504.21
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	50.31
विदेशी बैंक	42.01
योग	742.20

(ग) और (घ) वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निष्क्रिय बचत खातों में पड़ा धन कानूनी उत्तराधिकारी, यदि दावा किया जाए, को अदा किया जाता है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि बैंक की देयता का हिस्सा है तथा सामान्य रूप से अभिनियोजित की जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य

2306. श्री थावर चंद गेहलोतः

श्री निहाल चन्दः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लक्ष्य हासिल करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) मार्च, 2004 के अंत की स्थिति के अनुसार, देश-भर में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 4.14 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) जारी कर दिये गए थे। बहुत से किसान वित्तीय संस्थाओं को अदायगी में चूक, स्पष्ट स्वत्व विलेखों के अभाव, आदि जैसे कारणों से अपात्र रहे। हालांकि वर्ष 2004-05 के दौरान के.सी.सी. जारी करने का कोई आंकिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने के.सी.सी. के जरिये संस्थागत ऋण की अधिक व्यापकता सुनिश्चित करने के लिये बैंकों को निम्नलिखित निर्देश जारी किये हैं:

(i) मौखिक पट्टेदारों और चूककर्ताओं सहित उन किसानों, जो अभी तक के.सी.सी. योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं, को पहचानने और उनको योजना के अंतर्गत लाने के लिये सभी संभव प्रयास करना और यह सुनिश्चित करना कि के.सी.सी. बाधा-रहित तरीके से नवीकृत होते रहें;

(ii) चूककर्ताओं को अपने बकाये निपटाने के लिये प्रेरित करने के लिए एक समय-बंधित कार्यक्रम शुरू करना, जिससे के.सी.सी. योजना के लाभ उनको भी उपलब्ध कराए जा सकें;

(iii) उनकी शाखाओं को उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करना, जिससे फसल ऋण केवल के.सी.सी. के जरिये ही दिए जा सकें।

हज यात्रा पर व्यय की गई राशि

2307. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा हज यात्रा पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार ने हज यात्रियों के लिए व्यय की जाने वाली राशि में वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बढ़े व्यय का वर्ष-वार विवरण क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) हज-2002, हज-2003 तथा हज-2004 के दौरान हज प्राचलनों पर सब्सिडी के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई अनुमानित राशि क्रमश: लगभग 175.00 करोड़ रुपये, 172.00 करोड़ रुपये तथा 160.00 करोड़ रुपये थी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कानूनी सहायता

2308. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को कानूनी सहायता देने का है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार ने विधि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मांगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न सरकारी एजेन्सियों से कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने इन सुझावों का अवलोकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ङ) सरकार समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और समुचित विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पहले ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को अधिनियमित कर चुकी है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12(क) के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ऐसा कोई सदस्य, जिसे कोई मामला फाइल करना है अथवा किसी मामले में प्रतिवाद करना है, उसकी आय को ध्यान में न रखते हुए, विधिक सेवाओं के लिए हकदार है।

[अनुवाद]

विमानों को बेड़े से हटाना

2309. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ विमानों को बेड़े से हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में कार्यशील विमानों की संख्या कितनी हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) विमानों को हटाना एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान अर्जन और लीज योजना से जुड़ा है।

(ग) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास क्रमश: 33 और 63 का विमान बेड़ा है।

सेवाओं को नियमित किया जाना

2310. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लम्बे समय से एलायंस एयर के कर्मचारी अपनी सेवाओं को नियमित किए जाने और इंडियन एयरलाइंस के समतुल्य वेतन की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एयाइंस एयर के कर्मचारियों की यह मांगें हैं कि उनके वेतन ढांचे में संशोधन किया जाए और कंपनी ने इस मामले की समीक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं

2311. श्री मोहन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 87 शाखाएं खोली गई थीं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	बैंक समूह	2001-02	2002-03	2003-04
1.	राष्ट्रीयकृत बैंक	11	36	15
2.	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	8	6	11
	कुल	19	42	26

[हिन्दी]

चीनी मिलें

2312. श्री योगी आदित्यनाथ: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत देश में कार्य कर रही चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कार्य कर रही/बंद पड़ी इन मिलों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बंद पड़ी इन चीनी मिलों के पुनरूद्धार हेतु कोई कार्य योजना/योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन फिलहाल कोई सुगर मिल नहीं चल रही है। गणेश सुगर मिल, स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. (एन.टी.सी. (उ.प्र.) लि. की एक सहायक कंपनी) की एक इकाई है, जो बी.आई.एफ.आर. की सिफारिशों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार परिसमापन के अधीन है। कानपुर सुगर वर्क्स लिमिटेड (सी.एस.डब्ल्यू.एल.) में ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन की समग्र शेयर होल्डिंग, सी.एस.डब्ल्यू.एल. के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन योजना के अनुसार मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लि. (एक निजी कंपनी) को हस्तांतरित की गई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर के लिए एयरबस सेवा

2313. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इन्दौर के लिए एयर बस सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस एयरबस ए-319 विमान को लीज पर लेने की प्रक्रिया में है। इन विमानों की उपलब्धता के आधार पर इन्दौर को/से मौजूदा बी-737 विमानों को एयरबस ए-319 द्वारा बदल दिया जाए।

[अनुवाद]

तिरुअनंतपुरम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2314. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से तिरुअनंतपुरम, केरल में उच्च न्यायालय की खंडपीठ गठित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) किसी उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से दूर उसकी न्यायपीठ की स्थापना किए जाने पर तभी विचार किया जाता है जब संबंधित राज्य सरकार से, उस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होता है। तथापि, केरल सरकार से इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पान मसाला से अर्जित उत्पाद शुल्क

2315. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुटका और पान मसाला कंपनियों से वर्षवार कितना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अर्जित किया गया है;

(ख) क्या यह घट रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी कंपनियां अपने शुल्क का भुगतान करें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) महोदय, गुटका और पान मसाला से राजस्व वसूली का आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि पान मसाला और खाने वाली तम्बाकू और ऐसी वस्तुओं तथा गुटका सहित विविध खाद्य वस्तुओं से वसूले गये उत्पाद शुल्क की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पान मसाला सहित विविध खाद्य वस्तुओं से वसूल गया उत्पाद शुल्क बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। तथापि वर्ष 2003-04 में खाने वाली तम्बाकू और ऐसी वस्तुओं एवं गुटका से वसूले गए उत्पाद शुल्क में मामूली कमी आई है।

(ग) पान मसाला और गुटका सहित सभी उत्पाद शुल्क्य वस्तुओं के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय निर्धारणों की संवीक्षा, निवारक जांच और लेखा परीक्षा करते हैं कि निर्धारितियों द्वारा शुल्क का सही भुगतान किया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान गुटका और पान मसाला से अर्जित राजस्व

क्र.सं.	विवरण	वसूल किए गए उत्पाद शुल्क की राशि करोड़ रुपयों में		
		वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04
1.	बजट शीर्ष 29, जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के उप-शीर्ष 2404.41 (खाने वाली तम्बाकू और ऐसी वस्तुएं) और 2404.49 (गुटका) शामिल है।	630.70	631.98	613.50
2.	बजट शीर्ष 23 जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ (पान मसाला सहित विविध खाद्य वस्तुएं) का अध्याय 21 शामिल है।	366.26	369.58	388.19

[हिन्दी]

बकाया ऋण के कारण उद्योगों का बंद होना

2316. डा. रामलखन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंक ऋण की देनदारी रखने वाले उद्योगों का अलग-अलग विवरण क्या है;

(ख) संवितरित ऋण की कितनी प्रतिशत राशि लौटायी गयी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बैंक ऋण नहीं लौटाए जाने के कारण बंद हुए उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) मार्च, 2003 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार, बैंक ऋणों की देयता रखने वाले उद्योगों का अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) विभिन्न कारकों के कारण इकाइयां बन्द हो सकती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान बन्द हुए उद्योगों को दर्शाने वाली राज्य-वार सूची के विवरण-III में दी गई है।

(घ) रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास समेत औद्योगिक पुनर्वास के सभी क्षेत्रों अर्थात् प्रारम्भिक स्तर पर औद्योगिक रुग्णता का पता लगाना, लाभप्रदता अध्ययन करना, राहत एवं रियायतें देना, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में समन्वय, मानदंड एवं प्रवर्तकों के अंशदान, चुकौती की बढ़ाई गई अवधि, कर्ज को इक्विटी में बदलना, ब्याज दर रियायतें तथा दांडिक ब्याज से छूट, आदि को शामिल करते हुए व्यापक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विवरण-I

(राशि करोड़ रु. में)

उद्योग	सरकारी क्षेत्र		गैर-सरकारी क्षेत्र		संयुक्त/सहकारी		योग	
	इकाइयां	बकाया	इकाइयां	बकाया	इकाइयां	बकाया	इकाइयां	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंजीनियरी	17	455.25	177	1395.49	4	51.70	198	1902.44
विद्युत	19	225.10	118	804.13	7	77.21	144	1106.44
कपड़ा	73	287.25	582	4523.09	11	67.37	670	4883.52
					4*	5.81*		
जूट	6	23.43	22	100.15	—	—	28	123.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पेपर	6	31.03	142	646.30	3	5.09	152	683.17
					1*	0.76*		
रबर	1	31.31	30	158.10	—	—	31	189.40
सीमेंट	5	204.52	74	730.46	2	23.32	81	958.30
लोहा एवं इस्पात	11	170.83	285	4282.20	10	355.79	306	4808.82
चीनी	8	21.06	21	208.16	1	6.86	31	254.51
					1*	18.44*		
रसायन	26	390.77	298	2639.60	14	31.02	338	3061.39
धातु एवं धातु उत्पाद	8	69.69	128	1165.06	4	12.39	140	1247.14
वनस्पति तेल	4	10.46	96	448.35	2	9.51	102	468.33
तम्बाकू	—	—	2	29.53	—	—	2	29.53
चमड़ा	2	1.50	40	187.34	2	3.66	44	192.50
रत्न तथा जेवरात	—	—	24	66.07	—	—	24	66.07
खाद्य प्रकमण	5	32.03	130	843.06	2	34.80	137	909.90
वाहन	9	230.27	34	1114.88	2	0.96	45	1346.11
विविध	52	666.43	847	6086.51	22	82.12	923	6878.74
					2*	43.68*		
योग	252	2850.92	3050	25428.47	86	761.81	3396	29109.89
	(7.4)	(9.8)	(89.9)	(87.4)	(2.5)	(2.6)	(100.0)	(100.0)
					8*	68.69*		
					(0.2)*	(0.2)*		

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल बकाया की तुलना में प्रतिशत को बताते हैं। ओ.एस. : बकाया

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण जरूरी नहीं कि घटकों का आड़ा तथा उर्ध्वमुखी योग मेल खाए।

विवरण-II

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की उद्योग-वार स्थिति

(राशि करोड़ रु. में)

उद्योग	इकाइयों की सं.	बकाया बैंक ऋण	कुल बकाया में % शेयर
1	2	3	4
इंजीनियरी	10808	530.78	9.3
विद्युत	3824	172.38	3.0

1	2	3	4
कपड़ा	8117	602.51	10.5
जूट	381	25.48	0.4
पेपर एवं उत्पाद	1564	114.27	2.0
रबर एवं उत्पाद	1848	98.38	1.7
सीमेंट	315	20.11	0.4
लोहा एवं इस्पात	3998	320.21	5.6
चीनी	535	14.52	0.3
रसायन	3611	381.36	6.7
धातु एवं धातु उत्पाद	1798	186.06	3.3
वनस्पति तेल	897	76.01	1.3
तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	119	4.30	0.1
चमड़ा एवं उसके उत्पाद	2170	165.45	2.9
रत्न तथा जेवरात	227	46.16	0.8
खाद्य प्रकमण एवं निर्माण	2473	260.28	4.6
वाहन एवं वाहन निर्माण	283	29.54	0.5
विविध	25012	2658.57	46.6
योग	167980	5706.35	100.0

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण जरूरी नहीं कि घटकों का आड़ा तथा उर्ध्वमुखी योग मेल खाए।

विवरण-III

2001 से 2003 तक बन्द हुई गैर लघु उद्योग इकाईयों की संख्या तथा बकाया बैंक ऋण को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.		2001		2002		2003	
		इकाई	बकाया राशि	इकाई	बकाया राशि	इकाई	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	6.43	1	0.99	2	9.26
2.	असम	28	46.18	14	30.43	14	178.36
3.	मेघालय	4	5.22	3	4.68	3	5.28
4.	मिजोरम	3	8.38	3	8.57	3	8.23
5.	झारखण्ड	0	0.00	12	69.78	14	69.81

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	बिहार	49	350.65	26	188.88	32	295.17
7.	पश्चिम बंगाल	137	468.58	120	477.92	121	487.56
8.	नागालैण्ड	3	5.29	7	7.39	8	36.38
9.	मणिपुर	3	3.51	2	3.46	2	4.18
10.	उड़ीसा	28	67.55	28	69.36	25	62.85
11.	सिक्किम	1	8.35	1	6.35	1	6.35
12.	त्रिपुरा	3	5.44	1	2.08	0	0.00
13.	उत्तर प्रदेश	135	488.94	113	420.81	129	443.48
14.	उत्तरांचल	0	0.00	13	35.96	12	71.53
15.	छत्तीसगढ़	0	0.00	12	47.28	14	85.02
16.	दिल्ली	56	418.36	60	365.76	58	384.93
17.	पंजाब	45	224.58	50	229.57	53	371.57
18.	हरियाणा	66	348.65	63	329.62	53	273.78
19.	चण्डीगढ़	13	51.10	15	42.09	13	47.37
20.	जम्मू एवं कश्मीर	5	7.97	2	2.80	6	8.37
21.	हिमाचल प्रदेश	19	14.45	18	19.54	17	17.68
22.	राजस्थान	55	176.99	41	126.43	48	251.67
23.	गुजरात	194	805.34	199	651.56	229	1007.07
24.	महाराष्ट्र	267	1197.94	294	1247.33	292	2045.85
25.	दमन एवं दीव	4	19.87	5	28.04	6	93.95
26.	गोवा	4	5.50	4	3.01	6	21.27
27.	दादरा एवं नागर हवेली	7	8.59	5	5.66	8	171.32
28.	मध्य प्रदेश	86	576.21	56	219.93	60	302.93
29.	आन्ध्र प्रदेश	183	609.01	179	419.34	173	610.81
30.	कर्नाटक	111	454.54	111	465.11	119	546.47
31.	तमिलनाडु	134	434.36	143	558.33	158	748.52
32.	केरल	20	40.91	17	29.40	24	100.89
33.	पांडिचेरी	6	35.88	5	8.80	8	14.13
	कुल	1671	6895.77	1623	6126.26	1711	8782.04

[अनुवाद]

निजी बैंकों के स्वामित्व के बारे में नीति

2317. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री रघुनाथ झा:
श्री विजय कृष्ण

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी बैंक पूरे देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि में देश में कार्यशील निजी बैंकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) देश में निजी बैंकों की संख्या में बढ़ोत्तरी का सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर क्या असर पड़ा है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निजी बैंकों के स्वामित्व के बारे में नयी नीति जारी की है;

(ङ) यदि हां, तो नीति संबंधी रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और

(च) इस नयी नीति के जारी करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों, जिनकी संख्या 31 है, की शाखाओं की संख्या 30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार 5624 से थोड़ा सा बढ़कर 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 5693 हो गई। गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंकों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	बैंकों की संख्या	राज्य	बैंकों की संख्या
महाराष्ट्र	10	आन्ध्र प्रदेश	1
केरल	5	मध्य प्रदेश	1
तमिलनाडु	5	गोवा	1
उत्तर प्रदेश	1	राजस्थान	1
कर्नाटक	2	पंजाब	1
गुजरात	2	जम्मू एवं कश्मीर	1
		कुल	31

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश से बैंकिंग प्रणाली में बेहतर प्रतिस्पर्द्धा पैदा हुई है। इसने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ग्राहकों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने तथा अपनी प्रौद्योगिकी सेवाओं का उन्नयन करने के लिए प्रेरित किया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 जुलाई, 2004 को विचार-विमर्श तथा प्रतिपुष्टि के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व एवं अभिशासन के संबंध में व्यापक प्रारूप नीति जारी की है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की निवल क्षमता 300 करोड़ रु. होनी चाहिए।

(ii) कोई भी अकेली कंपनी या संबंधित कंपनियों का समूह गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक किसी बैंक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर धारिता या नियंत्रण नहीं रखेगा।

(iii) नए बैंकों के लिए प्रवर्तकों की शेयर धारिता को शुरूआत में अपेक्षाकृत अधिक रखने की अनुमति होनी चाहिए लेकिन इसे तीन वर्ष की अवधि में कम करके 10 प्रतिशत की सीमा तक ले जाना अपेक्षित होगा।

(iv) गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक को किसी अन्य गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक में निवेशक बैंक की चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत तक ही शेयर रखने की अनुमति होगी।

(v) किसी अकेली कंपनी या संबंधित कंपनियों के समूह द्वारा एफ.डी.आई. 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(vi) बैंक के बोर्ड में किसी परिवार के एक सदस्य से अधिक या निकट संबंधी या सहयोगी नहीं होना चाहिए।

(च) इस प्रारूप नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण पूर्णत: विशाखित हो। बैंकों का स्वामित्व और प्रबंधन "सही और उचित" व्यक्तियों/कंपनियों के हाथों में हो। बैंकों का पूर्णरूपेण पूंजीकरण किया गया हो और यह कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और उचित हो।

तीन बार तलाक कहने संबंधी प्रणाली

2318. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तीन बार तलाक कहने संबंधी कानून में परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तीन बार तलाक कहने संबंधी कानून में सुधार करने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विश्वास में लेना आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यथासंशोधित प्रस्तावित कानून के कब तक देश में कार्यान्वित होने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) केंद्रीय सरकार की संगत नीति यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों

की स्वीय विधियों में तब तक कोई हस्तक्षेप न किया जाए जब तक कि संबंधित समुदाय के काफी बड़े वर्ग से इस बारे में पहल न की जाए। इस समय, "तीन बार तलाक कहने" से संबंधित विधि को उपांतरित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि किसी स्वीय विधि को उपांतरित करने से पूर्व मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड जैसे किसी विनिर्दिष्ट निकाय को विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता होती है। तथापि, किसी महत्वपूर्ण विधि का संशोधन किए जाने से पूर्व व्यापक परामर्श किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों द्वारा चूककर्ताओं को नोटिस जारी नहीं करना

2319. श्री रघुनाथ झा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा कानूनों से लैस होने के बावजूद ऋण नहीं चुकाने पर भी बैंक अधिकारी चूककर्ताओं को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे बैंक अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को प्रदत्त ऋण की स्थिति

2320. श्री पी. करुणाकरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को प्रदत्त केन्द्रीय ऋणों की राज्यवार और श्रेणीवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार के कुल व्यय के 10 प्रतिशत से भी अधिक भाग इन ऋणों के ब्याज के रूप में बनता है;

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना आयोग के संकल्पना पत्र में राज्यों को प्रदत्त सभी केन्द्रीय ऋणों को माफ करने का सुझाव दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण के कॉलम 3 और 5 में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। तीन राज्यों अर्थात् मणिपुर, मेघालय और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण के कॉलम 6 से 8 पर दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार वित्त मंत्रालय का बकाया बकाया			2003-04 (ब.अनु.)		
					कुल ब्याज	कुल व्यय (राजस्व+पूंजी)	कुल व्यय के % के रूप में ब्याज का कुल भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17616	929	18545	6924	40480	17.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	406	3	409	151	1473	10.22
3.	असम	1558	1443	3001	1737	13397	12.97
4.	बिहार	8806	1375	10181	3417	18735	18.24

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	2559	189	2748	998	9541	10.45
6.	गोवा	558	28	586	301	2989	10.07
7.	गुजरात	11352	2685	14037	5542	29771	18.62
8.	हरियाणा	2758	870	3628	2221	12896	17.22
9.	हिमाचल प्रदेश	868	909	1777	1876	7318	25.63
10.	जम्मू-कश्मीर	2181	517	2698	1150	8624	13.33
11.	झारखण्ड	2756	297	3052	990	9479	10.45
12.	कर्नाटक	9427	1128	10555	3631	27021	13.44
13.	केरल	5003	515	5517	2738	17316	15.81
14.	मध्य प्रदेश	8456	521	8978	3000	21223	14.14
15.	महाराष्ट्र	9729	6437	16167	8306	49462	16.79
16.	मणिपुर	381	408	789	214	2292	9.35
17.	मेघालय	337	20	357	183	2068	8.84
18.	मिजोरम	290	1	291	158	1310	12.09
19.	नागालैंड	325	34	359	271	2284	11.85
20.	उड़ीसा	7627	1338	8965	3250	15363	21.15
21.	पंजाब	3995	1402	5397	3473	21126	16.44
22.	राजस्थान	7278	2327	9605	4793	24498	19.57
23.	सिक्किम	200	9	208	94	2180	4.31
24.	तमिलनाडु	8811	369	9181	4546	31762	14.31
25.	त्रिपुरा	534	22	556	337	2992	11.26
26.	उत्तरांचल	268	40	308	796	7591	10.48
27.	उत्तर प्रदेश	21516	5892	27407	11004	59723	18.43
28.	पश्चिम बंगाल	10604	8452	19056	9426	35645	26.44
	कुल	146199	38160	184359	81527	478560	17.04

स्रोत:—आंकड़े राज्य वित्त 2003-04 पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के कॉलम (6) तथा (7) से लिए गए हैं।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए स्थायी कोष

2321. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प पेशे को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान राज्य में हस्तशिल्प पेशे के लिए विशिष्ट पैकेज देने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक यह पैकेज दिया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए स्थायी कोष गठित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए सरकार की वर्तमान योजनाएं राजस्थान राज्य में भी, इस राज्य की हस्तशिल्प क्षेत्र संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) हस्तशिल्प क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताएं देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न प्लान योजनाओं के अंतर्गत किये गये बजटीय आबंटन से पूरी की जाती हैं।

लघु बचतों पर ब्याज दर

2322. श्री महेश कनोडीया:

श्री गुरुदास दासगुप्त:

श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बैंकों और डाकघरों इत्यादि में दीर्घकालीन बचतों पर ब्याज दर में कमी से वरिष्ठ नागरिकों को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु बचतों पर ब्याज दर और कम करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों में निवेश की आदत डालने को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और डाकघरों में छोटी बचतों पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) वित्त मंत्री ने 8 जुलाई, 2004 को अपने बजट भाषण में एक नई वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू करने की घोषणा पहले ही कर दी है जिस पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्राप्त होगा। उन्होंने यह घोषणा भी की है कि लघु बचत लिखतों पर ब्याज की वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन करने का उनका विचार नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों सहित आम जनता के बीच मितव्ययिता और बचत की आदत डालने और लघु बचत योजनाओं के जरिए संसाधनों के जुटाव में वृद्धि करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर उचित कदम उठाये जाते हैं।

एच.सी.एल. खानों को बंद करना

2323. श्री सूरज सिंह: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड स्थित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की प्रसंस्करण इकाई और बेडिया, पत्थरगौडा, केंदाडीह और सुरदा (उत्तर और दक्षिण) खानें बंद पड़ी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बंद खानों को पुनः क्रियाशील बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच.सी.एल.) की झारखंड राज्य में स्थित प्रोसेसिंग इकाई यथा इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (आई.सी.सी.) का स्मेल्टर और रिफायनरी संयंत्र प्रचालन में हैं। आई.सी.सी. कॉम्प्लेक्स में स्थित खानों यथा सुरदा, पत्थरगोडा, केंदाडीह, राखा और बाडिया सहित मोसावनी को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होने तथा संचित घाटे के कारण बन्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग) सुरदा में खनन प्रचालनों को वर्कर्स कॉपरेटिव के माध्यम से पुनः आरम्भ करने के उद्देश्य से मामले को झारखण्ड राज्य सरकार के साथ उठाकर पट्टे के नवीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की गई है।

सामाजिक संस्थाओं को आयकर में छूट

2324. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 35 सी.सी./35/1,2 सी.सी. के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक विकास में लगी सामाजिक संस्थाओं को कर में छूट प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 35 सी.सी./35/1,2 सी.सी. के अंतर्गत किन-किन संस्थाओं को कर में छूट प्रदान की गई है;

(ग) क्या इन संस्थाओं द्वारा अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर अधिनियम की धारा 35 क ग के अंतर्गत चलाए जाने वाले कारोबार पर एक कर दाता को, किसी भी पात्र परियोजना अथवा स्कीम को चलाने हेतु राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी एसोसिएशन या संस्था को अदा की गई किसी भी धनराशि पर शत-प्रतिशत छूट उपलब्ध है। राष्ट्रीय समिति का तात्पर्य आयकर

अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति से है। पात्र परियोजना अथवा स्कीम का तात्पर्य जनता के सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के संवर्धन अथवा जनता के उत्थान के लिए ऐसी परियोजना अथवा स्कीम से है जिसके पक्ष में केन्द्र सरकार राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। धारा 35 ग ग को दिनांक 1.4.1989 से प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा निकाल दिया गया है। धारा 35 (1) (ii) में किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन को अदा की गई किसी भी राशि पर भारित छूट की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करना हो अथवा जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु किया जाना हो। ऐसे एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा संस्था को, केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए अनुमोदित करना अपेक्षित होता है। धारा 35 (1) (iii) सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्था को अदा की गई किसी भी धनराशि पर छूट की व्यवस्था करता है। ऐसे विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा संस्था का, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित होता है। धारा 35 (2) करदाता द्वारा चलाए जाने वाले कारोबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजी की प्रकृति वाले व्यय के संबंध में छूट बताता है।

(ख) ऐसी संस्थाओं के नाम जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाता है, सरकारी राजपत्र में विधिवत अधिसूचित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रत्येक संस्था आदि जिसे धारा 35 क ग के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है, उसे परियोजना की प्रगति, जुटाए गए संसाधनों और उनके उपयोग दर्शाते हुए वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। धारा 35 क ग की उपधारा (4) और (5) यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रीय समिति इस बात से संतुष्ट है कि वे सभी या उनमें से कोई एक शर्त जिनके अंतर्गत संस्था या परियोजना को अनुमोदित किया गया था, के अनुरूप परियोजना या स्कीम नहीं चलाई जा रही है, तो संस्था या परियोजना को प्रदान किया गया अनुमोदन वापस लिया जा सकता है और संस्था को उसके द्वारा संग्रह किए गए दान की पूरी राशि पर कर देने के लिए कहा जा सकता है।

[अनुवाद]

विद्युतकरघा इकाइयों का आधुनिकीकरण

2325. श्री तथागत सत्पथी:

श्री परसुराम माझी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विद्युतकरघा, हथकरघा और कपड़ा इकाइयों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार किया गया विशिष्ट कार्यक्रम क्या है;

(ग) दसवीं योजना और गत तीन वर्षों के दौरान इन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उपर्युक्त इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु कुछ विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन को गति प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को 6 नवंबर, 2003 से 60 लाख रु. तक की लागत की निर्धारित प्रौद्योगिकी की बुनाई मशीनों के लिए 20 प्रतिशत की दर से ऋण से संबद्ध पूंजी सब्सिडी के रूप में विद्युतकरघा एककों का आधुनिकीकरण कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है। हथकरघा क्षेत्र के संबंध में बुनकरों को उनके करघों के आधुनिकीकरण के वास्ते सहायता देने के लिए दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

(ग) दसवीं योजना और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर व्यय करने के लिए प्रस्तावित निधियों के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए में)

	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
10वीं योजना परिव्यय	1270.00	257.00
2001-2002	199.00	57.25
2002-2003	203.00	77.30
2003-2004	249.00	64.22

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को ऋण देना

2326. श्री सुकदेव पासवान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशि और अग्रिम के बीच काफी अंतर है; और

(घ) सरकार द्वारा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्राहकों/किसानों को ऋण/अग्रिम राशि प्रदान करने संबंधी असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान कर रहे हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बिहार राज्य में बारह राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाएं हैं। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार इस संबंध में ऋण जमा (सी.डी.) अनुपात की स्थिति 19.88 प्रतिशत से 41.93 प्रतिशत के बीच अलग-अलग है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार में कम ऋण जमा अनुपात के मुद्दे को राज्य में बैंकों, राज्य सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं के साथ तथा डी.एल.सी.सी./डी.एल.आर.सी./एस.एल.बी.सी. की बैठकों में भी उठाया है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बैंकों का ऋण जमा अनुपात 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 24.42 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 28.75 प्रतिशत हो गया है।

एक्जिम बैंक और आई.डी.बी.आई. द्वारा धनराशि का संवितरण

2327. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एक्जिम बैंक और आई.डी.बी.आई. बैंक द्वारा राज्यवार कुल कितने ऋण का संवितरण किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन दोनों संगठनों का वित्तीय कार्य निष्पादन क्या रहा;

(ग) आज की तारीख के अनुसार दोनों बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियां क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एन.पी.ए. स्तर को नीचे लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(घ) वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयास निम्नांकित हैं:

* भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2000 एवं तत्पश्चात् 4 फरवरी, 2003 के संशोधित मार्गनिर्देशों के तहत वित्तीय संस्थाओं को एकबारगी निपटान योजना के माध्यम से एन.पी.ए. की वसूली के लिए कहा है।
* सरकार ने एन.पी.ए. के निपटान में वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए 2000-01 के दौरान सात और डी.आर.टी. की स्थापना की है।
* डिक्री अथवा सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर वसूली प्रमाण-पत्र तत्काल जारी करने हेतु डी.आर.टी. को शक्ति प्रदान करने के लिए ऋण वसूली अधिनियम को संशोधित किया गया।
* आंतरिक एवं बाह्य कारणों से समस्याग्रस्त अर्थक्षम कंपनियों के कंपनी ऋणों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के लिए एक पारदर्शी तंत्र की स्थापना की गई है।
* वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन को नियंत्रित करता है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-2002, 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान एक्जिम बैंक एवं आई.डी.बी.आई. द्वारा संवितरित राज्य-वार सहायता

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	31 मार्च की स्थिति के अनुसार					
		2001-02		2002-03		2003-04	
		एक्जिम बैंक	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक	आई.डी.बी.आई.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	97.00	1475.6	338.00	280.3	582.00	647.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	0	32.7	0	0.1	0	39.0
4.	बिहार	0	28.2	0	12.6	0	2.9
5.	छत्तीसगढ़	0	25.5	0	20.1	48.0	0.4
6.	दिल्ली	666.0	2688.0	860.0	954.7	1081.00	708.3
7.	गोवा	4.00	64.5	0	4.4	0	9.1
8.	गुजरात	343.00	817.3	328.00	553.4	450.00	456.8
9.	हरियाणा	0	612.3	0	103.4	50.00	50.5
10.	हिमाचल प्रदेश	0	73.8	0	20.2	0	26.5
11.	जम्मू-कश्मीर	0	58.6	1.00	0.0	0.0	0.0
12.	झारखंड	0	34.0	0.00	6.5	0.0	0.5
13.	कर्नाटक	49.0	1549.2	102.0	330.4	246.0	689.3
14.	केरल	32.0	172.6	18.0	42.3	49.0	25.2
15.	मध्य प्रदेश	63.0	357.3	31.0	81.9	37.0	78.1
16.	महाराष्ट्र	1577.0	4216.1	2,444.0	2593.2	2759.0	1040.1
17.	मणिपुर	0	0	1.0	0	2.0	0.0
18.	मेघालय	0	0	0	2.0	0	0.0
19.	मिजोरम	0	0.6	0	0.0	0	0.0
20.	नागालैंड	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21.	उड़ीसा	0	204.6	0	71.9	0	108.1
22.	पंजाब	0	800.8	106.0	62.9	0	58.6
23.	राजस्थान	17.0	635.9	10.0	190.7	57.0	124.0
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	240.0	1203.6	318.0	433.8	749.0	259.9
26.	त्रिपुरा	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27.	उत्तर प्रदेश	47.0	613.9	124.0	317.1	109.0	99.9
28.	उत्तरांचल	0	49.1	0	0.9	0	70.3
29.	पश्चिम बंगाल	299.0	859.8	499.0	144.4	397.0	156.5
30.	केन्द्र शासित क्षेत्र:						
(i)	अंदमान एवं निको. द्वीप	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
(ii)	चंडीगढ़	4.0	58.8	0	1.9	0	0.5
(iii)	दादर एवं नागर हवेली	0.0	30.9	0.0	24.2	0	4.5
(iv)	दमन एवं दीव	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0
(v)	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(vi)	पांडिचेरी	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	कुल	3,438.00	16,702.3	5180.00	5253.27	6,616.00	4655.98

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान आई.डी.बी.आई. एवं एक्जिम बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(करोड़ रु. में)

शीर्षक	2001-02		2002-03		2003-04	
	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक	आई.डी.बी.आई.	एक्जिम बैंक
1	2	3	4	5	6	7
कुल आस्ति	66643.00	7711.51	62922.82	11707.00	66705.75	14901.13
कर पश्चात् लाभ	424.00	171.16	401.41	206.60	325.18	229.23
निवल ब्याज मार्जिन (%)	1.37	2.93	1.75	2.70	1.38	2.01
औसत आस्ति की तुलना में कर पश्चात् लाभ (%)	0.62	2.37	0.62	2.13	0.5	1.72
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	17.86	33.32	18.72	26.92	18.28	23.48

वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार आई.डी.बी.आई. एवं एक्जिम बैंक की अनुपयोज्य आस्ति

(करोड़ रु.)

वर्ष	आई.डी.बी.आई		एक्जिम बैंक	
	सकल एन.पी.ए.	निवल एन.पी.ए.	सकल एन.पी.ए.	निवल एन.पी.ए.
1	2	3	4	5
2002	7932.00	3873.00	986.00	448.00
2003	8751.00	7157.00	784.00	184.00
2004	10292.00	8693.00	729.00	129.00

इंटरनेशनल लेदर काम्प्लेक्स

2328. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में एक इंटरनेशनल लेदर काम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भूमि आवंटन और अवसंरचना विकास जैसे आरंभिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त काम्प्लेक्स को कब तक क्रियाशील बनाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक चमड़ा परिसर की स्थापना करने के लिए सहायता देने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को अपना "सिद्धांततः" अनुमोदन सूचित कर दिया है और राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें।

(ग) से (ङ) तैयारी संबंधी कदम जैसे कि भूमि का आवंटन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें पूरा करने की लक्षित तारीख को भी शामिल किये जाने की आशा है, राज्य सरकार के पास विभिन्न चरणों में हैं।

भारत-ब्राजील व्यापार

2329. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ब्राजील के बीच व्यापार बढ़ाने की काफी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों देशों के बीच भारी व्यापार संबंधी संभावना का दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2004-2005 और आगामी वर्षों में भारत-ब्राजील व्यापार को बढ़ाने हेतु तैयार किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और ब्राजील के बीच व्यापार का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 1997 में एक समेकित कार्यक्रम "फोकस: एल.ए.सी." शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ब्राजील सहित लैटिन अमरीकी क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर अधिक ध्यान देते हुए लैटिन अमरीकी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई.सी.जी.सी.) आदि जैसे संगठनों को जागरूक बनाना है। इस कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर मार्च, 2005 तक कर दी गई है।

(ii) वर्ष 2004-05 के दौरान ब्राजील में प्रमुख प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी हेतु अनेक निर्यात संवर्धन परिषदों ने प्रस्ताव किया है। यह विभाग भी ब्राजील में उत्पाद विशिष्ट/बहु-उत्पाद प्रतिनिधिमंडल भेजने तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों/शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों को प्रोत्साहित करता है।

(iii) दोनों देशों के बीच घनिष्ठ वाणिज्यिक संबंधों का विकास करने और व्यापार एवं निवेश के विकास को सुकर बनाने के लिए एक भारत-ब्राजील वाणिज्यिक परिषद् का गठन किया गया है जिसमें दोनों पक्षों की सरकार, शीर्षस्थ व्यापार मंडलों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(iv) दोनों देशों के बीच व्यापार संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए साओ पोलो (ब्राजील) में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आई.टी.पी.ओ.) का एक कार्यालय स्थापित किया गया है।

(v) भारत और मर्कोसुर ने 25 जनवरी, 2004 को एक अधिमानी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजील मर्कोसुर के सदस्य देशों में से एक हैं। अधिमानी व्यापार करार का उद्देश्य टैरिफ अधिमानों की पारस्परिक मंजूरी के जरिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है।

अप्रयुक्त नमक क्षेत्र

2330. श्री गुरुदास कामत: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजारों एकड़ नमक क्षेत्र, जहां नमक नहीं बनाया जा रहा है, खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह भूमि कब से अप्रयुक्त पड़ी है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में राज्य और केन्द्र सरकार के बीच अप्रयुक्त भूमि की बराबर हिस्सेदारी संबंधी कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। लगभग 10,927 एकड़ नमक

भूमि विभिन्न कारणों से नमक उत्पादन के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दी गयी है। इस प्रकार की भूमि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

क्र.सं.	राज्य	एकड़
1.	महाराष्ट्र	4,445*
2.	तमिलनाडु	4,176**
3.	आन्ध्र प्रदेश	2,125
4.	उड़ीसा	155
5.	गुजरात	16
	जोड़	10,927

* उक्त भूमि मुंबई में 5,379 एकड़ उस नमक भूमि का हिस्सा है जिसके लिए शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने का आदेश किया गया है जिसे जन हित में समग्र विकास के लिए प्रयोग किया जाना है।

** उक्त भूमि उस भूमि का हिस्सा है जिसे तमिलनाडु राज्य सरकार के माध्यम से तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टी.आई.डी.सी.ओ.) को हस्तांतरित करने के लिए आदेश किया गया है ताकि चेन्नई में एक पैट्रो रसायन औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सके। उक्त भूमि के कुछ हिस्से की पहचान एन्नौर पोर्ट ट्रस्ट को हस्तांतरित करने के लिए की गयी है।

(ग) से (ङ) शहरीकरण, खारे पानी की आपूर्ति न होने, मुकदमेबाजी, आदि के कारण इन भूमियों का प्रयोग नहीं हुआ है। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच कोई सामान्य समझौता नहीं हुआ है। तथापि, सार्वजनिक कार्यों के लिए इन भूमियों का विकास करने हेतु मुंबई में नमक भूमि के कुछ हिस्से की महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ भागीदारी करने के लिए सिद्धांततः निर्णय ले लिया गया है।

[हिन्दी]

कोयला खान मजदूरों का पुनर्वास

2331. श्री टेक लाल महतो: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड की कोयला खानों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास संबंधी मामले विभिन्न कोयला कंपनियों के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उक्त समस्या को कब तक सुलझाए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) जी, नहीं। कोयला खनन के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास एक सतत् प्रक्रिया है। कोयला खानों के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास केवल उन्हीं मामलों से संबंधित होते हैं जिनमें परिवारों ने अपने आवास खो दिए हों और जहां कंपनी अधिगृहीत भूमि का वास्तविक कब्जा ले लेती है। कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय झारखण्ड में ऐसे कोई मामले लंबित नहीं हैं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बचत संगठन का पुनर्गठन

2332. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बचत संगठन के समग्र पुनर्गठन के अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान पर क्षेत्रीय केन्द्र बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुनर्गठन हेतु मानदण्ड क्या हैं;

(ग) नए गठन में अहमदाबाद क्षेत्रीय केन्द्र को छोड़ने के क्या कारण हैं जबकि देश की कुल लघु बचत में गुजरात का ग्यारह प्रतिशत हिस्सा है;

(घ) क्या सरकार गुजरात सरकार के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय को पुनः खोलने के अनुरोध पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने राष्ट्रीय बचत संगठन को राष्ट्रीय बचत संस्थान के रूप में पुनर्संरचित किया है जिसका मुख्यालय नागपुर है तथा चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, मुंबई, नागपुर और जयपुर में इसके 10 क्षेत्रीय केन्द्र हैं।

इन कार्यालयों की स्थिति का निर्धारण लघु बचत संग्रहणों, एजेंटों के संकेन्द्रण और देश में इन केन्द्रों के एकरूप वितरण के आधार पर किया जाता है। गुजरात को जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कवर किया जाता है।

सरकार के विचाराधीन राष्ट्रीय बचत संस्थान के किसी अन्य क्षेत्रीय केन्द्र को खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

कर संग्रहण में कमी

2333. श्री खगेन दास: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा कर संग्रहण करने में कमी के कारण केन्द्र के कर हिस्से में से राज्यों को कम धनराशि मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो नियत लक्ष्य के अनुसार कर संग्रहण हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार लक्ष्य से कम कर संग्रहण होने के मामले में राज्यों को करों का सुनिश्चित न्यूनतम हिस्सा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्रीय करों को राज्यों को हस्तांतरित करने में कोई कमी नहीं रही है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में इस वर्ष के लिए प्रारंभिक बजटीय आबंटन 63,758/- करोड़ रु. से बढ़ाकर 65,784/- करोड़ रु. कर दिया गया था।

(ख) राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में कर आधार को व्यापक बनाना, जहां कहीं संभव हो छूटों को समाप्त करना, कर प्रशासन को सुदृढ़ करना, राजस्व चोरी को रोकना, बहुविधि अभियान के माध्यम से कर बाकयों की वसूली और अनुपालन में सुधार लाने के लिए प्रणालियों का सरलीकरण शामिल हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय कर तथा शुल्कों से प्राप्त निवल आय को राज्यों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और तदनुसार हिस्सेदारी की जाती है।

राज्यों की आय

2334. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिनकी वर्ष 2003 में शहरी क्षेत्रों में आय गत एक दशक की तुलना में राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गई है;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय राज्य आय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों का संकलन करते हैं। ये अनुमान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से संकलित नहीं किये जाते। प्रति व्यक्ति आय के अनुमान हाल ही के वर्ष अर्थात् वर्ष 2002-03 के उपलब्ध हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल की मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1993-94 और 2002-03, दोनों में ही प्रति व्यक्ति अखिल भारतीय निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एन.एन.पी.) से कम थी। कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय जो 1993-94 में अधिक थी वह वर्ष 2002-03 में प्रति व्यक्ति अखिल भारतीय एन.एन.पी. से कम रही। राज्य आय की वृद्धि कई कारकों यथा संसाधन प्रबंध, ढांचागत सुविधाओं, निवेश वातावरण, स्थानीय लाभ, गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। कर्नाटक में, हाल के वर्षों में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की वृद्धि में गिरावट से अर्थव्यवस्था का कम निष्पादन हुआ है।

(ग) सरकार पिछड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तथा वित्त आयोग के अधीन अंतरणों के लिए राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की आवश्यकताओं को उचित महत्व दिया जाता है। इसके अलावा, पिछड़े राज्यों की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष स्कीमें चल रही हैं।

[हिन्दी]

बनारस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय

2335. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बनारस बैंक लिमिटेड का बैंक आफ बड़ौदा में विलय करते समय बनारस बैंक लिमिटेड के खाताधारियों जिनके खाते में एक लाख रु. से अधिक राशि जमा थी, की जमाराशि में से 14.15 प्रतिशत राशि काट ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार काटी गई राशि को उस पर अर्जित ब्याज सहित प्रभावित खाताधारियों को कब तक लौटाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। बनारस स्टेट बैंक लि. (बैंक आफ बड़ौदा के साथ समामेलन) योजना, 2002 को बैंक आफ बड़ौदा के साथ बनारस स्टेट बैंक लि. का समामेलन करते हुए 19 जून, 2002 को अधिसूचित किया गया। पूर्व बनारस स्टेट बैंक के जमाकर्ताओं के मामले में, जिनकी जमा राशि 1.00 लाख रु. से अधिक थी, इस योजना के निबंधन के अनुसार बैंक आफ बड़ौदा ने उन्हें 85.85 प्रतिशत की दर से प्रथम यथानुपात अदायगी कर दी है।

(ख) "गैर सहज वसूली योग्य" (एन.आर.आर.) अग्रिमों की प्राप्ति से अदत्त राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना के अनुसार एन.आर.आर. अग्रिमों का अंतिम मूल्यांकन निर्धारित तारीख से 12 वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों का विलय

2336. श्री चन्द्र शेखर दूबे: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला इंडिया लिमिटेड की कुछ अनुषंगी इकाइयां लाभ कमा रही हैं और कर के रूप में हर वर्ष करोड़ों रुपये का भुगतान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों/इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बी.सी.सी.एल. ई.सी.एल. और सी.सी.एल. इकाइयां घाटे में चल रही हैं जिसके फलस्वरूप श्रमिकों/कर्मचारियों को एल.टी.सी., भविष्य निधि, पेंशन, उत्पादन और यहां तक कि समय पर अपना मासिक वेतन भी नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त असमानता को दूर करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी इकाइयों का विलय कर उसे "सेल" जैसी एक समेकित इकाई बनाने के पक्ष में है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो असमानताओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) और (ख) वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 (अनंतिम) के दौरान कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों का लाभ तथा हानि और उनके द्वारा भुगतान किया गया कर निम्नानुसार है:—

कंपनी	2003-04 (अनं.) कर तथा लाभांश पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	03-04 में लाभांश कर सहित कर (अनं.)	02-03 कर तथा कर तथा लाभांश पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	02-03 में लाभांश कर सहित कर	01-02 कर तथा लाभांश पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	01-02 में लाभांश कर सहित कर
ई.सी.एल.	(-)322.00	—	(-)338.78	—	(-)277.64	—
बी.सी.सी.एल.	(-)556.00	—	(-)507.23	—	(-)755.00	—
सी.सी.एल.	(+)400.00	75.00	(+)384.65	—	(-)108.32	3.22
एन.सी.एल.	(+)1656.00	695.14	(+)1293.01	585.72	(+)1387.34	487.30
डब्ल्यू.सी.एल.	(+)742.00	245.68	(+)472.52	207.09	(+)310.20	208.48
एस.ई.सी.एल.	(+)1315.00	440.74	(+)882.13	355.39	(+)768.87	242.36
एम.सी.एल.	(+)1460.00	551.91	(+)882.31	345.06	(+)719.60	246.32
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	(+)2.74	0.98	(+)1.99	(-)2.65	(+)2.80	2.86
सी.आई.एल./एन.ई.सी.	(+)1356.00	23.00	(+)280.08	46.08	(+)561.80	45.00

(ग) ई.सी.एल. तथा सी.सी.एल. एल.टी.सी., भविष्य निधि, पेंशन, उपदान तथा मासिक वेतन का समय पर भुगतान कर रही हैं। बी.सी.सी.एल. में भी मासिक वेतन, उपदान, पी.एफ. तथा पेंशन के भुगतान में कोई चूक नहीं होती है। तथापि नकदी की कमी के कारण पी.एफ. तथा पेंशन की 454.17 करोड़ रु. की राशि की संचित देयता को स्वीकृत नहीं किया गया है। तथापि, उक्त को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यद्यपि कर्मचारी एल.टी.सी./ए.एल.टी.सी. ले रहे हैं, नकदी संकट को ध्यान में रखते हुए उनके भुगतान को बी.सी.सी.एल. से सेवानिवृत्ति/इस्तीफा, मृत्यु और स्थानान्तरण के कारण पृथक् होने पर ही निर्मुक्त किया जाता है।

(घ) और (ङ) सी.आई.एल. की सहायक कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्वतंत्र निगमित अस्तित्व वाली हैं। यद्यपि बाहर जाने वाले कर को कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों को एक कंपनी में विलय करके कम किया जा सकता था, किन्तु सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया है और कोयला क्षेत्र में कुशलता तथा उत्पादकता के समग्र हित में कोल इंडिया लि. की सातों सहायक कंपनियों को एक कंपनी में विलय करने का समर्थन नहीं किया है।

[अनुवाद]

केरल में एग्री निर्यात क्षेत्र

2337. श्री पी.सी. थामस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के लिए कोई एग्री निर्यात क्षेत्र स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे क्षेत्र में केरल के औषधीय और सुगंधित पौधों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। बागवानी उत्पादों के लिए एक कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जेड.) 28 फरवरी, 2003 को अधिसूचित कर दिया गया था। उक्त ए.ई.जेड. में केरल के त्रिसूर, एर्णाकुलम, कोट्टायम अल्लापुझा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, तिरुअनंतपुरम, इदुक्की तथा पालक्काड जिले शामिल हैं। राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अनुसार उक्त ए.ई.जेड. में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और निजी क्षेत्र से 29.87 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) जी, हां। केरल की सरकार से 9 जिलों को शामिल करते हुए सुगंधित एवं औषधीय पौधों के लिए ए.ई.जेड. हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के बाद उक्त ए.ई.जेड. में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और निजी क्षेत्र से 26.24 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

स्काई मार्शल

2338. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने केन्द्र सरकार से खाड़ी और अन्य देशों में जाने वाली अपनी उड़ानों में स्काई मार्शल उपलब्ध करवाये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा संबंधी ऋण

2339. श्री शिशुपाल एन. पाटले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा संबंधी ऋण को मंजूरी प्रदान करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा जून, 2004 तक राज्य-वार शिक्षा संबंधी ऋण प्रदान किये गये छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) शिक्षा संबंधी ऋण के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण मंजूरी संबंधी मानदंड निम्नानुसार है:

(i) भारत और विदेशों में स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) इस योजना के अंतर्गत भारतीय नागरिक पात्र हैं।

(iii) 4 लाख रु. तक कोई मार्जिन राशि अपेक्षित नहीं है। तथापि, अपेक्षाकृत अधिक राशि के ऋणों के लिए अन्तर्देशीय अध्ययन के लिए 5 प्रतिशत तथा विदेश में अध्ययन के लिए 15 प्रतिशत मार्जिन राशि अपेक्षित है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनानुसार मार्च, 2004 के अंत की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार व्यापक शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खातों की संख्या और उसके द्वारा संवितरित राशि से संबंधित बैंक-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत राज्य-वार आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं।

(ग) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कुल खातों की संख्या 1,53,275 थी जिसके अंतर्गत कुल संवितरित राशि 2606.99 करोड़ रु. थी।

विवरण

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार व्यापक शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खातों की संख्या तथा उनके द्वारा संवितरित ऋण की राशि के संबंध में बैंक-वार स्थिति

(रु. लाख में)

बैंक का नाम	खातों की संख्या	राशि
1	2	3
इलाहाबाद बैंक	3315	3989
आन्ध्रा बैंक	29339	39091
बैंक आफ महाराष्ट्र	827	1288
बैंक आफ इंडिया	7392	8616
बैंक आफ बड़ौदा	4268	5938
केनरा बैंक	3418	18600
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3531	8494

1	2	3
कारपोरेशन बैंक	4036	5880
देना बैंक	1030	1533
इंडियन बैंक	2881	3872
इंडियन ओवरसीज बैंक	5849	14012
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	10503	15421
पंजाब एंड सिंध बैंक	905	2732
पंजाब नैशनल बैंक	7287	18698
सिंडिकेट बैंक	7656	9055
भारतीय स्टेट बैंक	20422	43128
स्टेट बैंक आफ मैसूर	3246	4996
स्टेट बैंक आफ इंदौर	1019	1034
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	14296	19960
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8986	15533
स्टेट बैंक आफ पटियाला	936	1903
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	444	1038
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	1068	1937
यूको बैंक	2282	2963
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1096	1404
यूनियन बैंक आफ इंडिया	5016	6431
विजया बैंक	2227	3173
कुल	153275	260699

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड के शेयरों की बिक्री

2340. श्री दिन्शा पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने नाबार्ड में अपने शेयरों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आर.बी.आई. के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आर.बी.आई. के निर्णय से नाबार्ड की गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुझाव दिया है कि नरसिंहम समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह अपने द्वारा विनियमित किए जाने वाले संस्थानों को अपने स्वामित्व में न ले। इससे भारतीय रिजर्व बैंक अपने विनियामक एवं पर्यवेक्षी कार्यों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर पाएगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सेंटूर होटल की बिक्री

2341. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:
श्री सुनील खां:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंटूर होटल, मुम्बई को बेच दिया गया है;

(ख) क्या इस खरीद में गंभीर अनियमितताएं देखने में आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं की कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर कोयला क्षेत्र को सहायता

2342. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले का उत्पादन और इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स तथा मार्ग रीटा कोल फील्ड्स को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के कोयला क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक/क्षेत्र विकास हेतु कभी धन प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा उठाई गई नकद हानियों की सीमा तक हानियों को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लि. को वर्ष 2000-2001 के दौरान 55.14 करोड़ रु. की राशि प्रदान की थी।

सरकार ने नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में निम्नलिखित व्यय शीर्ष हेतु कोल इंडिया लि. को वर्ष 2001-02 में 28.65 करोड़ रु. प्रदान किए:—

(करोड़ रुपए में)

(i)	पूर्वोत्तर क्षेत्र का आर. एण्ड डी.	1.33
(ii)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय अन्वेषण	3.58
(iii)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तृत ड्रिलिंग	4.15
(iv)	आग तथा धंसाव का नियंत्रण, पुनर्वास	0.80
(v)	पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण	1.35
(vi)	वी.आर.एस.	17.44
	जोड़	28.65

वर्ष 2002-03 और इसके बाद से कोयल विभाग द्वारा दी गई सकल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सृजित पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल में अंतरित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, कोल इंडिया ने नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के प्रचालनशील क्षेत्रों में सामुदायिक विकास, स्कूलों और संस्थानों को अनुदान तथा पर्यावरणीय व्यय (वनरोपण) के लिए वर्ष 2001-02 में 37.92 लाख रु., वर्ष 2002-03 में 41.79 लाख रु. तथा वर्ष 2003-04 में 36.09 लाख रु. की राशि का व्यय किया है।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

देश में आयकरदाता

2343. श्री प्रो. रासा सिंह रावत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार आयकरदाताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार आयकरदाताओं की पहचान करने के लिए निर्धारित मौजूदा मानदण्डों में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आयकर के दायरे में न आने वाले क्षेत्रों के व्यक्तियों को इसमें शामिल करने के बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ङ) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में आयकरदाताओं से वसूले गये कर में कमी के क्या कारण हैं;

(च) क्या आयकर निर्धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा कर की कम या ज्यादा वसूली करने के मामले सामने आए हैं; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है और इस संबंध में की गई कार्यवाही क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) इस समय देश में आयकर दाताओं की संख्या लगभग 2.7 करोड़ है। तथापि, राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्तियों को आय की विवरणी दायर करनी पड़ती है, यदि उनकी कुल आय उस अधिकतम धनराशि से अधिक है जो कर प्रभार्य नहीं है। तथापि, कतिपय मामलों में यदि कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट छः आर्थिक मानदण्डों में से किसी एक मानदण्ड को पूरा करता है तो उसे आय की विवरणी दायर करनी पड़ती है। कम्पनियों के मामले में विवरणी दायर करना अनिवार्य है। वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2004 में आयकर दाताओं की पहचान के लिए किसी मानदण्ड में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर दायरे को व्यापक बनाने के लिए कतिपय प्रस्ताव निम्नवत हैं जिन्हें वित्त (सं. 2) विधेयक, 2004 में शामिल किया गया है:—

- स्रोत पर कर संग्रहण के दायरे को व्यापक बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि पार्किंग स्थल, नीलामियों, टोल प्लाजा नीलामियों तथा खनन अथवा खदान पट्टों को इसके दायरे के भीतर लाया जा सके;
- स्रोत पर कर संग्रहण के क्षेत्र को व्यापक बनाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि कतिपय अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण पर संदत्त मुआवजे को इसके दायरे में लाया जा सके;
- किसी प्रकार के कार्यालय अथवा कतिपय अन्य प्राधिकरणों के मामले में कर-निर्धारितियों और कतिपय निर्धारित व्यक्तियों द्वारा वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि कतिपय विनिर्दिष्ट लेन-देनों के बारे में सूचना के स्वतः प्रवाह को सुगम बनाया जा सके।

(ङ) वित्त वर्ष 2003-04 में इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में प्रत्यक्ष कर वसूलियों की राशि में कोई कमी नहीं

हुई है। वस्तुतः, वित्त वर्ष 2003-04 के लिए प्रत्यक्ष कर वसूलियों को 95,714 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों तथा 1,03,400 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों के विपरीत, 1,05,236 करोड़ रुपये के रूप में अनंतिम तौर पर वर्णित किया गया है।

(च) केन्द्र सरकार संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयुक्तों के संबंध में ही वसूलियों की गिनरानी करती है। कर निर्धारण अधिकारियों के संबंध में वसूलियों में कमी अथवा अधिकता को केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(छ) उपर्युक्त पैरा (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में स्व-सहायता समूह को बढ़ावा देना

2344. **श्री परसुराम माझी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों के उदासी रवैये से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा के इन जिलों में स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए इन बैंकों को क्या दिशानिर्देश जारी किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि इसके व्यष्टि वित्त पहल के अन्तर्गत उड़ीसा में कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट (के.बी.के.) क्षेत्र को स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.)-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के उन्नयन के लिए प्राथमिकता प्राप्त होती रहती है। वर्ष 2002-2003 के दौरान 9,065 स्व-सहायता समूहों की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान 12046 स्व-सहायता समूहों को बैंकों के साथ ऋण संबद्ध कर दिया गया था। संचयी रूप से 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 30980 स्व-सहायता समूहों को ऋण दिए गए हैं। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट में ऋण प्राप्त स्व-सहायता समूह और संवितरित बैंक ऋण का जिलावार संचयी ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	जिले का नाम	बैंक ऋण प्रदान किए गए स्व-सहायता समूहों की संचयी संख्या	संवितरित संचयी बैंक ऋण (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4
1.	बोलंगीर	4,589	7.33
2.	कालाहांडी	7,157	9.76
3.	कोरापुट	4,912	9.29
4.	मलकानगिरी	2,125	2.81
5.	नबरंगपुर	3,222	4.75
6.	नौपाड़ा	3,486	4.68
7.	रायगढ़ा	4,959	7.32
8.	सोनपुर	550	0.87
	कुल	30,980	47.81

इस क्रियाकलाप को मुख्य धारा में लाने के लिए नाबार्ड ने उड़ीसा के कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट जिलों सहित देश के वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को मार्गनिर्देश भी जारी किया है। इन मार्गनिर्देशों में मुख्य धारा कारोबार क्रियाकलाप के रूप में कार्यक्रम का आंतरिकीकरण, समूहों के वित्तपोषण से संबंधित मानदंड, जो स्व-सहायता समूहों द्वारा सृजित बचतों और आंतरिक संसाधनों का संज्ञान लेता है, स्व-सहायता समूहों का वित्तपोषण करते समय बैंकरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेटिंग तथा मूल्यांकन तंत्र, अनुपालनार्थ प्रलेखीकरण मानदंड संबंधी सुझाव कार्यक्रम के विभिन्न पणधारकों के लिए नियमित क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम का संचालन, उन पिछड़े क्षेत्रों में जहां गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक मध्यवर्तियों की कमी है, वहां स्व-सहायता उन्नयन संस्थान के रूप में कार्य करने वाले को बैंक सहायता को सूचीबद्ध करना आदि शामिल है।

ग्रेनाईट उद्योग को प्रोत्साहन

2345. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेनाईट उद्योग ने ग्रेनाईट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहनों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रेनाईट उद्योग की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान ग्रेनाईट का कितना निर्यात किया गया और चालू वर्ष के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) महोदय, ग्रेनाइट उद्योग ने ग्रेनाइट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिन प्रमुख प्रोत्साहनों की मांग की है, वे निम्नानुसार हैं:—

(i) विमितीय ग्रेनाइट ब्लाकों की आपूर्ति और खनन करने वाली 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को माने गए निर्यात लाभ प्रदान करना।

(ii) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों और ग्रेनाइट के अन्य निर्यातकों द्वारा उपयोग किए गए डीजल, मिट्टी के तेल, पैट्रोल जैसे ईंधन के लिए मूल्य वापसी मानदण्ड।

(iii) ग्रेनाइट खदानों को 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों का दर्जा देना।

(iv) ग्रेनाइट संगमरमर, बलुआ पत्थरों की हस्तकलाकृतियों और नवीकरणीय हस्तशिल्पों के लिए एक्ज़िम नीति में अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकरण।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) पिछले 2 वर्षों के दौरान देश से "ग्रेनाइट और प्राकृतिक पत्थर के उत्पादों" का कुल निर्यात इस प्रकार है:—

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
2002-2003	659.43
2003-2004 (अनुमानित)	724.44

(स्रोत: केपेक्सिल)

चालू वर्ष अर्थात् 2004-2005 के लिए "ग्रेनाइट और प्राकृतिक पत्थर के उत्पादों" का निर्यात लक्ष्य 850 मिलि. अम. डालर है।

विश्व बैंक ऋण

2346. **श्री अनन्त नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विश्व बैंक से लिए गए ऋण की कुल राशि कितनी है;

(ख) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार आई.बी.आर.डी., आई.डी.ए. और ए.डी.बी. के संबंध में बकाया ऋण कितना है; और

(ग) विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा की गई ऋण संबंधी कुल वचनबद्धताएं निम्नानुसार हैं:

2001-02	2830 मिलियन अमरीकी डालर
2002-03	2092 मिलियन अमरीकी डालर
2003-04	1328 मिलियन अमरीकी डालर

(ख) दि. 31-3-2004 तक की स्थिति के अनुसार, आई.बी.आर.डी., आई.डी.ए. और ए.डी.बी. के संबंध में बकाया ऋण निम्नानुसार है:

आई.बी.आर.डी.	14064.06 करोड़ रुपए
आई.डी.ए.	100033 करोड़ रुपए
ए.डी.बी.	4493.86 करोड़ रुपए

(ग) करार की शर्तों के आधार पर विदेशी ऋण की वापसी अदायगी सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट में आवश्यक प्रावधान करके की जाती है।

जरी उद्योगों में कार्यरत बच्चे

2347. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिसंकटमय गतिविधियों में बच्चों का नियोजन करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत निषिद्ध है;

(ख) क्या देश के जरी उद्योग में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लगे हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके पुनर्वास और ऐसे उद्योगों में बच्चों को रोजगार न दिया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जरी उद्योग में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन संबंधी कोई प्रसंग सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों की शाखाएं खोलना

2348. **श्री प्रदीप गांधी:**

श्री दुष्यन्त सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य वार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंकवार कृषकों और औद्योगिक उद्यमियों को कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले के चौकी विकास मण्डल में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोलने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष लम्बित पड़ा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोली गई शाखाओं की बैंक-वार एवं राज्य-वार संख्या तथा किसानों तथा औद्योगिक उद्यमियों को दिए गए अग्रिम की बकाया राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ग) और (घ) छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले के चौकी विकास ब्लाक में शाखा खोलने के संबंध में इस समय भारतीय स्टेट बैंक का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खोली गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य का नाम	के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या			कुल
	2001-02	2002-03	2003-04	
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	40	29	25	94
असम	1	3	2	6
बिहार	4	7	7	18
चण्डीगढ़	3	3	5	11
छत्तीसगढ़	4	5	1	10
दिल्ली	22	24	25	71
गोवा	3	1	2	6
गुजरात	14	9	13	36
हरियाणा	20	12	16	48
हिमाचल प्रदेश	1	4	—	5
जम्मू-कश्मीर	—	1	3	4
झारखंड	11	6	8	25
कर्नाटक	15	27	38	80
केरल	9	122	24	155
मध्य प्रदेश	17	7	16	40
महाराष्ट्र	28	26	22	76
मेघालय	—	1	—	1
उड़ीसा	5	6	12	23
पांडिचेरी	1	2	—	3
पंजाब	14	22	17	53
राजस्थान	15	8	19	42
सिक्किम	—	—	1	1
तमिलनाडु	8	63	41	112

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	—	—	1	1
उत्तर प्रदेश	22	110	49	181
उत्तरांचल	3	11	7	21
पश्चिम बंगाल	7	10	17	34
कुल	267	519	371	1157

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खोली गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या

बैंक का नाम	के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या			कुल
	2001-02	2002-03	2003-04	
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	12	9	17	38
आन्ध्रा बैंक	39	21	16	76
बैंक आफ बड़ौदा	14	115	14	143
बैंक आफ इंडिया	17	13	17	47
बैंक आफ महाराष्ट्र	3	9	26	38
केनरा बैंक	9	22	45	76
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	7	5	19	31
कार्पोरेशन बैंक	7	10	15	32
देना बैंक	4	1	—	5
इंडियन बैंक	1	—	2	3
इंडियन ओवरसीज बैंक	24	14	37	75
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	39	21	24	84
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	6	3	6	15
पंजाब नैशनल बैंक	14	194	15	223
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	3	3	5	11
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	6	8	8	22
भारतीय स्टेट बैंक	16	8	4	28
स्टेट बैंक आफ इंदौर	10	8	5	23
स्टेट बैंक आफ मैसूर	1	7	13	21

1	2	3	4	5
स्टेट बैंक आफ पटियाला	2	14	5	21
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4	4	4	12
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	3	—	2	5
सिंडिकेट बैंक	18	6	28	52
यूको बैंक	1	6	9	16
यूनियन बैंक आफ इंडिया	6	4	16	26
विजया बैंक	1	14	19	34
कुल	267	519	371	1157

विवरण-III

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार बकाया ऋण

बैंक का नाम	2001	2001	2002	2002	मार्च 2003	मार्च 2003
	कुल कृषि	कुल उद्योग	कुल कृषि	कुल उद्योग	कुल कृषि	कुल उद्योग
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	985112	5183772	1058448	4763222	1103575	5062117
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	69723	235330	163234	205746	193140	209288
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	88850	296234	132046	368187	112114	405691
स्टेट बैंक आफ मैसूर	53606	208883	103314	181803	93164	227538
स्टेट बैंक आफ पटियाला	93742	373670	164588	399703	185540	465276
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	62388	164841	212049	117476	144124	184684
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	46237	222032	53481	174533	124419	234891
स्टेट बैंक आफ इंदौर	56909	137471	75116	157703	85944	187766
बैंक आफ बड़ौदा	244698	1265373	262050	1364984	309232	1371980
इलाहाबाद बैंक	118821	306435	139269	291633	166657	332687
बैंक आफ इंडिया	248387	1217608	287678	1267708	329234	1398801
बैंक आफ महाराष्ट्र	94196	285457	95646	347574	113031	359483
केनरा बैंक	369373	1436424	358768	1383994	486694	1650177
देना बैंक	70996	389297	84899	398808	112921	417477

1	2	3	4	5	6	7
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	225443	783792	352962	802671	393101	793215
यूनियन बैंक आफ इडिया	164528	623229	209150	6060449	246115	926730
पंजाब नैशनल बैंक	273209	1306609	384319	1412213	520966	1819805
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	26461	261669	34808	323994	32151	311715
यूको बैंक	51313	356121	84502	505551	120824	672495
सिंडिकेट बैंक	137932	333022	161889	340160	233644	327294
आन्ध्रा बैंक	99439	252155	155013	247674	171722	236949
कार्पोरेशन बैंक	38678	383373	57926	379769	53296	376479
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	132282	452288	155477	447018	207929	562355
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	83916	181345	75907	204067	98263	200029
विजया बैंक	59022	174898	65778	189005	83335	250213

रुग्ण उद्योगों को पुन: चालू करना

2349. श्री अजीत जोगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान में कार्यरत बड़े मध्यम और लघु उद्योगों द्वारा भारतीय मुद्रा के रूप में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान आज तक रुग्णता के कारण बन्द हुए उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय हित में उन्हें पुन: चालू करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वाणिज्यिक सतर्कता तथा सांख्यकी महानिदेशालय, कोलकाता से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का कुल माल निर्यात (पुन: निर्यात सहित\ निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	निर्यात (पुन: निर्यात सहित) ह.:ख रुपये में
2001-02	20901797
2002-03	25513728
2003-04 (अनंतिम)	29158193

(ख) देश में बन्द की गयी औद्योगिक इकाईयों संबंधी आंकड़े श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा एकत्र किये जाते हैं। श्रम ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003 तथा 2004 (जनवरी से मई तक) राज्य वार उन उद्योगों के ब्यौरे संलग्न विवरण मे दिये गये हैं। जिन्हें विभिन्न कारणों से बन्द किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिए कई उपाय किए हैं। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, स्वस्थ एककों के साथ रुग्ण एककों का समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष) उपबंध अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना करना आदि शामिल हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	बन्द की गई इकाइयों की संख्या	
	2003(अनंतिम)	2004(अनंतिम) (जनवरी से मई तक)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	2	—
बिहार	2	—
दिल्ली	1	—
गोवा	2	—
गुजरात	36	7
हरियाणा	2	—
झारखंड	5	—

1	2	3
कर्नाटक	6	4
केरल	3	—
मणिपुर	1	—
उड़ीसा	3	1
राजस्थान	3	—
त्रिपुरा	22	28
उत्तर प्रदेश	15	9
प. बंगाल	3	—
संघ शासित प्रदेश		
पांडिचेरी	5	—
कुल	111	49

पी-अनंतिम

[अनुवाद]

अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण

2350. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से एकमुश्त उदार ऋण दिए जाने का अनुरोध किया है तथा चालू वित्तीय संकट पर काबू पाने में सहायता के लिए विश्व बैंक ने अपने अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण को अग्रेषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों द्वारा कितना एकमुश्त अनुदान और एस.ए.एल. मांगा गया है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों द्वारा विश्व बैंक से मांगे गए अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण (एस.ए.एल.) सहायता की मात्रा निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है:

राज्य का नाम	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
आंध्र प्रदेश	500
कर्नाटक	500
महाराष्ट्र	750
उड़ीसा	600
पंजाब	800
राजस्थान	2150
उत्तर प्रदेश	500
तमिलनाडु	600

(ग) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश को क्रमशः 500 मिलियन अमरीकी डालर, 250 मिलियन अमरीकी डालर तथा 250 मिलियन अमरीकी डालर राशि की एस.ए.एल. सहायता प्रदान की गई है। मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) का अनुपालन न करने के कारण महाराष्ट्र, पंजाब तथा राजस्थान एस.ए.एल. सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। तमिलनाडु द्वारा सम्मत सुधारों को आरम्भ न किए जाने के कारण उसे एस.ए.एल. सहायता प्रदान नहीं की गई है। विश्व बैंक ने उड़ीसा के लिए एस.ए.एल. प्रस्ताव का मूल्यांकन कर दिया है।

पूर्वोत्तर राज्यों को पी.एस.बी. द्वारा अग्रिम ऋण प्रदान करना

2351. श्री मणि चारेनामैः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्यवार अग्रिम प्रदान किए गए कुल ऋण की राशि कितनी है और पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा कितना रहा;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों का सी.डी. अनुपात कितना है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदान किया गया ऋण कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्यतः और मणिपुर राज्य में विशेषतः विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम अथवा प्रस्तावित कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की कुल राशि 5,38,031.20 करोड़ रुपए थी तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में संवितरित राज्यवार ऋण तथा ऋण जमा अनुपात (सी.डी.) का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	दिए गए अग्रिम की राशि (रुपए लाख में)	दिसम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1,163	16.8%
2.	असम	3,18,617	32.8%
3.	मणिपुर	16,532	34.04%
4.	मेघालय	57,904	34.42%
5.	मिजोरम	14,344	41.30%
6.	नागालैंड	15,282	18.70%
7.	त्रिपुरा	36,244	22.62%
	अखिल भारत	5,38,03,120	55.29%

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों से इस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार करने के लिए कहता रहा है। वार्षिक ऋण योजना तथा ऋण जमा अनुपात स्थिति के अन्तर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला समन्वय समिति आदि जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से नियमित निगरानी की जाती रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में एक निगरानी समूह का गठन किया गया है जो किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष जोर देते हुए क्षेत्र में ऋण के प्रवाह तथा स्व-सहायता समूहों के माध्यम से व्यष्टि वित्त का मासिक आधार पर पुनरीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अपने तिमाही पत्रों के माध्यम से इन राज्यों के मुख्य सचिवों के नियमित सम्पर्क में भी रहते हैं जिसमें बैंकों के सामने आने वाले मामलों और समस्याओं, जहां राज्य सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, को समय-समय पर सामने लाया जाता है और बैठकों में इस पर विचार-विमर्श किया जाता है।

जीवन बीमा निगम के एजेंट

2352. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 में जीवन बीमा निगम में कितने विकास अधिकारी कार्यरत थे और उनके अधीन कितने एजेंट कार्यरत थे;

(ख) इस अवधि के दौरान विकास अधिकारियों को प्रोत्साहन के तौर पर कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ग) एजेंटों को कमीशन के तौर पर कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारियों और एजेंटों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि वर्ष 2002-03 में उनके साथ कार्य कर रहे विकास अधिकारियों की कुल संख्या 19457 थी और इस अवधि में इन विकास अधिकारियों के अधीन कार्य कर रहे एजेंटों की कुल संख्या 867396 थी। वर्ष 2002-03 के दौरान विकास अधिकारियों को प्रोत्साहन के तौर पर अदा की गई कुल राशि 576.94 करोड़ रु. थी और वर्ष 2002-03 के दौरान कमीशन के रूप में एजेंटों को अदा की गई कुल राशि 4998.61 करोड़ रु. थी।

(घ) एल.आई.सी. द्वारा विकास अधिकारियों की भर्ती भारतीय जीवन बीमा निगम (विकास अधिकारियों की भर्ती) विनियमावली, 1998 जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के उपबंधों के अनुसार की जाती है। विकास अधिकारियों का चयन तीन श्रेणियों अर्थात् कर्मचारियों, एजेंटों और खुले बाजार में से किया जाता है। चयन प्रक्रिया में विज्ञापन/अधिसूचना के जरिए आवेदन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होते हैं। विकास अधिकारियों का दायित्व नए एजेंटों के रूप में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को निगम से परिचित कराना और उनके निरीक्षण में रखे गए एजेंटों की गतिविधियों को मार्गदर्शित करना, निरीक्षण करना तथा निदेश देना होता है। उनके कर्त्तव्यों में मौजूदा एजेंटों को सक्रिय बनाना तथा नए एजेंटों को प्रेरित करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

2353. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने स्थानीय उद्योगों को उनकी मांग के बावजूद कोयला आवंटित नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप ये उद्योग खुले बाजार से महंगा कोयला खरीदने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय उद्योगों को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का कोयला आवंटित करने पर विचार करेगी; और

(ग) उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयला वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित लिंकेज/अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा (एम.पी.क्यू.) के आधार पर निर्मुक्त किया जाता है। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने संकटग्रस्त विद्युत उपयोगिताओं की आवश्यकता को पूरा करने

के लिए एक आकस्मिकता योजना के कार्यान्वयन के कारण अप्रैल-जून, 2004 के दौरान विभिन्न उद्योगों पर कुछ प्रतिशत की कटौती को लागू किया था।

(ख) और (ग) जुलाई, 2004 से उपभोक्ताओं को पूरी तरह से आपूर्ति पुनः आरंभ कर दी गई है और वेस्टर्न कोलफील्ड्स ने उनकी हकदारी की 100 प्रतिशत सीमा तक कोयला निर्मुक्त करने हेतु कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

राज्यों को स्वीकृत ऋण माफ करना

2354. श्री किरिप चालिहा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को स्वीकृत सभी केन्द्रीय ऋणों को माफ करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार योजना आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों को स्वीकृत केन्द्रीय ऋणों की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	31.03.2004 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार वित्त मंत्रालय के बकाया ऋण
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	18545
2.	अरुणाचल प्रदेश	409
3.	असम	3001
4.	बिहार	10181
5.	छत्तीसगढ़	2748
6.	गोवा	586
7.	गुजरात	14037
8.	हरियाणा	3628
9.	हिमाचल प्रदेश	1777
10.	जम्मू-कश्मीर	2698
11.	झारखण्ड	3052
12.	कर्नाटक	10555
13.	केरल	5517
14.	मध्य प्रदेश	8978
15.	महाराष्ट्र	16167
16.	मणिपुर	789
17.	मेघालय	357
18.	मिजोरम	291
19.	नागालैंड	359
20.	उड़ीसा	8965
21.	पंजाब	5397
22.	राजस्थान	9605
23.	सिक्किम	208
24.	तमिलनाडु	9181
25.	त्रिपुरा	556
26.	उत्तरांचल	308
27.	उत्तर प्रदेश	27407
28.	पश्चिम बंगाल	19056
	कुल	184359

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली हेतु विधान

2355. श्री अधीर चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की समयबद्ध वसूली हेतु नए विधान का अधिनियमन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि निजीकरण की प्रक्रिया अनेक बैंकों को आम आदमी की पहुंच से दूर कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की तेजी से वसूली करने के लिए पहले से ही दो विधान यथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अधिनियमित कर दिए हैं।

(घ) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू का निर्यात

2356. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से तम्बाकू का राज्यवार कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में तम्बाकू की अलग-अलग किस्में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से तम्बाकू बोर्ड को यह निदेश देने का अनुरोध किया है कि वह तम्बाकू की खरीद सीधे किसानों से करे जिससे उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) उपलब्ध सूचना से मालूम होता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से राज्य-वार फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ.सी.वी.) तम्बाकू की निम्नलिखित अनुमानित मात्राओं के निर्यात किए गए थे।

(मात्रा टनों में)

वर्ष	आंध्र प्रदेश फसल	कर्नाटक फसल	कुल एफ.सी.वी.
2001-02	27775	29351	57126
2002-03	40937	33232	74169
2003-04	52482	46701	99183

(ख) और (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की एफ.सी.वी. तम्बाकू, बर्ले, नाटु, केन्टकी फायर क्योर्ड और लंका किस्मों की खेती की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। जब कीमतें वस्तु की न्यूनतम समर्थन कीमत (एम.एस.पी.) से नीचे गिर जाती हैं तो केन्द्र सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है। चूंकि तम्बाकू की बाजार कीमतें एम.एस.पी. से अधिक चल रही हैं इसलिए बाजार में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।

लंबित कल्याण योजनाएं

2357. श्री बीर सिंह महतो:
श्री राम कृपाल यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत योजनावार कितने ऋण आवेदन लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण देने के मानदंडों में परिवर्तन

2358. श्रीमती निवेदिता माने:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री विजय कृष्ण:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विद्युत संस्थाओं और बैंकों के लिए निर्धारित ऋण मानदंडों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए विद्युत मंत्रालय से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस कदम से विद्युत क्षेत्र में किस हद तक निवेश आकर्षित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विद्युत मंत्रालय ने 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के संबंध में कोहली समिति की सिफारिशें बैंकिंग प्रभाग को भेजी थी।

(ख) ऋण मापदण्डों से संबंधित सिफारिशों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श किया गया है।

(ग) निवेश कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें से ऋण मानदंड ऐसा केवल एक कारक है। अतः, विद्युत क्षेत्र में निवेश पर ऋण मानदंडों के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई जा सकती।

भारत और इस्राइल के बीच आर्थिक सहयोग

2359. श्री उदय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्राइल ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में इस्राइल का सहयोग पाने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार को क्या लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारत और इस्राइल द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों को एक नया आयाम देने के लिए सहमत हो गए हैं जिससे आर्थिक सहयोग 2002 में 200 मिलियन अमरीकी डालरों से कम से बढ़कर वर्ष 2003 में 1.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

(ग) और (घ) 1992 से दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित होने के समय से अब तक भारत और इस्राइल ने अनेक द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौता ज्ञापनों में व्यापार, कृषि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, निवेश संवर्धन और सुरक्षा, दोहरे कर से बचना, दूरसंचार, नागर विमानन, इलैक्ट्रोनिक व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र शामिल हैं। संयुक्त व्यापार व आर्थिक समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं।

इस्राइल सहित विदेशी राष्ट्रों के साथ आर्थिक सहयोग पारस्परिक रूप से लाभप्रद है और सभी सम्बन्धित पक्षों को संवर्धित करेगा।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग पर कर

2360. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे कपास से सिले-सिलाए वस्त्र बनाने वाली वस्त्र इकाइयों से कर संग्रहीत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत शुद्ध कर लिया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सिले-सिलाए वस्त्र बनाने वाले व्यापारियों से करों का वास्तविक संग्रहण कितना था?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) बजट 2004-05 के अनुसार सेनवैट योजना को सूती यार्न स्तर से सूती परिधान के लिए वैकल्पिक बनाया गया है अर्थात् उत्पाद शुल्क की छूट लेने अथवा 4 प्रतिशत की दर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है और इससे शुल्क-ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। कच्ची कपास पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट जारी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र उत्पाद शुल्क में हुए परिवर्तनों, जिनमें मूल उत्पाद शुल्क (बी.ई.डी.), वस्त्र और वस्त्र संबंधी वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क (ए.टी. एंड टी.) और वस्त्र मदों पर विशेष महत्व के सामान (ए.ई.डी.एस.टी.) के लिए बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है, के समेत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(% में)

क्र.सं.	मदें	2001-02	2002-03	2003-04
1.	कच्चा कपास	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सूती यार्न	9.20	9.20	9.20
3.	प्रसंस्कृत सूत के बुने हुए फैब्रिक	16	12	10
4.	निटेड या बुने हुए सूती फैब्रिक	शून्य	12*	8
5.	सूती वूवन परिधान	16	12	10
6.	निटेड सूती परिधान	16	12*	8

*वैकल्पिक शुल्क

(ग) सूती मदों सहित अपैरल एवं क्लोदिंग सहायक सामग्री (निटेड नहीं) की वस्तुओं से पिछले तीन वर्षों के दौरान एकत्रित केंद्रीय उत्पाद शुल्क का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

2001-02	141.60
2002-03	123.23
2003-04	170.00

[अनुवाद]

तम्बाकू किसानों को ऋण देना

2361. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक उन तंबाकू उत्पादकों को ऋण नहीं दे रहे हैं जो पहले ऋण ले चुके हैं लेकिन मानसून न आने के कारण ऋण चुका नहीं पाए;

(ख) यदि हां, तो ऐसे किसानों को धनराशि जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में तंबाकू किसानों को ऋण चुकाने हेतु मोहलत देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के तंबाकू किसानों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज माफ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों के प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में तंबाकू कृषकों सहित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए उपाए किए जाने के बारे में परामर्श देता है। विद्यमान मार्गनिर्देशों में बैंकों को निम्नलिखित अनुमति प्रदान की जाती है:

(i) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लगातार फसल न होने/फसलों को क्षति की गहनता के आधार पर ऋणों को उसे वर्षों तक की अवधि में परिवर्तित करना/पुनर्निर्धारित करना;

(ii) प्रभावित किसानों को नए फसल ऋण मंजूर करना;

(iii) मूलधन एवं विद्यमान ऋणों पर देय ब्याज को परिवर्तित करना;

(iv) परिवर्तित/पुनर्निर्धारित ऋणों के भाग को अनुपयोज्य आस्ति (एन.पी.ए.) के रूप में न मानना;

(v) परिवर्तित/पुनर्निर्धारित ऋणों आदि के संबंध में ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में न बदलना;

(vi) प्रतिभूति एवं मार्जिन संबंधी मानदंडों में ढील;

(vii) जिन कृषकों की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनके लिए उपभोग ऋणों का प्रावधान।

कृषि ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के संबंध में दिनांक 18 जून, 2004 को सरकार द्वारा की गई घोषणा में भी किसानों के लिए निम्नलिखित राहत उपायों का प्रावधान है:

(i) पीड़ित किसानों के लिए ऋणों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाना/ऋण की अवधि का पुनर्निर्धारण एवं नए ऋण;

(ii) लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए एकबारगी निपटान (ओ.टी.एस.);

(iii) उन किसानों को नए ऋण, जिनके पूर्व ऋणों का समझौते या बट्टे खाते द्वारा निपटान कर दिया गया है;

(iv) गैर संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी किसानों को ऋण।

घोषणा के अनुसार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 24 जून, 2004 को वाणिज्यिक बैंकों को और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने दिनांक 29 जून, 2004 को ग्रामीण सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

वनियाडीह परियोजना में कामगारों की मृत्यु

2362. श्री मोहन सिंह: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मई, 2004 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की वनियाडीह परियोजना में जमीन धंसने के कारण 300 खनिकों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह घटना अवैध खनन अथवा कुछ अन्य कारणों से हुई;

(ग) क्या ऐसे अवैध खनन कार्य सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से किए जाते हैं; और

(घ) इस प्रकार के अवैध कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) उपलब्ध सूचना तथा पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) के अनुसार, बनियाडीह कोलियरी तथा गिरिडीह में 28 मई, 2004 को एक दुर्घटना में 4 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।

(ख) साक्ष्य दर्शाते हैं कि भूमि के नीचे अवैध खनन के कारण धंसाव हुआ।

(ग) यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. का कोई अधिकारी/कर्मचारी ऐसे अवैध खनन में शामिल था।

(घ) अवैध खनन को रोकने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:—

(1) कोलियरी सुरक्षा स्टाफ (कर्मचारी) द्वारा बार-बार निरीक्षण।

(2) प्राथमिकियों (एफ.आई.आर.) को नियमित रूप से दर्ज कराना।

(3) जहां भी संभव हो, वहां डैम द्वारा ऐसे क्षेत्रों को ढहाना।

(4) सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग/सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा तथा स्थानीय समाचार-पत्रों के माध्यम से दृश्य-प्रचार करना।

(5) राज्य पुलिस के साथ नियमित सम्पर्क।

(6) आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तथा संयुक्त रूप से राज्य पुलिस के साथ भी क्षेत्रों में गश्त लगाना।

वस्तुओं की तस्करी पर रोक

2363. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तिथि तक जब्त की गई तस्करी की वस्तुओं का मूल्य और ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान एवं जून, 2004 तक जब्त की गई तस्करी की वस्तुओं का मूल्य और उनकी संख्या एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	मामलों की संख्या जिनमें तस्करी किए गए माल को जब्त किया गया	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
2001-02	28866	207.75	370
2002-03	35256	176.99	359
2003-04	41434	265.66	260
2004-05 (जून, 2004 तक)	8070	53.91	38

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सम्बद्ध कानूनों के उपबंधों के तहत् गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है।

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए चौकस एवं सतर्क हैं।

राजकोषीय घाटा

2364. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्ण:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी "स्टैंडर्ड एंड पुअर्स" ने सरकार को राजकोषीय घाटे संबंधी चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) स्टैंडर्ड एवं पुअर्स जो एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यह विचार व्यक्त करती रही है कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करने तथा सरकारी कर्ज के भार में वृद्धि को रोकने के विभिन्न सरकारी स्तरों के बीच संगठित प्रयासों से भारत की स्थानीय मुद्रा रेटिंग का स्थिर दृष्टिकोण कायम हो सकता है। एजेंसी ने आगे यह विचार भी व्यक्त किया है कि देश की वृद्धि की संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए संरचनात्मक सुधारों के साथ बेहतर राजकोषीय निष्पादन और इसकी सुदृढ़ विदेशी रूपरेखा से एक उन्नत विदेशी मुद्रा रेटिंग बन सकती है।

(ख) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, केन्द्रीय सरकार को राजकोषीय एवं राजस्व घाटे में कटौती करने के लिए अधिदेशित करता है ताकि 31 मार्च, 2008 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके। केन्द्रीय बजट 2004-05 में वर्ष 2003-04 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से राजकोषीय घाटे में कटौती के द्वारा 4.4 प्रतिशत कर देने का उल्लेख है। राजस्व घाटे का वर्ष 2003-04 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 3.6 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2004-05 में 2.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से सहायता

2365. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत गरीबी समाप्त करने और देश के साक्षरता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए बढ़ी हुई विकास सहायता हेतु बाध्यकारी मामला तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बढ़ी हुई सहायता धनराशि की दलील का पक्ष लिया;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में भारत के अच्छे कार्य-निष्पादन के दृष्टिगत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों किस हद तक अधिक सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के आगे और कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों कुल कितनी सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने भारत को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) अपने आप में विकास गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि बाह्य असन्तुलनों का सामना कर रहे देशों के लिए सिर्फ संरचनात्मक समायोजन प्रयोजनों के लिए ही उधार देता है। भारत ने वर्ष 1993 से आई.एम.एफ. से कोई सहायता नहीं ली है।

विकास केन्द्रों द्वारा संसाधनों का उपयोग

2366. **श्री राम कृपाल यादव:**

श्री काशीराम राणा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास केन्द्रों जैसी अवसंरचनात्मक योजनाओं को केवल सीमित-सी-सफलता प्राप्त हुई है जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का कम उपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो देश में अपनी स्थापना के बाद से सभी विकास केन्द्रों द्वारा संसाधन उपयोगिता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों से इसके प्रभावों संबंधी अध्ययन करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना की शुरुआत पहचान किए गए औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में अपेक्षित अवसंरचना प्रदान करने के लिए की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, 71 स्थलों को शामिल किया जाना था। स्वीकृत विकास केन्द्रों, उपगत व्यय और जारी की गई केन्द्रीय सहायता के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

— इस योजना के अन्तर्गत 31.3.2004 तक विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 494.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। राज्य सरकारों ने अवसंरचना के सृजन हेतु इन विकास केन्द्रों को 785.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी।

— केन्द्र सरकार ने 26 विकास केन्द्रों को पूरी राशि जारी कर दी थी और 71 विकास केन्द्रों में से 46 विकास केन्द्रों में भूखंड/शैड्स का आबंटन का कार्य पहले से ही शुरू हो गया था।

— इन विकास केन्द्रों ने 31.3.2004 तक 9,888.04 करोड़ रुपये का निवेश आकृष्ट किया था, इसके अतिरिक्त 33,075 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए उन जिलों में जहां राज्य सरकारों ने इस योजना के तहत पूरा लाभ उठाया है, वहां लाभदायक और गुणवत्ता अवसंरचनाओं का सृजन हुआ है। धीरे-धीरे संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को उन विकास केन्द्रों के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए कहा जा रहा है, जिनके लिए पूर्ण केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विकास केन्द्र योजना की स्थापना से पिछड़े हुए क्षेत्रों में सामाजिक और औद्योगिक अवसंरचना में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।

विवरण

देश में सभी विकास केन्द्रों का संसाधन उपयोग

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य, विकास केन्द्र/जिले का नाम	केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि	राज्य तथा इसके अभिकरणों द्वारा जारी की राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	हिन्दुपुर (अनन्तपुर)	200.00	179.81	379.81
2.	जैडचेरला (महबूबनगर)	50.00	—	—
3.	बोबिली (विजयनगरम्)	551.00	521.34	1058.47
4.	अंगोले (प्रकासम)	860.00	737.67	1414.41
	अरुणाचल प्रदेश			
5.	निकलॉग गोरलंग (ईस्ट सियांग)	668.00	137.50	525.51
	असम			
6.	मटिया (गोलपाड़ा)	700.00	152.11	402.03

1	2	3	4	5
7.	चारिद्वार (सोनितपुर)	816.00	192.05	952.72
8.	चायगांव-पटगांव (कामरूप)	500	—	—
बिहार				
9.	बेगुसराय (बेगुसराय)	500.00	697.75	943.87
10.	भागलपुर (भागलपुर)	50.00	392.77	458.40
11.	छपरा (छपरा)	50.00	90.00	9.70
12.	दरभंगा (दरभंगा)	50.00	—	—
13.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	50.00	90.00	9.73
छत्तीसगढ़				
14.	बोराई (दुर्ग)	1000.00	1477	2370.02
15.	सिलतारा (रायपुर)	1000.00	1763.84	2753.84
गोवा				
16.	इलक्ट्रॉनिक सिटी (वर्ना प्लेट्यू)	1000.00	1234.31	2058.31
गुजरात				
17.	गांधी धाम (कच्छ)	785.00	500.00	665.04
18.	पालनपुर (बनासकांठा)	350.00	500.00	473.00
19.	वागरा (भरूच)	1000.00	3940.25	4940.25
हरियाणा				
20.	बावल (रेवाड़ी)	1000.00	8448.87	9448.87
21.	साहा (अम्बाला)	850.00	511.07	1361.07
हिमाचल प्रदेश				
22.	कांगड़ा (कांगड़ा)	1103.00	397.12	717.08
जम्मू और कश्मीर				
23.	लस्सीपोरा (पुलवामा)	925.00	256.92	681.92
24.	साम्बा (जम्मू)	1500.00	851.98	1851.98
झारखंड				
25.	हजारीबाग (हजारीबाग)	400.00	241.19	57.10
कर्नाटक		1000.00		
26.	धारवाड़ (धारवाड़)		5165.00	6164.98
27.	रायचूर (रायचूर)	1000.00	1916.69	2716.69
28.	हसन (हसन)	1000.00	6319.52	7319.52

1	2	3	4	5
केरल		1000.00	2558.37	3417.43
29.	कन्नूर-कोजिकोड़ (कन्नूर-कोजिकोड)			
30.	(अलपुज्झा-मालाप्पुरम) अलपुज्झा-मालाप्पुरम	1000.00	3004.37	3201.39
मध्य प्रदेश				
31.	चैनपुरा (गुना)	250.00	352.00	602.00
32.	घिरोंगी (भिन्ड)	1000.00	3282.41	4282.41
33.	खेड़ा (धार)	1000.00	1161.63	2163.00
34.	सतलापुर (रायसेन)	1000.00	500	1391.80
महाराष्ट्र				
35.	अकोला (अकोला)	1000.00	1500	2254.27
36.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	815.00	732.25	1480.68
37.	धूले (धूले)	780.00	800.00	1271.02
38.	नान्देड़ (नान्देड़)	1000.00	976.03	1799.86
39.	रत्नागिरी (रत्नागिरी)	440.00	200.00	573.54
मणिपुर				
40	लामलेई-नापेड (इम्फाल-ईस्ट)	150.00	126.59	8.56
मेघालय				
41.	मेंदीपत्तर (ईस्ट गारो हिल्स)	550.00	355	0.32
मिजोरम				
42.	लौंगमाल (एजल)	880.00	160.44	640.44
नागालैण्ड				
43.	गणेशनगर (कोहिमा)	1500.00	520.25	2020.25
उड़ीसा				
44.	छतरपुर (गंजम)	50.00	90.84	58.57
45.	कलिंगनगर-डुबरी (कटक)		1839.22	2679.22
46.	झारसुगुडा (झारसुगुडा)	268.00	124.07	324.07
47.	केसिंगा (कालाहांडी)	125.00	37.02	128.89
पांडिचेरी				
48.	पोलागाम-करायकल (करायकल)	650.00	685.00	1229.70
पंजाब				
49.	भटिण्डा (भटिण्डा)	1000.00	982.74	1982.74
50.	पठानकोट (गुरदासपुर)	1000.00	500.00	1246.42

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
51.	आबू रोड (सिरोही)	1000.00	2153.80	3153.80
52.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	300.00	414.47	714.47
53.	खारा (बीकानेर)	620.00	543.29	1163.29
54.	धौलपुर (धौलपुर)	1000.00	282.70	1282.70
55.	झालावाड़ (झालावाड़)	300.00	488.08	788.08
	सिक्किम			
56.	सालघारी-(सामलिक मारचाक)	500.00	—	—
	तमिलनाडु			
57.	इरोड (पेरियार)	1000.00	8182.59	9142.59
58.	ओरागादम (कांचिपुरम)	800.00	216.15	1016.15
59.	तिरूनेलवेली-गंगे कोनडान (तिरूनेलवेली-कट्टाबोम्मन)	930.00	1500.00	730.03
	त्रिपुरा			
60.	बोधजंगनगर (त्रिपुरा पश्चिम)	1500.00	81.99	1151.99
	उत्तरांचल			
61.	सिग्गृडी (पौड़ी गढ़वाल)	1050.00	—	—
	उत्तर प्रदेश			
62.	बिजौली (झांसी)	593.00	399.20	992.20
63.	जमौर (शाहजहांपुर)	315.00	585.00	900.00
64.	पकबारा (मुरादाबाद)	1000.00	2634.00	3634.00
65.	डिबियापुर (औरैया)	150.00	536.85	686.85
66.	जेनपुर (कानपुर देहात)	420.00	805.06	1225.06
67.	सथारिया (जौनपुर)	767.00	439.91	1006.91
68.	सहजनवा (गोरखपुर)	1000.00	1553.27	2553.27
	पश्चिम बंगाल			
69.	बोलपुर (बीरभूम)	200.00	100.00	192.50
70.	जलपाईगुड़ी (जलपाईगुड़ी)	200.00	150.00	260.00
71.	मालदा (मालदा)	400.00	274.25	384.00
	योग	49461.00	78543.60	113468.79

एजेन्टों द्वारा धनराशि के विप्रेषण के संबंध में उच्चतम सीमा

2367. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बचत एजेंट (एस.ए.एस. एजेंटों) और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना एजेन्टों के द्वारा एक दिन की अधिकतम धनराशि के संग्रह और विप्रेषण के लिए कोई उच्चतम सीमा का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिकतम परिसीमाओं संबंधी उच्चतम सीमा को बढ़ाने तथा इस मुद्दे की जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कॉटन, यार्न और सिलेसिलाये कपड़ों का निर्यात

2368. **श्री नीतीश कुमार:**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से कॉटन, यार्न, वस्त्र और सिलेसिलाए कपड़ों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार इनका पृथकत: ब्यौरा क्या है तथा इनका मूल्य कितना रहा;

(ग) क्या सरकार ने कॉटन और यार्न के स्थान पर वस्त्र और सिलेसिलाए कपड़ों के निर्यात के संवर्द्धन के लिए कोई प्रोत्साहन देने वाली योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कॉटन और यार्न के निर्यात के स्थान पर वस्त्र और सिलेसिलाए कपड़ों के निर्यात से लाभ में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त वृद्धि के अनुमानित घटक कौन-कौन से हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान देश से कपास, यार्न, फैब्रिक और सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित रहा है—

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

मद	अप्रैल-मार्च 2001-02	अप्रैल-मार्च 2002-03	अप्रैल-फरवरी 2003-2004
कुल वस्त्र निर्यात	10764.7	11842.2	11698.5
जिसमें से:			
(1) सिलेसिलाए परिधान	4618.7	5031.5	4946.7
(2) सूती यार्न, फैब्रिक्स और मेडअप्स	3072.9	3271.3	2971.3
(3) मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स और मेडअप्स	1065.0	1315.5	1582.0
(4) ऊनी यार्न, फैब्रिक्स और मेडअप्स	52.2	50.3	54.1
(5) प्राकृतिक सिल्क यार्न, फैब्रिक्स और मेडअप्स	278.2	299.8	338.3

(ग) मूल्य वर्धित मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, यथा-वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.), विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा बुनाई उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए समूह कार्यशाला विकास योजना, संभावित वस्त्र विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना के वास्ते संकेंद्रित बल प्रदान करने के लिए निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना आदि। इसके अलावा, परिधान निर्यातकों को पूर्व के वर्ष में उनके निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 3 प्रतिशत तक शुल्क मुक्त आधार पर सजावट और अलंकरण की कुछ मदों का आयात करने की अनुमति भी दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, घरेलू वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय बजट, 2004-05 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है:—

- टेक्स्चराइज्ड यार्न, सिंथेटिक और कृत्रिम फाइबरों तथा सिंथेटिक और कृत्रिम फिलामेंट यार्नों सहित पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर, संपूर्ण मूल्य वर्द्धन शृंखला को उत्पाद छूट विकल्प प्रदान किया गया है।
- वस्त्र और वस्त्र मदों (ए.टी. एंड टी.) पर अतिरिक्त उत्प.द शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है।
- विभिन्न वस्त्र मशीनरी और कल-पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार ने कपास और यार्न की बजाय फैब्रिक और सिलेसिलाए परिधानों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना शुरू नहीं की है।

(घ) और (ङ) लाभ मार्जिन, गुणवत्ता, कीमतों, मांग और आपूर्ति की स्थिति आदि जैसे कई वाणिज्यिक पहलुओं पर निर्भर करता है। मूल्य वर्धित उत्पादों में लाभ मार्जिन कच्ची सामग्री के लाभ मार्जिनों की अपेक्षा सामान्यतः बेहतर है। सरकार इसके बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पाद निर्यात

2369. श्री भर्तृहरि महताब:

श्री पी.सी. थामस:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के समुद्री उत्पाद निर्यात क्षमता का पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वर्ष 2004-05 के लिए समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत से समुद्री उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने हेतु अमेरिका द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे काम को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) समुद्री मत्स्य उद्योग की पूरी क्षमता के बारे में अलग-अलग राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, खारे पानी के क्षेत्र के क्षमता संबंधी अनुमान उपलब्ध हैं। यह अनुमान है कि भारत में खारे पानी का 1.20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र श्रिम्प कृषि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस समय केवल 1,71,353 हेक्टेयर क्षेत्र को श्रिम्प कृषि के लिए विकसित किया गया है जो उपलब्ध क्षमता का केवल 14.4 प्रतिशत है। उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विकसित क्षेत्र उपलब्ध क्षमता का क्रमशः 40.76 प्रतिशत, 42.94 प्रतिशत और 1.32 प्रतिशत है। तथापि और वृद्धि की संभावना उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 के निर्णय जिसमें तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) क्षेत्र में परम्परागत और परम्परागत किस्म की सुधरी हुई कृषि को छोड़कर जलकृषि उद्योग/फार्मों की स्थापना करने का निषेध किया गया है, और व्यापक रूप से फैले वायरल संक्रमण के कारण बीमारी के बढ़े हुए खतरे का प्रभाव पड़ा है।

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्कीमें चलाना; स्वच्छता और गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु कदम उठाना; जलकृषि का विस्तार करना; बीमारी फैलने से रोकने के लिए कुशल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने हेतु जल कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना; निर्यात हेतु मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना, विपणन सहायता प्रदान करना; आदि शामिल हैं।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए 1300 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ङ) और (च) अमरीका की दि सदर्न श्रिम्प एलायन्स (एस.एस.ए.) ने अमरीका में भारत सहित चुनिंदा श्रिम्प निर्यातक देशों के विरुद्ध पाटनरोधी कार्रवाई करने के लिए मामला दायर किया है। भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन (एस.ई.ए.आई.) इस कार्रवाई में भारत के श्रिम्प निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार इस संबंध में समस्त आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निदेशों का क्रियान्वयन

2370. श्री संतोष गंगवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12000 रुपए मूल वेतनमान में सीनियर टाइम स्केल और उससे ऊपर के कुल 30 प्रतिशत पदों को सीनियर टाइम स्केल

दिए जाने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निदेशों को डी.जी.एस. एंड डी. में लागू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त को अन्य इंजीनियरिंग सेवा संवर्ग में लागू किया गया था; और

(घ) डी.जी.एस. एंड डी. में इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) संगठित इंजीनियरी सेवाओं में पदों का पुनर्वितरण, (ii) पात्रता मानदंड, मूल्यांकन की पद्धति और संबंधित अधिकारी की उपयुक्तता तथा विभागीय पदोन्नति समिति के गठन को शामिल करते हुए संबंधित भर्ती नियमों के संशोधन, और (iii) संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार सेवाओं के वरिष्ठ समय वेतनमान के पात्र अधिकारियों को प्रस्तावित चयन ग्रेड प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है। हालांकि (i) और (ii) से संबंधित कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है, परन्तु (iii) से संबंधित कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्चतम न्यायालय के समक्ष सेवा के कुछ अधिकारियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न मामलों से उत्पन्न वरिष्ठ समय वेतनमान अधिकारियों की वरिष्ठता में विवाद उत्पन्न हो गए हैं।

(ग) वाणिज्य विभाग दो इंजीनियरी सेवाओं अर्थात् भारतीय आपूर्ति सेवा और भारतीय निरीक्षण सेवा के संबंध में नियंत्रक प्राधिकरण है जिनके अधिकारी अधिकांशतः डी.जी.एस. एंड डी. में नियुक्त हैं, इसलिए यह अन्य इंजीनियरी सेवा संवर्ग प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वयन की तारीख के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता।

(घ) चूंकि वरिष्ठ समय वेतनमान के अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में विवाद है इसलिए इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी

2371. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में कितनी प्राइवेट इंस्योरेंस कंपनियां कार्य कर रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी प्राइवेट इंस्योरेंस कंपनियां बंद हुई; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राइवेट इंस्योरेंस कंपनियों के क्या वित्तीय परिणाम रहे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) इस समय, देश में 21 प्राइवेट बीमा कंपनियां कार्य कर रही हैं।

(ख) जी, कोई नहीं।

(ग) सभी बीमा कंपनियों के वित्तीय परिणाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्टों में समाविष्ट किए गए हैं जिन्हें सभा पटल पर रख दिया गया है।

[हिन्दी]

नगरों को विमान सेवा से जोड़ना

2372. श्री सत्यनारायण जटिया:
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:
श्री बची सिंह रावत 'बचदा':

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश के उन नगरों के क्या नाम हैं जिन्हें दक्षिण भारत के नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर और चेन्नई जैसे बड़े नगरों से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उक्त सेवाओं को उपलब्ध कराने में कितना समय लगने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार एयरलाइनें अपनी इच्छानुसार उन मार्गों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जिन पर वह प्रचालन करना चाहते हैं। तथापि, सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें उत्तर-पूर्व क्षेत्र भी शामिल हैं, में हवाई यातायात सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हवाई यातायात सेवाओं के बेहतर नियमन के लिए मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे विशिष्ट स्थानों पर ट्रैफिक मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर हवाई सेवाएं प्रदान करें।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम द्वारा नई योजनाएं

2373. श्री कैलाश मेघवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने पुरानी योजनाओं के स्थान पर नयी योजनाएं लाकर पुरानी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पुरानी पालिसियों के क्या परिणाम रहे; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप पालिसीधारकों को किस सीमा तक लाभ मिलेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे अपनी योजनाओं की प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षा करते हैं और अपनी कुछ पुरानी योजनाओं को नई योजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। योजनाओं की पुनरीक्षा मृत्यु दर के नए आंकड़ों, बाजार में विद्यमान ब्याज दरों और पालिसीधारकों की आवश्यकताओं के अनुकूल सुधार आरम्भ करने की जरूरतों पर आधारित होती है। नई स्कीमों द्वारा प्रतिस्थापित पुरानी योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के लिए पुरानी और नई योजनाओं के अन्तर्गत बेची गयी पालिसियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	बेची गयी पालिसियों की संख्या (हजार में)	
	पुरानी योजनाएं	नई योजनाएं
2002-03	642	277
2003-04	114	1277

(घ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि नई योजनाएं लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गयी थीं। ये अत्यन्त लोकप्रिय हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत बिक्री प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है।

विवरण

पुरानी योजना	नई योजना
तत्काल वार्षिकी (सारणी 44), जीवन अक्षय (सारणी 97), मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी सहित तत्काल वार्षिकी (सारणी 115), जीवन सरिता (सारणी 117)	नई जीवन अक्षय (सारणी 144)
आस्थगित वार्षिकी (सारणी 45), जीवन धारा (सारणी 96) मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी सहित आस्थागित वार्षिकी (सारणी 116)	नई जीवन धारा (सारणी 145)
बीमा किरण (सारणी 111)	नई बीमा किरण (सारणी 150)
जीवन श्री (सारणी 112)	नई जीवन श्री (सारणी 151)
12 वर्षीय जीवन संचय (सारणी 123)	12 वर्षीय जीवन समृद्धि (सारणी 154)
जीवन सुरक्षा (सारणी 122)	नई जीवन सुरक्षा-I (सारणी 147)
15 वर्षीय जीवन संचय (सारणी 124)	15 वर्षीय जीवन समृद्धि (सारणी 155)
20 वर्षीय जीवन संचय (सारणी 125)	20 वर्षीय जीवन समृद्धि (सारणी 156)
25 वर्षीय जीवन संचय (सारणी 126)	25 वर्षीय जीवन समृद्धि (सारणी 157)
बीमा निवेश (सारणी 132)	बीमा निवेश 2001 (सारणी 141)
बीमा निवेश 2001 (सारणी 141)	नई बीमा निवेश (सारणी 142)
नई जीवन अक्षय (सारणी 144)	नई जीवन अक्षय-I (सारणी 146)
नई जीवन धारा (सारणी 145)	नई जीवन धारा-I (सारणी 148)
नई जीवन श्री (सारणी 151)	जीवन बीमा निगम की जीवन श्री-I (सारणी 162)
अनमोल जीवन (सारणी 153)	अनमोल जीवन-I (सारणी 164)
नई बीमा निवेश (सारणी 142)	बीमा निवेश 2002 (सारणी 158)
चिल्ड्रन्स मनी बैक (सारणी 113)	कोमल जीवन (सारणी 159)

पुरानी योजना	नई योजना
नई जीवन अक्षय-I (सारणी 146)	जीवन बीमा निगम की जीवन अक्षय-II (सारणी 163)
बीमा निवेश 2002 (सारणी 158)	बीमा निवेश 2004 (सारणी 166)

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने, सतीश शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एक पत्र संख्या एस.टी.बी.सी. (परि.) सं. 5/2002, तारीख 10.2.2002 जारी किया था। दिल्ली विधिज्ञ परिषद् ने उसके बदले में विभिन्न विभागों को एक पत्र सं. 579/2002, तारीख 24.5.2002 जारी किया था। ऊपर निर्दिष्ट पत्र सं. 579/2002, तारीख 24.5.2002 के अंतिम पैरा में दिल्ली विधिज्ञ परिषद् ने विभागों से ऐसे विधि अधिकारियों के बारे में ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है, जो उनकी सेवा में है। दिल्ली विधिज्ञ परिषद् ने विधि अधिकारियों की कोई पृथक् सूची नहीं रखी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में बैंकों द्वारा निवेश

2374. श्री विजय कृष्णः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यों में निवेश के लिए बैंकों और अन्य संस्थानों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या बिहार में बैंकों और अन्य संस्थानों द्वारा किया गया निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों द्वारा बिहार के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही ऋण सुविधाएं बहुत ही कम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए और अधिक लोगों को ऋण देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि उसने वाणिज्य बैंकों और अन्य संस्थाओं को राज्यों में निवेश के बारे में कोई विशेष दिशानिर्देश जारी नहीं किया है।

(ख) और (ग) आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि वाणिज्य बैंकों ने बिहार राज्य में राज्य सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकार गारंटीकृत प्रतिभूतियों में 31 मार्च, 2001, 2002 और 2003 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 452449 लाख रुपए, 506592 लाख रुपए और 530617 लाख रुपए निवेश किये थे।

(घ) और (ङ) आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि बिहार राज्य के लिए प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2002 में 770 रुपए और वर्ष 2003 में 689 रुपए था, जो कम माना जाता है।

अधिवक्ताओं द्वारा लाइसेंसों को अभ्यर्पित करना

2375. श्री रघुनाथ झाः क्या **विधि और न्याय मंत्री** अधिवक्ताओं द्वारा लाइसेंस और एनरोलमेंट को अभ्यर्पित करने के बारे में 25 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1629 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

कॉयर निर्यात

2376. श्री पी. करुणाकरनः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बाजार में प्राकृतिक फाइबरों की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो कॉयर और कॉयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉयर और कॉयर उत्पादों के निर्यात और उससे प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा का वर्षवार, राज्यवार और वर्गवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा निर्यात बाजारों के साथ व्यापार बढ़ाने और नए बाजार प्राप्त करने के उद्देश्य से कॉयर बोर्ड बाजार अध्ययन सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में भागीदारी, प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी, माल सूची प्रदर्शनियों और उत्पाद संवर्धन कार्यक्रमों की स्कीमें या तो कार्यान्वित कर रहा है अथवा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कॉयर बोर्ड ने कॉयर और कॉयर उत्पादों के लिए इको मार्क लेबलिंग प्राप्त करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भी प्रस्ताव भेजे हैं। इससे पारिस्थितिकीय रूप से सचेत पश्चिमी देशों में उत्पादों की स्वीकार्यता में वृद्धि होगी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कॉयर और कॉयर उत्पादों के वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरे और अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि नीचे प्रस्तुत की गयी है:—

(मात्रा टन में) (मूल्य लाख रुपए में)

मद	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कॉयर फाइबर	1010.30	122.13	1036.87	103.80	1120.75	142.44
कर्ल्ड कॉयर	572.52	80.63	492.37	80.05	76.64	14.02
कॉयर पिथ	13725.65	1014.34	21064.19	1493.00	29179.35	1975.92
कॉयर रस्सी	348.64	108.04	332.40	102.05	308.88	111.46
कॉयर धागा	13206.90	3728.60	11482.48	2996.78	12364.43	3498.71
कॉगर जियोटेक्सटाइल्स	1752.05	780.13	2140.68	985.22	2599.54	1184.74
कॉयर कालीन	1329.97	1039.77	1327.08	932.41	1694.56	1071.36
हथकरघा चटाईयां	26147.89	17009.85	33058.74	20711.80	36306.99	22133.69
हथकरघा मैटिंग्स	4423.27	2921.03	4772.63	3191.41	4545.56	2838.66
पावरलूम चटाईयां	686.51	458.19	954.85	585.52	1026.28	672.13
पावरलूम मैटिंग्स	274.05	226.18	183.16	111.78	309.04	215.44
टफटेड चटाईयां	7129.54	4112.36	6429.05	3434.74	11772.50	6359.54
रबराइज्ड कॉयर	454.62	350.37	535.23	403.42	461.75	334.67
अन्य प्रकार के कॉयर	272.90	106.81	372.86	138.55	490.21	197.90
कुल	71334.81	32058.33	84182.59	35270.53	102256.48	40750.68

कॉयर निर्यात के राज्य-वार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

आयकर चूककर्त्ता

2377. **श्री सुरेश चन्देल:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार उन 20 शीर्ष लोगों और कारपोरेट निकायों के नाम क्या हैं जिन्होंने आयकर अदा करने में चूक की है;

(ख) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है और यह धनराशि कब से बकाया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आयकर अदा न करने वाले चूककर्त्ताओं से बकाया की वसूली के लिए उपाय किए हैं या समय पर आयकर जमा करने वालों को छूट/प्रोत्साहन दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने चूककर्त्ताओं द्वारा आयकर अदा न करने तक इन्हें और ऋण और अग्रिम न देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) कोई कर निर्धारिती चूककर्ता है अथवा नहीं यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 के प्रावधानों में यथा प्रतिपादित अनेक कारकों पर निर्भर करेगा। कुछ मामलों में, प्राधिकारियों द्वारा

दिए गए आदेशों द्वारा मांग को पूरा किया जा सकता है जो कर निर्धारिती को चूककर्त्ता मानने के लिए सहमत नहीं होते हैं अथवा किस्तों के जरिए भुगतान की अनुमति दी जा सकती है। चूक की स्थिति को नियंत्रित करने वाली परिस्थितियां, आयकर प्राधिकारियों, अपीलीय प्राधिकरणों, अधिकरणों तथा न्यायालयों के समक्ष कार्रवाइयों को शुरू करने अथवा पूरा करने के कारण समय-समय पर बदलती रहती है। इसके फलस्वरूप, प्राकृतिक न्याय के हित में बकाया मांग वाली सभी कम्पनियों तथा व्यष्टियों को "चूककर्त्ताओं" के रूप में श्रेणीबद्ध करना संभव नहीं हो सकता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बकाया कर की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है जो आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के साथ पठित अध्याय-XVII के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। करों की समय से अदायगी के लिए कोई विशिष्ट प्रोत्साहन नहीं है। तथापि, अग्रिम कर के विलंबित/आस्थगित भुगतान के लिए धारा 234-ख तथा ग के अन्तर्गत प्रभारित ब्याज एवं आयकर अधिनियम की धारा 220 (2) के अन्तर्गत प्रभारित ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किया जाता है, यदि करों का भुगतान समय पर कर दिया जाता है। जब कर की चूक की जाती है तो करों की समय पर अदायगी करके धारा 221(1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय अर्थदण्ड से भी बचा जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बकाया कर के भुगतान को किसी कर निर्धारिती द्वारा ऋण तथा अग्रिमों को लेने के साथ जोड़ने के लिए आयकर अधिनियम में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खाली भूमि का प्रयोग

2378. श्री सूरज सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की खाली भूमि को प्रयोग में लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) बिक्री के लिए पहचान की गई एन.टी.सी. की 9 सहायक कंपनियों की अतिरिक्त भूमि का कुल क्षेत्रफल 2697.53 एकड़ है।

(ग) सरकार ने बी.आई.एफ.आर. के दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से अतिरिक्त भूमि की बिक्री करने के लिए परिसंपत्ति बिक्री समितियों (ए.एस.सी.) का पहले ही गठन कर लिया है। 31.05.2004 की स्थिति के अनुसार, एन.टी.सी. की कई मिलों में 302.29 करोड़ रुपए मूल्य की 558.023 एकड़ भूमि की बिक्री कर दी गई थी।

[अनुवाद]

कृषि निर्यात जोन के रूप में दार्जिलिंग

2379. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से दार्जिलिंग को एक कृषि-निर्यात जोन के रूप में चाय उगाने वाला क्षेत्र घोषित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कृषि-निर्यात जोन के रूप में दार्जिलिंग को चाय उगाने वाला क्षेत्र घोषित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे चाय उत्पादकों को क्या लाभ प्राप्त होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) दार्जिलिंग चाय-उत्पादक क्षेत्रों को एक कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जेड.) घोषित करने के लिए दार्जिलिंग प्लांटर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया और चाय बोर्ड द्वारा अनुशंसित कए प्रस्ताव कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) यह प्रस्ताव दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी चाय उत्पादक क्षेत्रों को शामिल करते हुए कृषि निर्यात जोन की स्थापना करने के लिए है।

(घ) यदि प्रस्तावित ए.ई.जेड. अनुमोदित हो जाता है तो चाय उत्पादकों को कोई भी लाभ राज्य और केन्द्र सरकारों की मौजूदा स्कीमों के ढांचे के भीतर प्राप्त होंगे।

[हिन्दी]

कोयले की नई परियोजनाएं

2380. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत कोयले की नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना अवधि के दौरान कितनी परियोजनाएं शुरू की गई;

(ख) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई कोयला खानें खोलने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला क्षेत्र में निवेश की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की स्वीकृत तथा प्रारंभ हुई नई परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

क्र. सं.	कंपनी	स्वीकृत/शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या		पूंजीगत लागत (करोड़ रु. में)		क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	
		ओपनकास्ट	भूमिगत	ओपनकास्ट	भूमिगत	ओपनकास्ट	भूमिगत
1.	भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.)	2	2	59.08	9.77	1.06	0.21
2.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.)	2	—	176.14	—	2.20	—
3.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.)	3	—	1943.56	—	10.50	—
4.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.)	7	7	434.02	243.36	3.27	2.23
5.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.)	1	9	23.92	368.48	0.32	3.83
6.	महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.)	2	2	68.32	172.86	2.35	1.31
	कुल सी.आई.एल.	17	20	2705.04	794.47	19.70	7.58

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) में नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जिसमें से 9 परियोजनाएं उसी अवधि के दौरान प्रारंभ हो गई थीं।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सी.आई.एल. की 99 कोयला परियोजनाओं तथा एस.सी.सी.एल. की 19 परियोजनाओं की प्रारंभ करने के लिए पहचान की गई है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रारंभ की जा सकने वाली परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	15
2.	झारखंड	18
3.	उत्तर प्रदेश	5
4.	मध्य प्रदेश	9
5.	महाराष्ट्र	20
6.	छत्तीसगढ़	13
7.	उड़ीसा	19
8.	आंध्र प्रदेश	19
	जोड़	118

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेश की जाने वाली निधि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

कंपनी	दसवीं योजना दस्तावेजों के अनुसार पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं के पुन:प्राथमिकीकरण के पश्चात् संशोधित निधि आवश्यकता (करोड़ रु. में)
ई.सी.एल.*	1460.00	1437.96
बी.सी.सी.एल.	1300.00	1300.00
सी.सी.एल.	1250.00	1250.00
एन.सी.एल.	2750.00	3700.00
डब्ल्यू.सी.एल.	1435.00	1000.01
एस.ई.सी.एल.	3520.00	2320.73
एम.सी.एल.	2500.00	2500.00
अन्य**	95.00	95.00
कुल-सी.आई.एल.	14310.00	13603.70
कुल-एस.सी.सी.एल.	2113.00	2113.00
सकल जोड़	16423.00	15716.00

*ई.सी.एल.—ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

**(नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स/सी.आई.एल./दानकुनी कोयला काम्पलेक्स/इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ कोल मैनेजमेंट/कोल माइन्स प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट/रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट)

बुनकरों के हितों की रक्षा

2381. श्री पुन्नू लाल मोहले:

श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) भारत सरकार सामान्यतया, छत्तीसगढ़ राज्य के बुनकरों सहित देश में हथकरघा बुनकरों के कल्याण एवं विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं:—

1. दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
3. हथकरघा निर्यात योजना।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10 प्रतिशत की एक बारगी छूट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।
6. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।
7. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
8. बुनकर कल्याण योजना
   - (i) थ्रिफ्ट फंड योजना
   - (ii) नई बीमा योजना
   - (iii) स्वास्थ्य पैकेज योजना
9. बुनकर बीमा योजना
10. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।
11. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
12. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

वर्ष 2003-04 एवं चालू वर्ष (05.7.2004 तक) के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहित विभिन्न राज्यों को उपर्युक्त योजनाओं के तहत दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ में भी एक बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना, हथकरघा बुनकरों को तकनीकी सहायता प्रदान करने एवं डिजाइनिंग, बुनाई, रंगाई, छपाई इत्यादि में प्रशिक्षण देने हेतु की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्लान योजना		गैर-प्लान योजना	
		2003-04	2004-05 (5.7.04)	2003-04	2004-05 (5.7.04)
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	20.76	—	—	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	1784.14	0.47	949.46	3.86
3.	असम	762.86	—	114.90	—
4.	बिहार	12.62	—	97.80	—
5.	छत्तीसगढ़	46.63	—	—	—
6.	गोवा	—	—	—	—
7.	गुजरात	64.18	2.00	14.16	75.78
8.	हरियाणा	35.26	—	—	—

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	173.32	—	—	—
10.	झारखण्ड	—	—	—	—
11.	जम्मू-कश्मीर	40.76	—	—	16.48
12.	कर्नाटक	451.40	0.96	266.03	77.74
13.	केरल	821.84	36.95	294.19	—
14.	मध्य प्रदेश	45.23	—	42.80	—
15.	महाराष्ट्र	11.66	9.55	—	—
16.	मणिपुर	115.79	—	33.00	—
17.	मिजोरम	32.19	—	11.13	—
18.	मेघालय	3.91	—	0.10	—
19.	नागालैण्ड	1114.22	—	—	—
20.	उड़ीसा	78.03	93.29	158.89	24.34
21.	पांडिचेरी	—	—	—	—
22.	पंजाब	—	—	—	—
23.	राजस्थान	122.14	20.98	11.72	—
24.	सिक्किम	—	—	—	—
25.	तमिलनाडु	2619.46	1005.61	560.85	—
26.	त्रिपुरा	35.98	—	12.05	—
27.	उत्तर प्रदेश	1070.08	184.67	193.62	—
28.	उत्तरांचल	10.13	35.33	6.98	—
29.	पश्चिम बंगाल	180.45	7.09	356.16	—
30.	दिल्ली	112.00	105.00	—	—
	कुल	9765.04	1501.90	3123.84	198.20

[अनुवाद]

विमानपत्तनों को भारतीय वायु सेना के हवाले करना

2382. **श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना के रंगरूटों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए देश के कुछ विमानपत्तनों को भारतीय वायु सेना के हवाले करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास भारतीय वायु सेना को कोई भी हवाईअड्डा दिए जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित वानिकी विकास परियोजना

2383. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "समेकित वानिकी विकास परियोजना-2" (आई.एफ.डी.पी.-2) पर गुजरात सरकार के प्रस्ताव को जे.बी.आई.सी. के पास विचार के लिए भेजी गई परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है; और

(ख) जे.बी.आई.सी. द्वारा कब तक प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) "गुजरात वानिकी विकास परियोजना" नामक एक प्रस्ताव को वित्त वर्ष 2004-2005 के लिए सरकारी विकास सहायता हेतु जापान सरकार को प्रस्तुत परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है।

(ख) जापान सरकार परियोजना के चयन के संबंध में अपने निर्णय के बारे में यथेष्ट समय पर सूचित करेगी।

मध्यावधि वित्तीय सुधार कार्यक्रम

2384. श्री खगेन दास: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने मध्यावधि वित्तीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ 'सहमति पत्र' पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सभी पूर्वोत्तर राज्य, समझौते की सभी शर्तों को पूरा करते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष धनराशि को जारी करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05) के अंतर्गत, मिज़ोरम को छोड़कर सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों ने भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, अन्य राज्यों की तरह इन पूर्वोत्तर राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने राजस्व को बढ़ाने, अपने राजस्व व्यय को कम करने, ऋण और देनदारियों में हो रही वृद्धि को रोकने, अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विद्युत क्षेत्र की पुन:संरचना और बजटीय सुधारों के लिए सुधार उपायों को शुरू करने पर सहमति प्रकट की है। इन सभी उपायों का लक्ष्य मध्यम अवधि में राजकोषीय समेकन है।

विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में (वह श्रेणी जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्य आते हैं) निर्धारित प्रोत्साहन अनुदानों को जारी करने के लिए रखी गई सुविधा शर्त के अनुसार जिसमें भारत सरकार का अंशदान तथा गैर-योजनागत राजस्व घाटा अनुदान संबंधी राज्यों की रोकी गई 15 प्रतिशत के हिस्से की राशि भी शामिल हैं, में वार्षिक रूप से राजस्व घाटे के अनुपात में सुधार होकर अब यह पहले दो वर्ष में राजस्व प्राप्तियां प्रतिवर्ष की दर से 5 प्रतिशत अंक तक बढ़ रही है तथा वर्ष 2002-03 से इसमें अनुवर्ती प्रभाव से कम से कम 2 प्रतिशत अंक का सुधार आया है। अतिरिक्त राज्यों के राजस्व के संबंध में वर्तमान राजस्व तथा गैर-योजना राजस्व प्राप्तियों के संतुलन की दृष्टि से राशि जारी करने की प्रणाली में सुधार 3 प्रतिशत अंक तक पहुंच गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों को जारी प्रोत्साहन अनुदानों की स्थिति निम्नवत है:—

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
अरुणाचल प्रदेश	37.21	37.91	37.89
असम	32.72	28.04	30.35
मणिपुर	54.38	55.32	55.03
मेघालय	51.84	51.50	51.03
मिजोरम	जारी नहीं की गई	जारी नहीं की गई	जारी नहीं की गई
नागालैंड	97.22	102.08	109.09
त्रिपुरा	73.99	76.93	जारी नहीं की गई

वर्ष 2003-04 के लिए राज्यों के दावों की समीक्षा अपेक्षित सुधार साक्ष्य (सबूत) मिलने के पश्चात् अभी की जानी बाकी है। चिह्नित (बैंचमार्क) आवश्यकता को पूरा न किए जाने कारण के अतिरिक्त किसी भी अनुदान को किसी भी राज्य के लिए नहीं रोका गया है।

निर्यात संभावना

2385. श्री परसुराम माझी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य की निर्यात संभावना का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में राज्यवार निर्यात हिस्से का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य विशेषकर उड़ीसा की निर्यात संभावना का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार प्रत्येक राज्य का निर्यात निष्पादन प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.) द्वारा संकलित आंकड़ों का उपयोग करती है। वर्ष 2002-03 के लिए राज्य-वार निर्यात के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारत सरकार उड़ीसा सहित सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को निर्यात अवसंरचना के विकास तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) नामक एक स्कीम के अंतर्गत तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में उनके निर्यात निष्पादन तथा निर्यात वृद्धि के आधार पर निर्यात अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मूल्य रुपये में	% हिस्सा
1.	असम	4802633445	0.19
2.	मेघालय	2776354972	0.11
3.	मिजोरम	91052193	0.00
4.	बिहार	3781216194	0.15
5.	झारखंड	6299386493	0.25
6.	अरुणाचल प्रदेश	1082048786	0.04
7.	पश्चिम बंगाल	97561311605	3.82
8.	नागालैंड	44662936	0.00
9.	मणिपुर	392703911	0.02
10.	उड़ीसा	24064848611	0.94
11.	सिक्किम	750764896	0.03
12.	त्रिपुरा	11942576011	0.47
13.	अंडमान एवं निकोबार	118852762	0.00
14.	उत्तर प्रदेश	77275023213	3.03
15.	उत्तरांचल	608230785	0.02
16.	दिल्ली	158130360907	6.20
17.	पंजाब	61762197042	2.42
18.	हरियाणा	47939790098	1.88
19.	चंडीगढ़	1748610493	0.07
20.	जम्मू-कश्मीर	1464326395	0.06
21.	हिमाचल प्रदेश	2579709872	0.10
22.	राजस्थान	44304383714	1.74
23.	गुजरात	222087623733	8.70
24.	महाराष्ट्र	549788577374	21.55
25.	दमन तथा दीव	945420993	0.04
26.	गोवा	29090656456	1.14
27.	दादर तथा नगर हवेली	306039279	0.01
28.	मध्य प्रदेश	33351590970	1.31
29.	छत्तीसगढ़	4252156827	0.17
30.	आंध्र प्रदेश	92730489841	3.63
31.	कर्नाटक	141014831821	5.53
32.	लक्षद्वीप	97054571	0.00
33.	तमिलनाडु	280193188224	10.98
34.	केरल	56827335889	2.23
35.	पांडिचेरी	3121933064	0.12
	रिक्त अथवा अवैध	588044826610	23.05
	महायोग	2551372770986	100.00

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा एन.एस.ई. के कारोबार में धांधलियों पर रोक लगाना

2386. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) के कारोबार में धांधलियों की शिकायत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का देश के सैकेन्डरी बाजार को अनुशासित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सेबी द्वारा प्राप्त विशिष्ट स्क्रिपों या दलालों के संबंध में एक्सचेंजों के कारोबार में धांधलियों से संबंधित शिकायतों अथवा स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण से जुड़े मामलों की जांच की जाती

है और इस मामले में यथावश्यक समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) कारोबार में धांधलियों को रोकने तथा बाजारों की अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु, सेबी ने एक्सचेंजों द्वारा स्टॉक निगरानी की ऑनलाईन मॉनीटरिंग प्रणाली सहित कारोबार की मॉनीटरिंग और निगरानी से युक्त एक प्रक्रम बनाया है। उभरते हुए मुद्दों, विशिष्ट असामान्यताओं के क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान के लिए और पूर्व अधिकृत कार्रवाईयों पर विचार करने और सामान्य निगरानी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक गोपनीय मंच उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागारों के साथ साप्ताहिक निगरानी बैठकों की एक नियमित प्रणाली बनाई गई है। साप्ताहिक बैठकों में हुए विचार-विमर्श के आधार पर, एक्सचेंजों के परामर्श से सेबी ने अनेक निवारक निगरानी उपाय शुरू किए हैं जिनमें पिछले वर्ष के दौरान अतिरिक्त मार्जिनों का अधिरोपण, सकल उद्भासन सीमाओं में कटौती तथा स्क्रिपों का कारोबार से कारोबार भाग में अंतरण शामिल है। एक्सचेंजों के परामर्श से सेबी ने ऐसी निगरानी कार्रवाईयों को आरंभ करने/उनका पुनरीक्षण करने के लिए मानक मानदंड भी निर्धारित किए हैं।

[हिन्दी]

राज्यों को विदेशी वित्तीय संस्थाओं से सहायता

2387. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने विदेशी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने हेतु अपने अनुरोध केन्द्र सरकार के पास भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजनावार तथा राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वित्त पोषण करने वाले अभिकरणों के साथ वित्तपोषण का अनुमोदन होने और करार निष्पन्न होने के तत्काल बाद ही परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विश्व बैंक, ए.डी.बी. और आई.एफ.ए.डी. द्वारा अनुमोदित राज्य क्षेत्रक परियोजनाओं (एकल राज्य) के लिए ऋण सहायता—परियोजना-वार राज्यवार (मिलियन अमरीकी डालर में)

परियोजना का नाम	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
विश्व बैंक				
आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण/उधार	आंध्र प्रदेश	250		
आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	आंध्र प्रदेश		150.03	
आंध्र प्रदेश समुदाय वन प्रबंधन परियोजना	आंध्र प्रदेश		108	
आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम-II	आंध्र प्रदेश			220
छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	छत्तीसगढ़			112.56
गुजरात आपातिक भूकम्प पुनर्संरचना परियोजना	गुजरात		442.8	
कर्नाटक संरचनात्मक समायोजन ऋण-II	कर्नाटक	100		
द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	कर्नाटक	151.6		
प्रथम कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना ऋण/उधार	कर्नाटक	150		
कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	कर्नाटक	100.4		
कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	कर्नाटक	360		
कर्नाटक समुदाय आधारित ताल प्रबंधन परियोजना	कर्नाटक		98.9	

परियोजना का नाम	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
केरल राज्य परिवहन परियोजना	केरल	255		
मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	महाराष्ट्र		542	
महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	महाराष्ट्र			181
मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	मिजोरम	60		
राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	राजस्थान	140		
राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	राजस्थान	74.4		
राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	राजस्थान			89
तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	तमिलनाडु			348
उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	उत्तर प्रदेश	149.2		
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	उत्तर प्रदेश		488	
इलाहाबाद बाई पास परियोजना	उत्तर प्रदेश			240
एशियाई विकास बैंक				
असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	असम			150
असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	असम			100
छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास	छत्तीसगढ़			180
केरल में सरकार का आधुनिकीकरण और राजकोषीय सुधार	केरल		200	
मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास	मध्य प्रदेश	200		
मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र कार्यक्रम	मध्य प्रदेश		30	
मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र परियोजना	मध्य प्रदेश		150	
शहरी जलापूर्ति और पर्यावरण सुधार	मध्य प्रदेश			200
पश्चिम बंगाल गलियारा	प. बंगाल	210		
अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि				
भूकंप प्रभावित ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा परियोजना-गुजरात	गुजरात	15		
उड़ीसा जनजातीय अधिकारिता और आजीविका कार्यक्रम	उड़ीसा		20	

बचत योजनाओं को बंद करना

2388. **श्री शिशुपाल एन. पाटले:**

श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च ब्याज दर वाली तीन योजनाओं को बंद करने का निर्णय किया है जैसा कि दिनांक 10 जुलाई, 2004 को 'राष्ट्रीय सहारा' में खबर प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो बचत योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) इन बचत योजनाओं को बंद करने के क्या कारण हैं;

(घ) इन योजनाओं के बंद होने के परिणामस्वरूप सरकार के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त योजनाओं के स्थान पर नई बचत योजनाओं की घोषणा करने का है;

(च) यदि हां, तो इन योजनाओं पर कितनी ब्याज दर दी जाएगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (छ) वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिस पर

प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर पर ब्याज देय होगा। तदनुसार, निम्नलिखित तीन योजनाओं के अंतर्गत नई जमाओं को बन्द कर दिया गया है:—

(i) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1989,

(ii) निजी क्षेत्र की कंपनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1991, और

(iii) 6.5 प्रतिशत बचत बांड (गैर-कर योग्य)।

उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप सरकार के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक की इक्विटी कम करना

2389. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक से इक्विटी वापस लेने का निर्णय करने से पहले सभी गुणदोषों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार की भारतीय स्टेट बैंक में कोई इक्विटी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी बैंकों की ऋण नीति

2390. श्री गुरुदास कामत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से नई मौद्रिक एवं ऋण नीति पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि सहकारी बैंकों द्वारा नकदी संकट का सामना करने के कारण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और इसका कारण सरकार की प्रतिभूतियों में एस.एल.आर. निधियों का बड़ी संख्या में निवेश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार से हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मौद्रिक एवं ऋण नीति की नये सिरे से समीक्षा करने के लिए कई बैंकिंग संघों एवं अन्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। निर्धारित समय-सीमा में सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में उनकी निवल मांग तथा मियादी देयताओं (एन.डी.टी.एल.) की उच्चतर प्रतिशतता प्राप्त करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए आर.बी.आई. के दिनांक 19.4.2001 के विद्यमान मार्गनिर्देश निम्नांकित हैं:

यू.सी.बी. की कोटि	निवल मांग एवं मियादी देयताओं (एन.डी.टी.एल.) की प्रतिशतता के रूप में सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश			
	31 मार्च, 2002 के पूर्व	31 मार्च, 2002 को अथवा उससे पूर्व प्राप्त करने के लिए	30 सितम्बर, 2002 तक प्राप्त करने के लिए	1 अप्रैल, 2003 के पश्चात्
अनुसूचित यू.सी.बी.	15%	17.5%	20%	25%
गैर अनुसूचित यू.सी.बी.				
(i) 25 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक की एन.डी.टी.एल. के साथ	10%	12.5%	15%	15%
(ii) 25 करोड़ रुपए से कम की एन.डी.टी.एल. के साथ	शून्य	7.5%	10%	10%

उपर्युक्त के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को डी.सी.सी.बी./ एस.सी.बी. में जमाराशियों को सरकारी प्रतिभूतियों में अंतरण के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। 26 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार, 1139 बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का पालन किया है। अन्तर्ग्रस्त प्रणालीबद्ध जोखिम को ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर उपर्युक्त मार्गनिर्देशों में संशोधन व्यवहार्य नहीं प्रतीत होता है।

नरेश चन्द्र समिति

2391. प्रो. एम. रामदासः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन संबंधी नरेश चन्द्र समिति ने अपनी पूर्ण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नरेश चन्द्र समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-I प्रस्तुत कर दिया है। रिपोर्ट के भाग-II की प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग) मुख्य सिफारिशें और कार्यान्वयन की अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

नरेश चन्द्र समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें और कार्यान्वयन की अवस्थिति

1. समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:—

(i) उदार वित्तीय व्यवस्था शुरू करके प्रणालीगत लागतों को कम करना, एयरलाइनों को इच्छानुसार सप्लायरों से ए.टी.एफ. प्राप्त करने की अनुमति देना और अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय सुधारना।

(ii) किरायों को कम करने के उद्देश्य से हवाई यातायात सेवाओं में निजी भागीदारी तथा प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना।

(iii) अलाभकरे सेवाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य हवाई सेवा निधि (ई.ए.एस.एफ.) की स्थापना, ताकि मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के बिना काम चल सके।

(iv) हवाईअड्डा प्रभारों को घटाना।

(v) एकाधिकार की स्थिति से निपटने के लिए डी.जी.सी.ए. व बी.सी.ए.एस. के अतिरिक्त, विमानन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (ए.ई.आर.ए.) की स्थापना।

(vi) निजी एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं तथा थर्ड पार्टी ग्राउण्ड हैण्डलिंग सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति देना।

(vii) आई.ए./ए.आई./पी.एच.एच.एल. की पुनर्संरचना।

(viii) एयरलाइनों के लिए प्रवेश संबंधी रुकावटों को कम करना।

(ix) घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों में एफ.डी.आई. सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना।

(x) विदेशी एयरलाइनों को एफ.डी.आई. की अनुमति देना।

(xi) अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात सेग्मैण्ट को उदार बनाना।

(xii) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई चार्टर्स को उदार बनाना।

(xiii) क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना।

(xiv) मुम्बई और दिल्ली हवाईअड्डों के निजीकरण में तेजी लाना शीघ्रता करना।

(xv) अन्य हवाईअड्डों का भी निजीकरण करना

(xvi) ए.ए.आई. से ए.टी.सी. को अलग करके ए.टी.सी. के कार्यकलापों को सरकार के स्वामित्व वाले निगम में समाहित करना।

2. सरकार रिपोर्ट के प्रथम भाग की जांच कर रही है। रिपोर्ट के दूसरे भाग की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए एकल विनियामक प्राधिकरण

2392. प्रो. रासा सिंह रावतः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, चिट फन्ड तथा म्यूचुअल फंड इत्यादि की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु एकल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस एकल विनियामक प्राधिकरण के कब तक अपना कार्य शुरू करने की संभावना है; और

(ग) इस प्राधिकरण को क्या अधिकार दिए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार द्वारा इस मामले की जांच की गई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) मूलतः कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनियां हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण मात्र एक कार्यमूलक पंजीकरण है।

चिट फण्ड कंपनियां राज्य चिट फण्ड नियमों के साथ पठित चिट फण्ड अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। म्यूचुअल फण्ड और बागान कंपनियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियंत्रित होती हैं।

जहां तक एन.बी.एफ.सी. का संबंध है, कंपनी कार्य विभाग/सेबी और आर.बी.आई. द्वारा किये जा रहे विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य प्रतिपूरक हैं और जो परस्पर व्याप्त नहीं करते हैं। अतः, सरकार एन.बी.एफ.सी. के लिए एक अकेले विनियामक की आवश्यकता नहीं समझती।

देना बैंक में धोखाधड़ी

2393. श्री प्रदीप गांधी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले के चौकी प्रखंड में स्थित देना बैंक की शाखा में धोखाधड़ी की घटना घटी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) देना बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की अम्बागढ़ चौकी शाखा, राजनंदगांव में वर्ष 2000 में 3.18 करोड़ रुपए की एक धोखाधड़ी हुई थी। धोखाधड़ी स्टाफ सदस्यों द्वारा काउंटर पर प्राप्त नकदी को जाली सावधि जमा रसीदें जारी करके तथा सावधि जमा के बदले जाली ऋण खातों के द्वारा दुर्विनियोजित करके की गई थी। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि शाखा के एक स्टाफ सदस्य को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा न्यायालय के आदेश के अनुसार जमानत पर छोड़ा गया था। बैंक ने विभागीय कार्रवाई की थी तथा शाखा के पांच कर्मचारियों, जो जिम्मेवार पाए गए थे, को बैंक की सेवा से अक्तूबर, 2001 में निलंबित किया था।

[अनुवाद]

मणिपुर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

2394. श्री मणि चारेनामै: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर में भारतीय स्टेट बैंक की जिलावार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक की तमैई शाखा अस्सी के दशक के आरंभिक वर्षों से बंद पड़ी है और अन्य किसी शाखा के साथ जोड़ी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मणिपुर राज्य की 1,43,000 जनसंख्या वाले उखरूल जिले में प्रति 10,000 लोगों पर बैंक की केवल एक शाखा है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को 10 वर्ष पहले उखरूल जिले में शाखा खोलने का लाइसेंस जारी किया था लेकिन आज की तिथि तक भारतीय स्टेट बैंक ने इन पर कार्यवाही नहीं की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा सामान्यत: मणिपुर में और विशेषकर मणिपुर के पहाड़ी जिलों में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मणिपुर में भारतीय स्टेट बैंक की जिला-वार शाखाओं का आज की स्थिति के अनुसार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र.सं.	जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	इम्फाल पश्चिमी	5
2.	सेनापति	5
3.	चन्देल	3
4.	चूराचांदपुर	2
5.	तमेन्गलांग	1
	योग	16

(ख) और (ग) जी, हां। तमैई स्थित शाखा को 01 अक्तूबर, 1982 को बंद किया गया था क्योंकि उग्रवादियों ने इसे 30 सितम्बर, 1982 को लूट लिया था। यह पुन: खोली नहीं जा सकी है क्योंकि शाखा को पुन: खोलने के लिए बहुत प्रयासों के बावजूद भी इसकी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। तथापि, शाखा के रिकार्ड तथा दस्तावेजों को इम्फाल शाखा में स्थानान्तरित कर दिया गया था जहां तमैई शाखा के ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक पटल खोला गया था।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उखरूल जिले में युनाइटेड बैंक आफ इंडिया तथा मणिपुर राज्य सहकारी बैंक की एक-एक शाखा और मणिपुर ग्रामीण बैंक की तीन शाखाएं कार्य कर रही हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। उखरूल जिले में चिन्गाई में शाखा अवसंरचना सुविधाओं की कमी के कारण नहीं खोली जा सकी थी तथा लाइसेंस 30.10.1992 को भारतीय रिजर्व बैंक को वापिस कर दिया गया था।

(छ) बैंकों को वर्तमान नीति के अनुसार अपने संबंधित निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी नई शाखाएं खोलने की शक्तियां प्रदान की हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि मणिपुर राज्य सरकार के अनुरोध पर इसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकार जारी किये जाने के अध्यधीन थौवल में एक शाखा खोलने का निर्णय लिया है।

जेनेवा बैठक

2395. श्री किरिप चालिहा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों के व्यापार प्रतिनिधियों की जेनेवा की हाल में बैठक हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेनेवा बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों ने पश्चिमी देशों द्वारा अपने किसानों को बड़ी मात्रा में राजसहायता दिए जाने के मद्देनजर भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने के मुद्दे को उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के सदस्यों के प्रतिनिधि कृषि संबंधी डब्ल्यू.टी.ओ. करार के अंतर्गत और वचनबद्धताएं करने की रूपरेखाओं पर वार्ता करने के लिए समय-समय पर डब्ल्यू.टी.ओ. की कृषि संबंधी समिति के विशेष सत्र में बैठकें कर रहे हैं। उनकी अंतिम औपचारिक बैठक 25 जून, 2004 को जेनेवा में हुई थी। समिति कृषि के संबंध में संभव करार करने के अधिक व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत कार्य कर रही है जिस पर गैर-कृषि उत्पादों से संबंधित प्रस्तावों और दोहा कार्यक्रम में शामिल अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ डब्ल्यू.टी.ओ. की महापरिषद् की 27-29 जुलाई, 2004 के लिए निर्धारित बैठक में विचार किया जाएगा।

भारत कृषि संबंधी जी-20 गठबंधन के भीतर और समान विचार वाले अन्य देशों के साथ कार्य करते हुए व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कटौतियों, विकसित देशों द्वारा दी जा रही सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियों को समाप्त करने तथा विशेष रूप से विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों में पर्याप्त बाजार पहुंच सुधारों की मांग करता रहा है। विकासशील देशों द्वारा बाजार पहुंच में कोई अन्य वचनबद्धताएं करने में अपनी ग्रामीण विकास तथा खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा आवश्यकताओं को पूर्ण रूपेण ध्यान में रखना होगा। विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदकारी व्यवहार वार्ताओं के सभी घटकों का अभिन्न अंग होना चाहिए। इन वार्ताओं को औपचारिक रूप से 1 जनवरी, 2005 तक संपन्न करने का निर्धारण किया गया है।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक

2396. श्री अधीर चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों/सहकारी बैंकों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक बैंक की जिलावार कुल कितनी जमापूंजी है और जिलावार कितनी कार्यशील पूंजी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त बैंकों से कितने किसान, शिल्पकार और शिक्षित युवक-युवतियां लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान बैंकों/सहकारी बैंकों द्वारा कितने ऋण का संवितरण किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2397. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की धारक कंपनी के नयी दिल्ली स्थित कार्यालय में कर्मचारियों के लिए कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों को या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अथवा छंटनी का सामना करने के लिए मजबूर किया गया; और

(घ) अंततः धारक कंपनी को कब तक बंद कर दिया जायेगा?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। एन.टी.सी. की धारक कंपनी के कुल 242 कर्मचारियों में से 106 कर्मचारियों ने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एम.वी.आर.एस.) के लिए आवेदन किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एन.टी.सी. की पुनर्निर्माण योजना, जिसमें 31.03.2005 तक एन.टी.सी. (धारक कंपनी) के बंद करने की परिकल्पना की गई है, को बी.आई.एफ.आर. को उनके विचारार्थ सौंपा गया है।

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार

2398. श्री उदय सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में अड़चनों और अवसरों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है और क्या इनका विचार व्यापार और निवेश गतिविधियों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन वस्तुओं की पहचान कर ली गयी है जिनके लिए दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) ढाका में 14-15 जुलाई, 2003 को आयोजित भारत-बांग्लादेश संयुक्त आर्थिक आयोग (जे.ई.सी.) की छठवीं बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति हुई थी कि दोनों पक्षों के वाणिज्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर पर संयुक्त कार्य दल एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार पर वार्ताएं शुरू करने हेतु

अक्तूबर, 2003 के मध्य तक ढाका में बैठक करेगा। इस दल की पहली बैठक 20-22 अक्तूबर, 2003 को ढाका में हुई थी जिसमें मुक्त व्यापार करार के मसौदे पर भी विचार-विमर्श किया गया था और दोनो पक्षों ने यह महसूस किया था कि इस मामले में आगे और विचार-विमर्श करने की जरूरत है। इस संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक 23-24 मार्च, 2004 को नई दिल्ली में हुई थी जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने दोनों देशों के बीच व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न गैर-टैरिफ और टैरिफ संबंधी मुद्दों पर चर्चा की थी। दोनों पक्षों ने आगे और विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया था ताकि उस पर हस्ताक्षर करने की संभावना का संयुक्त यप से पता लगाया जा सके। भारत ने बंग्लादेश की सरकार से अनुरोध किया था कि वह विभिन्न मुद्दों पर अपने नियम सिद्धांत हमें उपलब्ध कराएं। ऐसे किसी मुक्त व्यापार करार के निष्पादन के बारे में होने वाली किसी वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए मदों के अभिज्ञान पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

ऑटोमोबाइल उद्योग

2399. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नीतीश कुमार:
श्री प्रदीप गांधी:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटोमोबाइल उद्योग आयात और निर्यात व्यापार करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 में इस उद्योग द्वारा कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया;

(घ) प्रत्येक उक्त वर्ष के दौरान आयात-निर्यात के कुल का कितने प्रतिशत आयात किया गया और कितने प्रतिशत निर्यात किया गया था;

(ङ) क्या वर्ष 2002-2003, 2003-2004 के दौरान दुपहिया और अन्य मोटर वाहनों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान दुपहिया और अन्य मोटर वाहनों से कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(छ) इस वर्ष कार, दुपहिया और अन्य मोटर वाहनों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ज) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कारों, दुपहिया और अन्य मोटर वाहनों के निर्यात का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन): (क) जी, हां।

(ख) ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित निर्यातों एवं आयातों में विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन, दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, विभिन्न संघटक, सहायक सामग्री एवं कलपुर्जों आदि जैसी मदें शामिल होती हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित निर्यातों एवं आयातों के मूल्य संबंधी आंकड़े क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक के लिए दुपहिया एवं अन्य मोटर वाहनों के निर्यातों के संबंध में आंकड़े तालिका I में दिए गए हैं और इन आंकड़ों से वर्ष 2002-03, 2003-04 के दौरान इन मदों के निर्यात में वृद्धि का संकेत मिलेगा।

(छ) ऑटोमोबाइल उद्योग के एक प्रतिनिधिक निकाय द सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (एस.आई.ए.एम.) को चालू वर्ष में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने की आशा है।

(ज) पिछले तीन वर्षों के लिए सवारी कारों, दुपहियों और अन्य मोटर वाहनों के बारे में निर्यात संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

विवरण-I

निर्यात

(मूल्य करोड़ रुपये में)

संख्या	मदें	2001-02	2002-03	2003-04* (अप्रैल-नवम्बर 03)	2002-03* (अप्रैल-नवम्बर 02)
1	2	3	4	5	6
क.	दुपहिया वाहन	263.26	513.16	406.59	333.49
ख.	कारें	418.28	877.11	787.89	(नीचे (ग) में शामिल)

1	2	3	4	5	6
ग.	अन्य मोटर वाहन	797.02	968.69	1331.32	1340.00 उपर्युक्त (ख) समेत
घ.	संघटक कल पुर्जे आदि	1691.64	2189.57	1406.18	1169.00
ङ.	ऑटोमोबाइल उद्योग के कुल निर्यात (क-ख-ग-घ)	3170.20	4548.53	3931.98	2842.49
च.	भारत से समग्र निर्यातों में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के निर्यातों का %	1.50%	1.78%	2.26%	1.71%

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता

* आंकड़े अनंतिम हैं

❖ये आंकड़े वर्ष 2003-04 की संगत अवधि के दौरान निर्यातों में सामान्य वृद्धि दर्शाने के लिए दिए गए हैं।

विवरण-II

आयात

(मूल्य करोड़ रुपए में)

	2001-02	2002-03	2003-04 * (अप्रैल 03-जन. 04)
आयात	1375.22	1563.50	2017.51
कुल आयातों का %	0.56%	0.53%	0.70%

स्रोत: सी.जी.सी.आई. एंड एस. कोलकाता

* आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

तंबाकू किसानों के बीमा दावों का निपटान

2400. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कंपनियां तंबाकू किसानों के दावों के निपटान में बहुत अधिक समय ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन दावों के निपटान हेतु समय सीमा निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 1999 की धारा 14(2)(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) को दावों के निपटान से संबंधित विषयों सहित पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए अधिकृत करती है। आई.आर.डी.ए. अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, प्राधिकरण ने दि. 26 अप्रैल, 2002 को आई.आर.डी.ए. (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियमावली, 2002 जारी की है। इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, सर्वे रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को दावे के निपटान की पेशकश करने को बाध्य होगा और बीमित व्यक्ति द्वारा पेशकश की स्वीकृति की तारीख से सात दिन के अंदर भुगतान करेगा। बीमित अथवा उसके नामित व्यक्ति को निर्धारित अवधि के अंदर देयताओं के भुगतान के लिए चूक होने की स्थिति में बीमा कंपनियां वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्रचलित बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करेंगी। आई.आर.डी.ए. ने दावों के निपटान की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया है और बीमित व्यक्तियों को पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण संबंधी विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।

पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा

2401. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रूस, चीन और यूक्रेन से प्राप्त कतिपय सीमलैस श्रेणी के एलॉय और नॉन-एलॉय स्टील बिलेट्स बार्स और राउंड्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समीक्षा वर्ष 2003 में महाराष्ट्र सीमलैस इस्पात व्यापारियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर की गयी;

(घ) क्या समीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मै. महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड नई दिल्ली से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर दिनांक 24.05.2004 की अधिसूचना द्वारा रूस, चीन जन.गण. और यूक्रेन से कतिपय सीमलेस ग्रेड के एलॉय और बिलेट्स नान-एलॉय स्टील बिलेट्स, बार्स और राउंड्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई है।

(घ) और (ङ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधी नियमों के अनुसार, किसी पाटनरोधी जांच को आम तौर पर उसकी शुरुआत की तारीख से 12 महीनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। जांच चल रही है।

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

2402. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तरांचल में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त राज्यों में सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ई.ओ.यू.) निजी उद्यमियों द्वारा सरकार के अनुमोदन से स्थापित की जाती हैं। नीति के अनुसार माल और/अथवा सेवाओं का निर्यात करने वाली इकाइयां ई.ओ.यू. स्कीम के अंतर्गत स्थापित किए जाने के लिए पात्र होती हैं। दिनांक 31.03-2004 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 1800 ई.ओ.यू. थीं जिनमें मध्य प्रदेश में 32 और उत्तरांचल में 2 ई.ओ.यू. शामिल हैं।

कोयला विक्रय नीति का उदारीकरण

2403. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास में सरकार ने अल्यूमिनियम और कागज जैसे बड़े उद्योगों को महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों में लाने के लिए कोयला विक्रय नीति के उदारीकरण का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयास से भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी लाभान्वित होंगे और इससे इन क्षेत्रों की अपर्याप्त आपूर्ति संबंधी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी; और

(घ) क्या इस नयी व्यवस्था में हिंडाल्कों, इंडाल और इफ्को सहित 60 से भी अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.)/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) के अधीन कोयला उत्पादक अनुषंगियों से कोयले की आपूर्ति हेतु खपत तथा उपयोग (व्यापार से भिन्न रूप में) के लिए सरकार ने विदेश मंत्रालय तथा केन्द्रीय पी.एस.यू. के तत्वाधान में आयोजित द्विपक्षीय समझौतों के एक भाग के रूप में एल्यूमीनियम उद्योग, कागज उद्योग और पड़ोसी देशों को कोयले के निर्यात को दिनांक 1 जनवरी, 2004 को कोर क्षेत्र की प्राथमिकता प्रदान की है।

(ग) और (घ) जी, हां।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का स्तर

2404. श्री संतोष गंगवार:
श्री अर्जुन सेठी:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
श्री अनन्त नायक:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जोधपुर, खजुराहो और कुछ अन्य विमानपत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के स्तर पर लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने नये अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) गुवाहाटी एयरपोर्ट पहले से ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा विकसित किया जा चुका है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हैण्डल करने के लिए सीमाशुल्क और आव्रजन

सुविधाएं हैं। जोधपुर और खजुराहो हवाईअड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित नहीं किया गया है। हवाईअड्डा का अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा के रूप में स्तरोन्नयन, यातायात अपेक्षाओं, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन और संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होता है।

(ग) भारत सरकार पहले ही, बंगलौर के निकट देवनहल्ली, हैदराबाद के निकट शमशाबाद में और पणजी (गोवा) के निकट मोपा में नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाईअड्डों के निर्माण के लिए सिद्धान्त रूप से सहमति दे चुकी है।

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक के पद

2405. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में विभिन्न न्यायालयों में कितने नोटरी पब्लिक नियुक्त किये गये;

(ख) क्या दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में नोटरी पब्लिक के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति क्षेत्रवार की जाती है, न कि न्यायालयवार। वर्ष 2001, 2002 और 2003 में दिल्ली में नियुक्त किए गए नोटेरी पब्लिक की संख्या क्रमश: 35, 38 और 10 थी।

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या नोटेरी नियम, 1956 से उपाबद्ध अनुसूची जो विवरण के रूप में संलग्न है, में विनिर्दिष्ट है। दिल्ली के लिए विनिर्दिष्ट कोटा 325 का है, जिसमें से अभी तक 295 नोटेरी नियुक्त किए गए हैं।

(ग) जहां तक दिल्ली का संबंध है 10 आवेदन, संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् से सतर्कता अनापत्ति न मिलने; अभ्यावेदक का शपथ-पत्र तथा अन्य सुसंगत प्रमाण-पत्र न होने के कारण लंबित हैं।

(घ) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् तथा आवेदक को नियत समय के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों के, यदि कोई हों, विरुद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, समुचित सरकार को या तो आवेदन को मंजूर किए जाने अथवा उसे नामंजूर किए जाने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट देगा।

विवरण

नोटरी नियम, 1956

[1][अनुसूची

(नियम 8(4क) देखिए)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटरियों की अधिकतम संख्या	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटरियों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	575	575
2.	असम	575	575
3.	बिहार	925	925
4.	गुजरात	625	625
5.	केरल	375	375
6.	मध्य प्रदेश	1125	1125
7.	तमिलनाडु	725	725
8.	महाराष्ट्र	875	875
9.	कर्नाटक	675	675
10.	उड़ीसा	750	750
11.	पंजाब	425	425
12.	राजस्थान	800	800
13.	उत्तर प्रदेश	1750	1750
14.	पश्चिमी बंगाल	450	450
15.	जम्मू-कश्मीर	350	350
16.	नागालैंड	200	200
17.	हरियाणा	475	475
18.	हिमाचल प्रदेश	300	300
19.	मणिपुर	225	225
20.	त्रिपुरा	100	100
21.	मेघालय	175	175
22.	सिक्किम	100	100

1	2	3	4
23.	मिजोरम	200	200
24.	अरुणाचल प्रदेश	325	325
25.	गोवा	50	50
26.	उत्तरांचल	325	325
27.	छत्तीसगढ़	400	400
28.	झारखंड	450	450
29.	दिल्ली	[2][325]	[325]
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	50	50
31.	लक्षद्वीप	25	25
32.	दादरा और नागर हवेली	25	25]
33.	दमन और दीव	50	50
34.	पांडिचेरी	100	100
35.	चंडीगढ़	25	25]

[1] सा.का.नि. 330(अ) तारीख 9 मई, 2001 द्वारा (10.5.2001 से) अंत:स्थापित।

[2] सा.का.नि. 460(अ) तारीख 25 जून, 2001 द्वारा (26.6.2001 से) प्रतिस्थापित।

नये लेखा दिशानिर्देश

2406. श्री कैलाश मेघवाल: क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने हाल ही में नये लेखा दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों को वापस लिये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और इन्हें वापस लेने के क्या कारण हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कुछ चुने हुए घोषित निर्णयों की समीक्षा संबंधी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

2407. श्री रघुनाथ झा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी वर्ष 2003 (प्रत्यक्ष कर) की रिपोर्ट संख्या 13 के पृष्ठ 31 से 69 तक यह लिखा है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ चुने हुए घोषित निर्णयों की समीक्षा की और उन अधिकांश निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया गया जिसमें कर के रूप में करोड़ों रुपये संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निर्णयों का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी कर राशि शामिल है;

(ग) क्या सरकार निर्णयों के कार्यान्वित न किये जाने के कारणों की जांच करती है और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के उत्तरदायित्व और जवाबदेही को निर्धारित करती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) यह सही है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक पुनरवलोकन किया तथा टिप्पणियां कीं जो वर्ष 2003 (प्रत्यक्ष कर) की रिपोर्ट संख्या 13 में विहित हैं। लेखा परीक्षा टिप्पणियां करना और इनका निपटान करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के 34 चयनित निर्णयों में से 26 में गैर-कार्यान्वयन अध्ययन किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को संलग्न विवरण में सूचीबद्ध किया गया है।

1067 मामलों में इन निर्णयों को लागू न करने के कारण 607.46 करोड़ रुपये का कम कर लगाने का आरोप लगाया गया है।

(ग) आयुक्त की वरीयता वाले अधिकारियों ने इन टिप्पणियों की निगरानी की है। गैर-कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कारण शामिल हैं:—

(i) लेखा परीक्षा आपत्तियां धारा 143(1)(क) के तहत आदेश पर उठायी गई थीं, जहां कर निर्धारण अधिकारी को इन्हें नामंजूर करने की कानूनी तौर पर शक्ति प्राप्त नहीं थी।

(ii) कुछ मामलों में संलिप्त तथ्य और विषय वैसे नहीं थे जैसे कि उच्चतम न्यायालय के मामलों में बताए गए थे इसलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुपात लागू नहीं होता था।

(iii) जिन मामलों में लेखा परीक्षा आपत्तियां ठीक पाई गई हैं उन मामलों में आयकर आयुक्तों द्वारा अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए।

(घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 7.8.1995 के अनुदेश सं. 1928 के तहत देश में समस्त आयकर आयुक्तालयों में कार्यरत अपने सभी निर्धारण अधिकारियों को निदेश जारी किए हैं कि वे राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों संबंधी सभी मामलों में संशोधनकारी उपायों सहित उपचारात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से आरम्भ करें, भले ही राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियां विभाग द्वारा स्वीकार की जाती हैं अथवा नहीं। मुख्य आयकर आयुक्तों/आयुक्तालयों को पहले से ही अनुदेश दिए गए हैं कि वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा उठाई गई लेखा परीक्षा आपत्तियों पर शीघ्र कार्रवाई करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन आपत्तियों को शीघ्रता से निपटाया जाए। इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा रिपोर्ट सं. 13 के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक आंशिक उत्तर पहले से ही भेजा जा चुका है। पुनरीक्षा प्रणाली में यथा रूप से उठाई गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की आयकर आयुक्त द्वारा समयबद्ध तरीके से निगरानी की जाती है और कानूनी तौर पर संशोधनात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

सर्वोच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों की सूची

क्र.सं.	आई.टी.आर. का सन्दर्भ	मामले
1.	245 आई.टी.आर. 830 (2000)	मैसर्स लकी मिनमैट प्रा. लिमिटेड बनाम आ.क.आ.
2.	246 आई.टी.आर. 230 (1998)	डी.डी.सी. बिक्री कर एवं अन्य बनाम भरहाघाट मिनरल इंडस्ट्रीज
3.	246 आई.टी.आर. 174 (1999)	आ.क.आ. बेंकटेश्वरा हचरीज प्रा. लिमिटैड एवं अन्य
4.	249 आई.टी.आर. 307 (2000)	आ.क.आ. बनाम जेम इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग कं.
5.	245 आई.टी.आर. 538 (2000)	इंडियन होटल कं. लिमिटेड एवं अन्य बनाम आई.टी.ओ. एवं अन्य
6.	204 आई.टी.आर. 412 (1995)	आ.क.आ. बनाम मेक बुद्धाराजा एंड कं. एवं अन्य
7.	234 आई.टी.आर. 412 (1997)	आ.क.आ. बनाम क्रोरोमंडल सीमेन्ट लिमिटेड
8.	227 आई.टी.आर. 173 (1997)	टुटी कोरीन अल्कली केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम आ.क.आ.
9.	248 आई.टी.आर. 110 (2000)	आ.क.आ. बनाम आटोकास्ट लिमिटेड
10.	230 आई.टी.आर. 733 (1998)	भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आ.क.आ.
11.	229 आई.टी.आर. 534 (1997)	मद्दी वेकटरमण एवं कं. (प्रा.) लिमिटेड बनाम आ.क.आ.
12.	243 आई.टी.आर. 81 (1999)	आ.क.आ. बनाम डा. बी. वेंकटराव
13.	244 आई.टी.आर. 192 (2000)	आ.क.आ. बनाम आनंद थियटर
14.	247 आई.टी.आर. 797 (1999)	आ.क.आ. बनाम हिको प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड
15.	199 आई.टी.आर. 43 (1992)	इस्कार्ट लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य
16.	248 आई.टी.आर. 4 (2000)	इंडियन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कं. लिमिटेड बनाम आ.क.आ.
17.	223 आई.टी.आर. 809 (1997)	मार्शन सन्स एंड कं. (इंडिया) बनाम आ.क.अधि
18.	248 आई.टी.आर. 323 (2001)	आ.क.आ. बनाम मिसेज ग्रेज कोलीस एवं अन्य
19.	243 आई.टी.आर. 640 (2000)	न्यू इंडिया माइनिंग कारपोरेशन प्रा. लिमिटेड बनाम आ.क.आ.
20.	224 आई.टी.आर. 414 (1997)	बालीमल नवल किशोर एवं अन्य बनाम आ.क.आ.
21.	231 आई.टी.आर. 842 (1998)	हासीमारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आ.क.आ. एवं अन्य
22.	235 आई.टी.आर. 131 (1997)	बिहार राज्य एंड अन्य बनाम स्टील सिटी बेभरेज लिमिटेड एंड अन्य
23.	232 आई.टी.आर. 359 (1997)	सदर्न स्वीच गियर लिमिटेड बनाम आ.क.आ. एवं अन्य

क्र.सं.	आई.टी.आर. का सन्दर्भ	मामले
24.	244 आई.टी.आर. 31 (1999)	अलंकार कामर्शियल प्रा. लिमिटेड बनाम ए.सी.आई.टी. एवं अन्य
25.	245 आई.टी.आर. 428 (2000)	भारत अर्थ मूवर्स बनाम आ.क.आ.
26.	237 आई.टी.आर. 131 (1999)	स्टोन क्राफ्ट इन्टरप्राइजेज बनाम आ.क.आ.
27.	247 आई.टी.आर. 578 (2001)	सी पर्ल इंडस्ट्रीज एवं अन्य बनाम आ.क.आ.
28.	239 आई.टी.आर. 297 (1997)	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम आ.क.आ.
29.	82 आई.टी.आर. 902 (1971)	आ.क.आ. पश्चिम बंगाल II बनाम कोल शिपमेंट (प्रा.) लिमिटेड
30.	248 आई.टी.आर. 3 (2000)	गोरे लाल दूबे बनाम आ.क.आ.
31.	225 आई.टी.आर. 792 (1997)	पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड बनाम आ.क.आ.
32.	225 आई.टी.आर. 798 (1997)	ब्रूक बांड इंडिया लिमिटेड बनाम आ.क.आ.
33.	228 आई.टी.आर. 253 (1997)	साहनी स्टील एवं प्रेश वर्क्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम आ.क.आ.
34.	188 आई.टी.आर. 44 (1990)	आ.क.आ. बनाम ब्रिटिश पेंट इंडिया लिमिटेड

अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट अधिनियम

2408. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाइरेसी के विरुद्ध आपराधिक आरोप दर्ज कराने के लिए भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट अधिनियम के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पेटेंट कानूनों का स्वरूप भूभागीय होता है और भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत अतिक्रमण की कार्यवाहियां दीवानी स्वरूप की होती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फ्लाईंग क्लब्स

2409. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आज की तारीख तक फ्लाइंग क्लब्स का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रत्येक फ्लाइंग क्लब्स के पास कितने वायुयान हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक फ्लाईंग क्लब द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या प्रशिक्षण शुल्क के लिए कोई राजसहायता दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) देश में राज्यवार और स्थानवार प्रचालनरत फ्लाइंग क्लबों की अब तक की स्थिति इस प्रकार है:—(1) **पश्चिम बंगाल:** गवर्मेन्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, कोलकात्ता, (2) **आन्ध्र प्रदेश:** आंध्र प्रदेश विमानन (एविएशन) अकादमी, हैदराबाद; फ्लाइटेक एविएशन अकादमी, सिकन्दराबाद; विंग्स एविएशन प्राइवेट लि., हैदराबाद, (3) **बिहार:** बिहार फ्लाइंग इन्स्टीट्यूट, पटना, (4) **गुजरात:** गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ोदरा; अहमदाबाद एविएशन अकादमी, अहमदाबाद, (5) **हरियाणा:** हरियाणा इन्स्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन करनाल, हिसार तथा पिंजोर की ब्रांचों सहित, (6) **कर्नाटक:** गवर्मेन्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, बंगलौर; हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि., रोटेरी विंग अकादमी, बंगलौर, (7) **केरल:** केरल एविएशन ट्रेनिंग सेन्टर, त्रिवेन्द्रम, (8) **मध्य प्रदेश:** मध्य प्रदेश फ्लाईंग क्लब, इन्दौर जिसकी एक ब्रांच भोपाल में है। यश एयर लि. इन्दौर, (9) **महाराष्ट्र:** फ्लाइंग क्लब, मुम्बई; अकादमी ऑफ कारवीर एविएशन प्राईवेट लि., मुम्बई, (10) **उड़ीसा:** गवर्मेन्ट एविएशन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, भुवनेश्वर, (11) **पंजाब:** अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर; लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना; नार्दन इंडिया फ्लाइंग क्लब, पटियाला कैम्प; पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला, (12) **राजस्थान:** राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर; राजपूताना एविएशन अकादमी, जयपुर, (13) **तमिलनाडु:** मद्रास फ्लाइंग क्लब, चेन्नई, (14) **पाण्डिचेरी:** ओरियन्ट फ्लाइट स्कूल, पांडिचेरी, (15) **उत्तर प्रदेश:** उत्तर प्रदेश स्टेट फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, कानपुर; इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज (नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय); गर्ग एविएशन, कानपुर।

देश के राज्य-वार और स्थान-वार गैर-प्रचालनात्मक फ्लाइंग क्लबों की अब तक की स्थिति:—

(1) **अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह:** अण्डमान एवं निकोबार फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पोर्टब्लेयर, (2) **असम:** असम फ्लाइंग क्लब, गुवाहाटी, (3) **झारखण्ड:** जमशेदपुर को-ऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर, (4) **दिल्ली:** दिल्ली फ्लाइंग क्लब, नई दिल्ली, (5) **महाराष्ट्र:** नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर, (6) **राजस्थान:** बनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग तथा फ्लाइंग क्लब, बनस्थली, (7) **तमिलनाडु:** कोयम्बटूर एविएशन ट्रेनिंग अकादमी, कोयम्बटूर, (8) **कर्नाटक:** बंगलौर एयरोनॉटिक्स एण्ड टैक्नीकल सर्विसेज, बंगलौर, (9) **मध्य प्रदेश:** फ्रेंक एयरवेज प्राइवेट लि., इंदौर।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा महिलाओं को सहायता

2410. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं को नाबार्ड द्वारा अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, कार्यक्रम-वार शामिल किए गए जिलों तथा सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है?

***वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री* (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) विभिन्न ऋण योजनाओं और संवर्धन कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित देश में ग्रामीण महिलाओं को ऋण/ऋणेतर और संवर्धन सहायता प्रदान करता है। ये कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

1. स्व-सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम;
2. गैर-कृषि विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को सहायता (अरविन्द);
3. गैर-कृषि उत्पादों के विपणन के लिए सहायता (महिमा);
4. महिला विकास कक्ष (डब्ल्यू.डी.सी.);
5. क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का विकास;
6. गैर-कृषि उत्पादों के लिए विपणन पहलें।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों में प्रत्येक के अंतर्गत शामिल जिलों की संख्या और सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

कार्यक्रम	शामिल किए गए जिले	सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	
		2002-03	2004-04
एस.एच.जी.-बैंक	564	34.54 (लाख)	45.90 (लाख)
अरविन्द	14	390	95
महिमा	10	700	800

महिला विकास कक्षों के अंतर्गत, 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार, 2.17 करोड़ रुपए का संचयी संवितरण किया गया है। इसी प्रकार, क्षेत्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के विकास कार्यक्रम (डी.ई.डब्ल्यू.टी.ए.) के अंतर्गत, वर्ष 2003-04 के दौरान 3271 महिलाओं को 31.98 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण

2411. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण/उधार के संबंध में बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विवरणियों की जांच और अनुवर्ती कार्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया; और

(ङ) अल्पसंख्यकों को ऋणों के वितरण को सुगम न बना सकने तथा लक्ष्य को प्राप्त न करने वाले बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

***वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री* (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम):** (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पी.एस.बी.) को अल्पसंख्यकों को अग्रिम से संबंधित अर्द्धवार्षिक विवरणियां भारतीय रिजर्व बैंक को भेजनी अपेक्षित होती हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवरणियों की संवीक्षा की जाती है तथा कमियां, यदि कोई हों, को इसके द्वारा संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

(घ) अल्पसंख्यकों को अग्रिम देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कोई अलग से लक्ष्य नहीं दिया गया है। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि न सिर्फ सरकार द्वारा पहचाने गए अल्पसंख्यक समुदायों की सघनता वाले 44 जिलों में अपितु समूचे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध किया गया हो।

अल्पसंख्यकों की सघनता वाले पहचाने गए 44 जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान खातों की संख्या तथा बकाया अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:—

(खातों की संख्या लाख में)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	खातों की संख्या	बकाया अग्रिम
2000-01	14.52	2498.37
2001-02	19.04	3764.55
2002-03	21.51	5084.28

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अल्पसंख्यकों को ऋण/अग्रिम संवितरण में बैंकों के कार्यनिष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। खराब कार्यनिष्पादन होने पर, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी जाती है कि विभिन्न विकासशील कार्यक्रमों से लाभ उचित एवं पर्याप्त मात्रा में अल्पसंख्यकों को समय पर मिलें।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शुल्क का अपवंचन

2412. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कई वर्षों से बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शुल्क अपवंचन की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पहचानी गई कम्पनियों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए कौन से विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र में संकट

2413. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:
श्री तापिर गाव:
श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग के संकट की स्थिति के बारे में जानकारी है जो इस समय संकट की अवस्था से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हथकरघा उद्योग के पुनरुद्धार तथा इस व्यापक क्षेत्र में तथा इसके बाहर के लाखों हथकरघा बुनकरों को जीवन रक्षक उपाय उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग की संकट की स्थिति के बारे में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हैंक यार्न पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को वापस लेने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) से (घ) माननीय वित्त मंत्री जी ने 8 जुलाई, 2004 को वर्ष 2004-05 का केन्द्रीय बजट पेश करते समय प्रस्ताव किया है कि विशुद्ध सूती, ऊनी एवं रेशमी कपड़ों पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क नहीं लगाए जाएंगे चाहे वे रेशे, यार्न, फैब्रिक्स या परिधान ही क्यों न हों। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित देश के हथकरघा बुनकरों के कल्याण एवं हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जो निम्नवत् है:—

1. दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. हथकरघा निर्यात योजना।
3. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
4. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।
6. मिल गेट कीमत योजना।
7. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
8. बुनकर कल्याण योजना
9. बुनकर बीमा योजना।
10. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

11. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।

12. हथकरघा उत्पादों पर विशेष छूट संबंधी योजना।

इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न राज्यों को 128.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जिसमें से आन्ध्र प्रदेश राज्य को 27.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

मैंगनीज खानों का राष्ट्रीयकरण

2414. श्री अनन्त नायक: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में मैंगनीज की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ऐसे मैंगनीज खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) सरकार का देश में किसी भी मैंगनीज खान का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

जूट उद्योग की समस्याएं

2415. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कई महीनों से इन निगम के मजदूरों, कर्मचारियों, अधिकारियों को उनका बकाया वेतन/मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ङ) क्या कर्मचारियों को सांविधिक पेंशन लाभ भी नहीं मिल रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन.जे.एम.सी.) लि. सार्वजनिक क्षेत्र का एक रुग्ण उपक्रम है जो 1992 से बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा हुआ है। यह निगम 1980 में राष्ट्रीयकरण के वर्ष से ही लगातार घाटे उठा रहा है। इसका 55.79 करोड़ रु. की प्रदत्त पूंजी की तुलना में 31.3.2004 तक 3973 करोड़ रु. तक संचित घाटा है। निगम की निवल पूंजी इसकी प्रदत्त पूंजी के कई गुना समाप्त होते हुए, 3917 करोड़ रु. तक ऋणात्मक हो गई है। बी.आई.एफ.आर. ने अपने दिनांक 8.7.2004 के आदेश द्वारा कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है।

(ग) और (घ) निगम की सभी इकाइयों ने 6 महीने से लेकर ढाई वर्ष तक की अवधि से उत्पादन बंद कर दिया है। यह वेतन, मजदूरी और आवश्यक रख-रखाव संबंधी खर्चों की अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि जुटाने में असमर्थ है। केन्द्र सरकार निगम को उसकी वेतन एवं मजदूरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-योजना सहायता प्रदान कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 24.71 करोड़ रु. का योजनागत ऋण इस निगम को वेतन एवं मजदूरी और कुछ आवश्यक प्रशासनिक खर्चों के भुगतान के लिए रिलीज किया गया है।

(ङ) यह सच है कि एन.जे.एम.सी. अपने कर्मचारियों को समय पर पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने में असमर्थ है। केन्द्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी के भुगतान संबंधी इसकी देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान 28.71 करोड़ रु. रिलीज किए थे।

(च) लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) को कामगारों की भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए एन.जे.एम.सी. सहित सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते केन्द्र सरकार का अनुमोदन मिल गया है। इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

पंचायती राज के लिए निधियां

2416. श्री शिशुपाल एन. पाटले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए महाराष्ट्र को कितनी राशि की सिफारिश की गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र को पूरी राशि जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की सिफारिश पहली बार दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई थी। इस आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के पंचायती राज संस्थानों को 1996-2000 की अवधि के लिए 347.01 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की थी। इस अवधि के दौरान राज्य को 216.88 करोड़ रुपए की

राशि जारी की गई थी। अनुदान जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण राज्य सरकार को शेष राशि जारी नहीं की जा सकी।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के लिए महाराष्ट्र राज्य को इसकी अवार्ड अवधि 2000-2005 के लिए 656.73 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने की सिफारिश की थी। राज्य द्वारा दी गई अल्प उपयोग संबंधी सूचना के कारण राज्य सरकार को अब तक कुल 394.04 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

चमड़ा उत्पादों का निर्यात

2417. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए चमड़े की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान सरकार ने चमड़ा उत्पादों के निर्यात के लिए आज की तारीख तक कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें उत्तर प्रदेश का संभावित योगदान क्या है; और

(ङ) चमड़ा उद्योग के निर्यातकों को कौन से प्रोत्साहन दिए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों की मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा वर्षवार निम्नानुसार है:—

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

(मात्रा मिलियन में)

उत्पाद	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तैयार चमड़ा (वर्गफुट)	346.60	381.49	385.77	459.25	452.08	508.83
चमड़े के फुटवियर (जोड़े)	40.90	381.37	41.72	395.39	46.02	423.30
फुटवियर का घटक (जोड़े)	37.49	238.09	40.05	233.94	31.41	175.07
चर्म परिधान (नग)	10.52	460.45	9.38	378.75	8.39	272.08
चमड़े की वस्तुएं (नग)	67.88	440.37	74.28	407.16	79.49	425.39
चमड़े के दस्ताने (जोड़े)	64.87		62.87		68.66	
साजसमान एवं जीनसाजी (नग)	7.28	42.66	9.28	35.64	9.94	43.66
गैर-चमड़ा वस्तुएं (जोड़े)	11.66	19.11	6.66	26.02	5.65	26.88
कुल		1963.55		1936.14		1875.21

वर्ष 2003-2004 के दौरान चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों का कुल निर्यात 2094 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था।

(ख) और (ग) वर्ष 2004-05 हेतु सरकार ने चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के लिए 2200 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) वर्ष 2003-04 में चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 24 प्रतिशत था और प्रवृत्तियों के आधार पर वर्ष 2004-05 के दौरान देश के चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के कुल निर्यातों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत रहने की संभावना है।

(ङ) भारत सरकार ने बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) और बाजार पहुंच पहल (एम.ए.आई.) जैसी निर्यात संवर्धन स्कीमों के माध्यम से चमड़ा उत्पादों के निर्यातकों समेत अन्य निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। उपर्युक्त के अलावा, चमड़ा उत्पादों के निर्यातक अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त निविष्टियों पर शुल्क वापसी/रियायती शुल्क, डी.ई.पी.बी. आदि के लिए भी पात्र हैं।

[अनुवाद]

यू.बी.आई. की शाखाओं को बंद किया जाना

2418. श्री मणि चारेनामै: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने मणिपुर राज्य में अपनी पांच शाखाओं को बंद कर दिया है तथा अपने क्षेत्रीय कार्यालय को मणिपुर के इम्फाल से असम के सिलचर में स्थानांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मणिपुर में बैंक शाखाओं की संख्या को बढ़ाने तथा वहां पर बैंकिंग क्षेत्र के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकार द्वारा अनुमोदित कमजोर बैंक पुनर्गठन योजना के अंतर्गत मणिपुर राज्य में अपनी 5 शाखाओं को बंद कर दिया है और साथ ही मणिपुर में काफी कम शाखाएं होने के कारण अपने क्षेत्रीय कार्यालय को मणिपुर से सिलचर स्थानांतरित कर दिया गया है। तथापि, मणिपुर राज्य में स्थिति शाखाओं के लिए समन्वय कार्यालय कार्य कर रहा है।

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार बैंकों के निदेशक मंडल नई शाखाओं की स्थापना के लिए नीति और रणनीति के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। वार्षिक कारोबार योजना, नए केन्द्र में कारोबार की वृद्धि/संभावना आदि को ध्यान में रखते हुए नई शाखाएं खोलने के लिए स्थान/केन्द्र की पहचान करना उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

शहरी क्षेत्रों में सहकारी बैंक

2419. श्री अधीर चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है तथा उनकी शेयर पूंजी, स्वामित्व वाली निधियों जमाराशियों अग्रिमों और कार्यशील पूंजी कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए ऐसे नए बैंकों तथा शाखाओं की राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) महिला शहरी सहकारी बैंक सहित शहरी सहकारी बैंकों को खोलने के मानदंड क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मरकोसर देशों (लैटिन अमरीकी देश) के साथ मुक्त व्यापार समझौता

2420. श्री उदय सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मरकोसर देशों (लैटिन अमरीकी देश) के साथ कोई मुक्त व्यापार समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मरकोसर देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए उत्पादों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने 25 जनवरी, 2004 को मरकोसर देशों के साथ एक अधिमानी व्यापार करार (पी.टी.ए.) किया है।

(ख) से (घ) इस अधिमानी व्यापार करार का उद्देश्य मरकोसर तथा भारत के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के सृजन की दिशा में प्रथम कदम के रूप में कुछेक उत्पादों को नियत टैरिफ वरीयताएं प्रदान करके द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना है। अधिमानी व्यापार करार के सभी पांचों परिशिष्टों नामत: उत्पादों की दो सूचियां जिन पर नियत टैरिफ वरीयताएं दी जानी हैं, उद्गम संबंधी नियमों की विषय वस्तु, रक्षोपाय और विवाद निपटान पर इस समय वार्ताएं की जा रही हैं।

आंध्र प्रदेश में कोयला भंडार

2421. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में उपलब्ध कोयला भंडारों की निर्धारित क्षमता के अनुरूप कोयले की खोज नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय कोयला संसाधन सूची के अनुसार, दिनांक 1.1.2004 को आंध्र प्रदेश में कोयले के कुल भू-गर्भीय भंडार नीचे दिए गए हैं—

(आंकड़े मिलियन टन में)

श्रेणी	भंडार
प्रमाणित	8091
निर्दिष्ट	6092
अनुमानित	2514
जोड़	16697

आंध्र प्रदेश के कोयला भंडारों का अन्वेषण क्षेत्रीय, संवर्द्धनात्मक अन्वेषण तथा विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से 33 ड्रिलों को काम में लाकर किया जा रहा है।

गोदावरी घाटी कोलफील्ड में दो चरणों में व्यवस्थित रूप से भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

प्रारंभिक चरण में अर्थात् कोयलाधारी क्षेत्रों की पहचान करने तथा कोयला भंडारों को निर्दिष्ट/अनुमानित श्रेणी के अंतर्गत स्थापित करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) तथा खनिज अन्वेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल.) द्वारा 11 ड्रिलों को काम पर लगाकर (जी.एस.आई.-3, एम.ई.सी.एल.-8) क्षेत्रीय अन्वेषण/संवर्द्धनात्मक अन्वेषण किया जा रहा है।

अंतिम चरण में अर्थात् निर्दिष्ट/अनुमानित भंडारों का उन्नयन करके "प्रमाणित श्रेणी" में रखने के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा 25 ड्रिलों को काम पर लगा कर विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है।

- प्रमाणित भंडारों से नई कोयला खानों को खोलने में सहायता मिलती है।
- 10वीं से 13वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, एस.सी.सी.एल. द्वारा लगभग 200 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में 8.2 लाख मीटर की ड्रिलिंग करके विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से कुल 2700 मिलियन टन कोयले को प्रमाणित करने का कार्यक्रम है।
- दसवीं योजनावधि के प्रथम 2 वर्षों के दौरान, गोदावरी घाटी कोलफील्ड, आंध्र प्रदेश में कुल 289 मिलियन टन कोयला भंडारों को प्रमाणित किया गया है।

[हिन्दी]

पर्यटन उद्योग के विकास के लिए योजना

2422. प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन उद्योग के विकास के लिए पर्यटन केन्द्रों तथा तीर्थ-स्थलों के लिए हवाई सेवा संबंधी कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों को कितनी छूट दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को मंत्रालय द्वारा किरायों में भारी वृद्धि तथा निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा के कारण पर्यटन उद्योग पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के बारे में जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) ईंधन की लागत में वृद्धि के कारण 21.6.2004 से प्रभावी घरेलू रुपया किराया में वृद्धि से यात्री की संख्या अथवा पर्यटन उद्योग में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है चूंकि एयरलाइनों ने कई रियायती किराए शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

कृषि के लिए शुल्क कम करने का फार्मूला

2423. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकासशील देशों के संगठन जी-20 ने यूरोपीय संघ और अमरीका द्वारा प्रस्तावित कृषि के लिए शुल्क कम करने संबंधी फार्मूला को अस्वीकार्य बताया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या अमरीका कृषि संबंधी रूपरेखा समझौते के एक भाग के रूप में व्यापार बाधक राज सहायताएं कम करने और विकासशील देशों के संगठन जी-20 द्वारा बेहतर बाजार पहुंच के लिए निर्धारित समय-सीमा को स्वीकार करने को तैयार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विश्व व्यापार संगठन में व्यापार बातचीत के दोहा दौर के अन्तर्गत वार्ता के रूप में जी-20 पत्र पर चर्चा की जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो इसके परिणामतः भारतीय किसानों को क्या लाभ मिलेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (छ) जी-20 द्वारा लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में कृषि पर चल रही वार्ताओं में अगस्त, 2003 में यूरोपीय संघ और अमरीका द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित कृषि उत्पादों पर टैरिफ में कमी हेतु मिश्रित फार्मूला कृषि संबंधी जी-20 गठबंधन को स्वीकार्य

नहीं है जिसका मुख्य कारण यह है कि उक्त फार्मूला विकसित देशों में विशेष रूप से उच्चतम टैरिफ द्वारा संरक्षित उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार करने में विफल है और उससे विकसित और विकासशील देशों की अलग-अलग टैरिफ संरचनाओं के संबंध में इस प्रकार के असमान परिणाम प्राप्त होने की संभावना है जैसे कि विकासशील देशों के लिए विकसित देशों की तुलना में टैरिफ में आनुपातिक रूप से उच्चतर औसत कमी करना अपेक्षित होगा।

जी-20 गठबंधन द्वारा प्रस्तुत संदर्भाधीन दस्तावेज सहित डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्ताव और दस्तावेज विचाराधीन हैं। जी-20, जिसमें भारत शामिल है, के प्रस्तावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वार्ताओं के सभी घटकों में विकासशील देशों के लिए प्रवर्तनीय कारगर, विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार सहित कृषि संबंधी वार्ताओं पर दोहा अधिदेश के उद्देश्यों की पूर्ति होती है ताकि वे अपनी खाद्य एवं आजीविका की सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। किसी सदस्य के उत्तर के बारे में इस चरण पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका क्योंकि वार्ताएं अभी चल रही हैं। ये वार्ताएं औपचारिक रूप से 1 जनवरी, 2005 तक संपन्न होनी हैं।

एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस की निजी विमान सेवा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा

2424. डा. एम. जगन्नाथ:

श्री वाई.जी. महाजन:

डा. अरुण कुमार शर्मा:

श्री रूपचन्द मुर्मू:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया को निजी विमान सेवा कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दोनों वाहकों को अपने पुराने हो रहे बेड़ों के कारण कारोबार से हिस्सा गंवाना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया को सुदृढ़ बनाने और उन्हें उपभोक्ता अनुकूल और सस्ता बनाने तथा बाजार पर कब्जा करने हेतु उनकी क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कृतक बल का गठन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) आज की तिथि के अनुसार इसके प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। निजी एयरलाइनों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान मार्किट शेयर अर्जित किया है।

(ग) और (घ) पुराना होते हुए बेड़ा व्यापार में हिस्सेदारी में हानि के कारणों में से एक है।

(ङ) सरकार दोनों एयरलाइनों के सशक्तीकरण की आवश्यकता के प्रति सचेत है तथा एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस निरंतर अपने प्रचालनों तथा सेवाओं में सुधार लाने के सभी प्रयास कर रहे हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बैंकों में घोटाले

2425. श्री प्रदीप गांधी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की तिथि के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा नियंत्रित विभिन्न बैंकों में घोटाले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितने अधिकारियों को संलिप्त पाया गया और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2001 से 2004 तक के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों का निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध कराया है:—

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (रु. करोड़ में)
2001	1353	470.37
2002	1643	394.97
2003	2193	623.61
2004 (मार्च, 04 तक)	540	112.85

(ग) वर्ष 2001, 2002, 2003 तथा 2004 (मार्च, 2004 तक) के दौरान धोखाधड़ियों में शामिल पाए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के

कर्मचारियों की संख्या और उनके विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए है:

वर्ष	2001	2002	2003	2004 (मार्च तक)
(1) दोषसिद्ध	55	119	65	38
(2) बड़े/छोटे दंड दिए गए	1686	1491	2034	526
(3) उपर्युक्त (2) में से बर्खास्त/सेवामुक्त/सेवा से हटाए गए	380	424	579	144

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार ने बैंकिंग उद्योग में धोखाधड़ियों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। बैंकों को समय-समय पर अपने सतर्कता तंत्र को मजबूत करने तथा निवारक तथा प्रतिषेधक उपाय करने के लिए कहा जाता है। स्थानीय निरीक्षण के दौरान सतर्कता प्रणाली के कार्य की समीक्षा की जाती है। अपने पर्यवेक्षी दायित्व के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को आम धोखाधड़ी संवेदी क्षेत्रों तथा बैंकों में, कम्प्यूटरीकृत वातावरण में धोखाधड़ी सहित, धोखाधड़ी की घटना को रोकने/कम करने के संबंध में सुझाव देता रहता है। इसमें समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली लागू करने; बैंकों में सर्वोच्च स्तर पर आंतरिक निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा मशीनरी के कार्य की निगरानी; कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट सीमांकन; कर्मचारियों का आवधिक आवर्तन; तुरंत अनुशासनिक कार्रवाई; भर्ती के समय उम्मीदवारों की संघन छानबीन; वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड की स्थापना शामिल है। सरकार ने भी गंभीर वित्तीय धोखाधड़ियों की जांच के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना की है।

[अनुवाद]

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की योजना

2426. श्री कैलाश मेघवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार ने एक उदार व पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति अपनाई है और कुछेक क्षेत्रकों को छोड़कर जहां उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई है, अधिकतर क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत रखा गया है।

वर्ष 2004-2005 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को, विशेषतया अवसंरचना, उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात के क्षेत्र में, प्रोत्साहित किया जाना और सक्रिय रूप से लिया जाना जारी रखा जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने जून, 2004 में प्रकाशित अपने 'विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण, 2004' में पांच महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है जहां सरकार के समर्पित प्रयासों के परिणामस्वरूप निकट भविष्य से मध्यावधि में सुदृढ़ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह होंगे। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध सेवाएं, रसायन और रसायन उत्पाद, रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद, वैद्युत मशीनरी व उपस्कर तथा सेवा क्षेत्रक शामिल हैं। इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि इन क्षेत्रकों से प्रत्यर्थियों के बड़े अनुपात ने भारत का एक अनुकूल निवेश गतंव्य होने के रूप में आकलन किया है, उनके उद्योग/क्षेत्रक में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अवसरों को महसूस किया है तथा वे अपने भारतीय प्रचालनों के विस्तार की योजना बना रहे हैं।

(ङ) एक निवेश आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जिसे भारत में निवेश के लिए घेरलू तथा विदेशी व्यापारियों को नियोजित करने, उनसे विचार-विमर्श करने और उन्हें आमंत्रित करने के लिए सरकार का व्यापक प्राधिकार प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

छोटे विद्युतकरघों को राजसहायता

2427. श्री सूरज सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे विद्युतकरघों के प्रौद्योगिकीय सुधार हेतु राज्य सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में, देश में विद्युतकरघों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतकरघों से कितनी मात्रा में वस्त्र का उत्पादन किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का विस्तार करके 6 नवंबर, 2003 से 60 लाख रु. तक की लागत की निर्धारित प्रौद्योगिकी की बुनाई मशीनरी के लिए लघु विद्युतकरघा एककों को 20 प्रतिशत की दर से

ऋण से संबद्ध पूंजी सब्सिडी प्रदान की है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार, लघु विद्युतकरघों के तकनीकी उन्नयन के लिए सब्सिडी प्रदान करने के वास्ते किसी अन्य योजना पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) इस समय देश में विद्युतकरघों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण के रूप में दी गई है।

(घ) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्त्रों की मात्रा क्रमशः 25,192 मिलियन वर्ग मीटर, 25,954 मिलियन वर्ग मीटर और 27,258 मिलियन वर्ग मीटर है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	करघों की संख्या (30.4.2004 की स्थिति के अनुसार)
1	2
आंध्र प्रदेश	44020
असम	2726
बिहार	2894
गोवा	122
गुजरात	320870
हरियाणा	9882
हिमाचल प्रदेश	1461
जम्मू-कश्मीर	65
कर्नाटक	81869
केरल	2731
मध्य प्रदेश	67841
महाराष्ट्र	839029
उड़ीसा	3319
पंजाब	23606
राजस्थान	32249
तमिलनाडु	334372
उत्तर प्रदेश	65934
पं. बंगाल	4457
दिल्ली	1102
अरुणाचल प्रदेश	0
मणिपुर	0
चंडीगढ़ (सं.शा.क्षे.)	42
हवेली (सं.शा.क्षे.)	930
पांडिचेरी (सं.शा.क्षे.)	830
अंडमान व निकोबार, दमन व दीव, लक्षद्वीप (सं.शा.क्षे.)	0
कुल	1840351

ग्रेनाइट उत्खनन हेतु विशेष योजना

2428. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में ग्रेनाइट के उत्खनन और खनन गतिविधियों में सुधार लाने हेतु कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ग्रेनाइट का स्थान-वार भंडार कितना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित ग्रेनाइट की वर्ष-वार मात्रा कितनी है;

(ङ) क्या हाल में ग्रेनाइट का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): (क) और (ख) ग्रेनाइट, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट) की धारा 3(ङ) के तहत परिभाषित एक गौण खनिज है और एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने और खनिज रियायतें प्रदान करने की शक्तियां संबंधित राज्य सरकार को दी गई हैं।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 18 के अनुसार खनिजों के संरक्षण और क्रमबद्ध विकास हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के संबंध में केन्द्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस धारा के अनुसार केन्द्र सरकार ने सारे देश में ग्रेनाइट संसाधनों का संरक्षण करने और ग्रेनाइट का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विदोहन करने के सबंध में एक समान ढांचा (फ्रेमवर्क) निर्धारित करने के लिए 1 जून, 1999 को ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 को अधिसूचित किया है।

केन्द्र सरकार ने सचिव (खान) की अध्यक्षता में एक ग्रेनाइट विकास परिषद (जी.डी.सी.) का भी गठन किया है जिसमें केन्द्रीय

मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं और यह परिषद ग्रेनाइट उद्योग द्वारा समय-समय पर उठाए गए मुद्दों और उनके सौहार्दपूर्ण समाधान के बारे में विचार-विमर्श करती है।

(ग) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ कार्यालय—भारतीय खान ब्यूरो द्वारा रखी जा रही सूची के अनुसार 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार ग्रेनाइट का भंडार निम्नवत है :-

राज्य	(हजार सी.यू.एम. में)
आंध्र प्रदेश	2787540
असम	583950
बिहार	877612
छत्तीसगढ़	50057
गुजरात	419547
हरियाणा	34000
झारखंड	8847364
कर्नाटक	9740066
केरल	3838
मध्य प्रदेश	6270980
महाराष्ट्र	1158847
मेघालय	286467
उड़ीसा	2134838
राजस्थान	8479408
तमिलनाडु	713299
उत्तर प्रदेश	494819
पश्चिम बंगाल	33426
अखिल भारत कुल	42916058

(घ) से (छ) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान ग्रेनाइट के निर्यात की वर्षवार मात्रा निम्नवत है :-

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03
मात्रा (टनों में)	1582170	1673862	2183570

विगत कुछ वर्षों में ग्रेनाइट के निर्यात में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा निवेश

2429. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विनिर्माण, अवसंरचना एवं वित्तीय क्षेत्र में कार्यशील भारतीय कंपनियों में निवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारतीय कंपनियों में कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का विचार उपर्युक्त क्षेत्रों में कार्यशील भारतीय कंपनियों में अपने निवेश में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) वे कंपनियां कौन-कौन सी हैं जिनमें वित्तीय सहायता का उपयोग किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारतीय कंपनियों में निवेश के लिए जुलाई 2001-जून 2002, जुलाई 2002-जून 2003 तथा जुलाई 2003-जून 2004 के दौरान क्रमशः 210.21 मिलियन अमरीकी डालर, 361.67 मिलियन अमरीकी डालर तथा 307.98 मिलियन अमरीकी डालर की राशि अनुमोदित की है।

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भारतीय कंपनियों में सक्रिय रूप से निवेश करते रहने का विचार है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय कंपनियों में अतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का निवेश उपयुक्त निवेश संबंधी अवसरों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किए जाने वाले निवेश अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योगों तथा सेवाओं, वित्तीय बाजारों और निजी अवसंरचना को सहायता देने पर संकेंद्रित होंगे।

चीन को इस्पात और सीमेंट का निर्यात

2430. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीन को वर्ष 2008 में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक खेलों हेतु स्टेडियमों का निर्माण करने हेतु सीमेंट और इस्पात का कितनी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्यात के परिणामस्वरूप, प्रमुख शहरों में सरकारी निकायों/अभिकरणों को सीमेंट और इस्पात की अनुपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या अनुपलब्धता के कारण सरकारी निकायों की कई महत्वकांक्षी योजनाएं विलंबित हुई हैं अथवा उनकी लागत में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चीन को सीमेंट का कोई निर्यात नहीं किया गया है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 (फरवरी, 2004 तक) के दौरान चीन को क्रमश: 1104798 और 1033574 मी. टन इस्पात का निर्यात किया गया है। निर्यातित इस्पात के अंतिम प्रयोग से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) से (घ) वर्ष 2003-04 के दौरान सीमेंट और इस्पात का उत्पादन और खपत यह दर्शाता है कि स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। केवल विशिष्ट ग्रेड के इस्पात की बहुत कम मात्रा को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है और इस मामले में भी सरकार ने इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसके मूल्यों को स्थिर रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।

(i) गैर मिश्र-धातु इस्पात पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ii) मिश्र-धातु इस्पात पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) आयात पर से 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.) को समाप्त करना।

(iv) इस्पात की मदों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना।

(v) लघु उद्योग निगम (एस.एस.आई.सी.) स्कीम के तहत लघु औद्योगिक एककों को आपूर्ति के लिए वर्ष 2004-2005 के दौरान इस्पात की मदों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि।

स्वदेशी बाजार में इन वस्तुओं की अनुपलब्धता सरकारी निकायों की महत्वकांक्षी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब करने और इनके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि करने का कारण नहीं है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को समाप्त करना

2431. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.एफ.आर.) को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य को किस विभाग/अभिकरण को सौंपा जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 (2004 का अधिनियम 1) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को बंद करने का प्रावधान करता है। एस.आई.सी.ए. के प्रवर्तन में पाई गई कमियां, अन्य बातों के साथ-साथ, ये हैं :

(i) रुग्णता की सीमित परिभाषा;

(ii) बी.आई.एफ.आर. द्वारा हस्तक्षेप की धीमी गति; और

(iii) रुग्ण कंपनियों को बंद करने में विलम्ब।

(ग) कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान करता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को वित्तीय संस्थानों से सहायता

2432. श्री शिशुपाल एन. पाटले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक विकास परियोजनाओं हेतु विभिन्न राज्यों को वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्य-वार, कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या अन्य राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता की तुलना में महाराष्ट्र के मामले में इस प्रकार उपलब्ध कराई गई सहायता कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) प्राप्त सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान वित्तीय संस्थाओं (आई.डी.बी.आई. सिडबी, आई.एफ.सी.आई., एक्जिम बैंक तथा आई.आई.बी.आई.) द्वारा संवितरित राज्य-वार सहायता

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	2002-03					2003-04				
	आई.डी.बी.आई.	सिडबी	आई.एफ.सी.आई.	एक्जिम	आई.आई.बी.आई.	आई.डी.बी.आई.	सिडबी	आई.एफ.सी.आई.	एक्जिम	आई.आई.बी.आई.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	280.3	5.15	12.32	338	141.4	647.5	82.82	7.38	582	295.5
अरुणाचल प्रदेश										
असम	0.1	0.15				39.0				0.6
बिहार	12.6					2.9			48	4.5
छत्तीसगढ़	20.1					0.4	0.51			
चंडीगढ़	1.9	0.88				0.5	50.00			
दादर एवं नगर हवेली	24.2	0.70	3.0			4.5				
दिल्ली	954.7	1.57	572.0	860	126.8	708.3	2.42		1081	354.5
गोवा	4.4	11.38	9.12			9.1		1.00		0.2
गुजरात	553.4	11.44	363.04	328	245.0	456.8	11.46	37.14	450	423.7
हरियाणा	103.4	0.46				50.5	16.45	26.73	50	79.1
हिमाचल प्रदेश	20.2	0.85	13.78		35.4	26.5		37.49		106.3
जम्मू-कश्मीर				0.5						37.3
झारखंड	6.5					0.5				
कर्नाटक	330.4		157.27	102	86.8	689.3	10.07	2.59	246	79.2
केरल	42.3	123.13		18	25.0	25.2	78.37		49	95.6
मध्य प्रदेश	81.9	1.14		31	12.1	78.1	18.34		37	
महाराष्ट्र	2593.2	246.37	527.66	2444	195.2	1040.1	244.14	100.62	2759	288.8
मणिपुर				0.6					2	
मेघालय	2.0									10.3
नागालैंड										
उड़ीसा	71.9	11.0			6.0	108.1	2.66	10.91		
पंजाब	62.9	4.17	19.84	106	41.1	58.6	4.16	4.20		91.6
राजस्थान	190.7	2.50		10	39.2	124.0	55.30		57	111.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सिक्किम							0.19			
तमिलनाडु	433.8	30.07	17.66	318	17.9	259.9	32.40	2.26	749	182.2
उत्तर प्रदेश	317.1	13.08	26.82	124	98.8	99.9	27.19	19.15	109	36.4
उत्तरांचल	0.9		0.70			70.3		2.30		
पश्चिम बंगाल	144.4	2.43	56.69	499	21.2	156.5	24.73	26.41	397	55.4
कुल	6253.27	466.47	1779.90	5179	1091.9	4655.98	661.21	278.18	6616	2252.2

विवरण-II

चालू वर्ष, 2004-05 (अप्रैल-जून) के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित राज्यवार वित्तीय सहायता

(करोड़ रु.)

	2003-2004				
राज्य	आई.डी.बी.आई.	सिडबी	आई.एफ.सी.आई.	एक्जिम	आई.आई.बी.आई.
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	22.6	1.31		72	
अरुणाचल प्रदेश					
असम	0.2				
बिहार	2.0				
छत्तीसगढ़					
चंड़ीगढ़	1.2				
दादर एवं नगर हवेली					
दिल्ली	0.2			79	
गोवा					
गुजरात	55.1	8.01		72	0.1
हरियाणा		0.51			
हिमाचल प्रदेश		0.48			
जम्मू-कश्मीर					
झारखंड					
कर्नाटक	3.5			32	
केरल	5.6	25.69		7	
मध्य प्रदेश	11.1	0.74			

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	84.1	33.46	7.19	701	
मणिपुर					
मेघालय					
नागालैंड					
उड़ीसा	15.2	0.10			
पंजाब	11.8	1.30			
राजस्थान	5.0	0.90		8	
सिक्किम					
तमिलनाडु	58.3	7.06		102	
उत्तर प्रदेश	19.7	0.18	1.51		
उत्तरांचल	52.5				
पश्चिम बंगाल	41.1	1.18	5.47	53	6.6
कुल	389.2	80.92	14.17	1126	6.7

[अनुवाद]

मणिपुर में कोर बैंकिंग समाधान सुविधा

2433. श्री मणि चारेनामै: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर राज्य में समाशोधक लिखत को ऋण करने में बैंक बिना कारण विलंब करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और केन्द्रीयकृत कोर बैंकिंग समाधान तथा रियल टाईम ग्रौस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) संबंधी जानकारी क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मणिपुर में शिक्षा ऋण, वाहन ऋण इत्यादि जैसी खुदरा बैंकिंग योजनाएं कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इम्फाल केन्द्र पर समाशोधन गृह की सुविधा चलाई जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, मणिपुर में इम्फाल केन्द्र पर समाशोधन गृह में पंद्रह सदस्य बैंक भाग ले रहे हैं। सदस्य दिन में दो बार मिलते हैं और समाशोधन गृह में आए हुए चैकों को उसी दिन समाशोधित किया जाता है। मणिपुर राज्य में बैंकों की शाखाओं ने मणिपुर में कोर बैंकिंग समाधान आरम्भ नहीं किये हैं। मणिपुर राज्य में आर.टी.जी.एस. में भाग लेने वाली कोई भी बैंक शाखा नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक का डाटा बेस राज्य-वार सूचना नहीं देता है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शिक्षा ऋण से संबंधित बैंक-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

(राशि लाख में)

मार्च, 2002	
खातों की संख्या	88614
राशि	103274
मार्च, 2003	
खातों की संख्या	140925
राशि	199488
मार्च, 2004	
खातों की संख्या	153275
राशि	260699

लाल मिर्च के निर्यात में कमी

2434. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग 60,000 टन लाल मिर्च का निर्यात किया था;

(ख) क्या घटिया गुणवत्ता के कारण वर्तमान सीजन में आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च के निर्यात में कम से कम 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी आई;

(ग) यदि हां, तो मिर्च के निर्यात में कमी के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) मिर्च के निर्यात को बढ़ाते हेतु मिर्च उगाने वाले किसानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) लाल मिर्च के निर्यात संबंधी राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत से लाल मिर्च के हुए कुल 81,022 टन के निर्यात में से अधिकांश निर्यातित मिर्च का स्रोत आंध्र प्रदेश रहा था।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न राज्यों से हुए निर्यात के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 2003-04 के दौरान भारत से लाल मिर्च के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में, मात्रा तथा मूल्य दोनों रूपों में वृद्धि प्रदर्शित हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लाल मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ पालीथीन शीटों की आपूर्ति, शुष्क यार्डों का निर्माण, गुणवत्ता संवर्द्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, समेकित कीट प्रबंधन पद्धतियों को लोकप्रिय बनाना, फसलोत्तर अवसंरचना विकास तथा गुण्टूर में मौजूदा प्रयोगशाला को सुदृढ़ करना शामिल है।

निर्यातकों के लाइसेंस का सत्यापन

2435. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातकों को लाइसेंस/अनुमति जारी करने से पहले निर्यातकों की विश्वसनीयता का सत्यापन करने का है जिससे कि दी गई रियायतों के दुष्प्रयोग को रोका जा सके; और

(ख) इस दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वर्तमान एग्जिम नीति के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा आयातक/निर्यातक कोड (आई.ई.सी.) संख्या के बिना तब तक कोई आयात अथवा निर्यात नहीं किया जाएगा तब तक कि उसे विशिष्ट रूप से छूट प्रदान न की गई हो। आयातक/निर्यातक कोड सं. (आई.ई.सी.) सामान्यत: क्रियाविधि पुस्तिका में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने पर प्रदान की जाती है। उपर्युक्त के अलावा जिन निर्यातकों के खिलाफ विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कार्यवाहियां लंबित हैं, उन्हें लाइसेंस जारी करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने के लिए अपेक्षित विस्तृत क्रियाविधियों के बारे में अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं।

केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा दायर अपील

2436. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पाद के 16 आयुक्त कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि विभाग द्वारा 50.41 करोड़ रुपयों के राजस्व वाली दायर 32 अपीलों को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया और सीगेट (सी.ई.जी.ए.टी.) द्वारा 2.00 करोड़ रुपये वाले तीन मामले अपील दायर करने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के कारण खारिज कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो अपीलों के दायर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो इन अपीलों को दायर करने में विलंब के जिम्मेवार हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आंशकि रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

22 अप्रैल, 2003 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2003 की रिपोर्ट सं. 11 (केन्द्रीय सरकार, अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) अध्याय 3, पैरा 3.51 इस पर प्रकाश डालती है। तथापि, यह पता चला है कि यद्यपि 31 मामलों को माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, एक मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा विलम्ब पर माफी दिए जाने के बाद गुण-दोष आधार पर खारिज कर दिया गया था। दो मामले में, जिनमें 1.35 करोड़ रु. का राजस्व शामिल है, विभाग के विरुद्ध कानूनी पहलू को अब निपटा लिया गया है अत: कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। इस बात की भी प्रशंसा की जाए कि इन सभी मामलों में विभाग के विरुद्ध ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया, इसके विरुद्ध अपील करके विभाग माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा कानून के अंतिम अवधारणा के आधार पर मात्र राहत पाने की कोशिश कर रहा था।

(ख) अपीलों को दायर करने में विलम्ब के कारणों की जांच की गई है। मुख्यत: एक अपील प्रस्ताव माननीय उच्चतम न्यायालय के सक्षम दायर करने से पूर्व तीन स्तरों से गुजरता है: आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का कार्यालय,

विधि मंत्रालय का केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग। इन स्तरों में से प्रत्येक स्तर पर मामले पर कार्रवाई करने में लगने वाले समय का निर्धारण कर लिया गया है। इन मामलों में विलम्ब के कारण निम्नानुसार हैं:

(i) अधिकतर मामलों में सभी स्तरों पर समयानुसार कार्रवाई करने में हुई प्रशासनिक चूक को स्वीकारा गया है।

(ii) इसके अलावा कभी-कभी किसी मामले में अधिक गहराई से संवीक्षा की आवश्यकता होती है अत: आयुक्त द्वारा अपील दायर करने के निर्णय से पूर्व बोर्ड सहित अन्य कार्यालयों से परामर्श लिया जाता है;

(iii) बोर्ड के स्तर पर, कुछेक मामलों में अपील दायर करने के गुण-दोष आधार पर विचार-विमर्श के तहत बोर्ड के अन्य स्कन्धों से और साथ ही साथ विधि वेत्ता अधिकारियों के साथ परामर्श किया जाता है जिसके फलस्वरूप समय लगा है।

(iv) केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग के स्तर पर, अपीलों का मसौदा तैयार करने और कभी-कभार कमियों को दूर करने में पैनल काउंसिलों द्वारा समय लगाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभाग ने स्थिति का जायजा लिया और हाल ही में निर्देशों और लगातार मॉनीटरिंग के जरिए निर्धारित अवधि के भीतर अपीलों को दायर करने की आवश्यकता पर क्षेत्रीय कार्यालयों को सुग्राही बनाया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मामले में, अपील दायर करने में हुए विलम्ब के लिए गलती करने वाले प्राधिकारियों से जवाबतलब करने हेतु कार्रवाई की गई है। केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग/ पैनल काउंसिल के स्तर पर हुए विलम्ब के संदर्भ में विभाग उन संबंधित सरकारी वकीलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विधि मंत्रालय के साथ लगातार सम्पर्क में है जो अपील दायर करने में विलम्ब के उत्तरदायी हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन का असर

2437. श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन में मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों से किसानों के हितों की रक्षा किस तरह से करने जा रही है;

(ङ) ग्रीन, ब्लू, अम्बर और डेवलपमेंट बॉक्सेज के अंतर्गत उच्च राज सहायता जारी रखने हेतु विश्व व्यापार संगठन के निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अमरीका ने किसानों को उच्च राजसहायता देना जारी रखा है; और

(छ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के कृषि संबंधी करार के प्रभाव से संबंधित अध्ययन का कार्य विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को सौंपा है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सेंटर फॉर मानीटरिंग द इंडियन इकॉनॉमी द्वारा "भारत में कृषि वस्तुओं की कीमतों पर व्यापार उदारीकरण का प्रभाव;"

(ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा "डब्ल्यू.टी.ओ. : भारतीय कृषि वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं वचनबद्ध टैरिफ अपेक्षाएं";

(iii) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च द्वारा "उरुग्वे दौर का करार और भारतीय कृषि"—भविष्य के लिए कार्यनीतिक मुद्दे; और

(iv) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा बाजार पहुंच, घरेलू सहायता, निर्यात सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा संबंधी अनुसंधान अध्ययन।

(ग) से (ङ) चल रही कृषि संबंधी वार्ताओं की अत्यावश्यकताओं की अपेक्षानुसार, भारत विकसित देशों द्वारा प्रदत्त व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी और सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडियों की समाप्ति तथा विशेष रूप से विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों के लिए पर्याप्त बाजार पहुंच संबंधी सुधारों को हासिल करने के उद्देश्य से डब्ल्यू.टी.ओ. में प्रस्ताव प्रस्तुत करता रहा है। भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि विकासशील देशों द्वारा बाजार पहुंच संबंधी किन्हीं और वचनबद्धताओं में विकासशील देशों की ग्रामीण विकास संबंधी जरूरतों और खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अलग प्रकार का व्यवहार कृषि संबंधी वार्ताओं के तत्वों का अभिन्न अंग है। ये वार्ताएं 1 जनवरी, 2005 को समाप्त होनी हैं।

किसानों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने संवेदनशील मदों के आयातों पर निगरानी रखने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की भी स्थापना की है और वह वचनबद्ध स्तरों के भीतर लागू टैरिफों के समुचित

अंशांकन समेत डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुरूप उपायों के माध्यम से घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कृषि संबंधी डब्ल्यू.टी.ओ. करार के मौजूदा उपबंधों के अंतर्गत "सहायता की कुल मात्रा (ए.एम.एस.)" के अनुसार परिगणित व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में वर्ष 1986-88 को आधार अवधि के रूप में लेते हुए विकसित देशों के लिए 6 वर्षों (1995-2000) में 20 प्रतिशत तक और विकासशील देशों के लिए 10 वर्षों (1995-2004) में 13-1/3 प्रतिशत तक कमी की जानी अपेक्षित है। तथापि, कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता के लिए विकासशील देशों में कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत तक की और विकसित देशों में 5 प्रतिशत तक की अनुमति है। उत्पादन सीमितकारी कार्यक्रमों के तहत प्रदत्त घरेलू सहायता और ऐसी सहायता में कमी करना अपेक्षित नहीं है जिसका व्यापार विकृतिकारी प्रभाव अथवा उत्पादन पर प्रभाव शून्य या न्यूनतम होता है और जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है। कृषि संबंधी करार के अंतर्गत कोई विकास बॉक्स नहीं है, यद्यपि इसमें विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार संबंधी उपबंध दिए गए हैं।

(च) और (छ) अधिकांश विकसित देशों में जारी घरेलू सहायता और निर्यात सब्सिडी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए भारत ने चल रही वार्ताओं में कृषि संबंधी जी-20 गठबंधन और समान विचारधारा वाले अन्य देशों के साथ अमरीका समेत विकसित देशों द्वारा प्रदत्त व्यापार विकृतिकारी सहायता में पर्याप्त कमी करने और सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने की मांग की है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहायता

2438. श्री रामदास बंडु आठवले:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश को गरीबी उपशमन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) पूर्वोक्त धनराशि किन राज्यों में उपयोग की जा रही है; और

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक राज्य द्वारा इन धनराशियों का किस हद तक उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने 262.56 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता वाली निर्धनता उन्मूलन हेतु दो परियोजनाओं अर्थात् आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना (150 मिलियन अमरीकी डालर) और छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता परियोजना (112.56 मिलियन अमरीकी डालर) को अनुमोदित किया है। ए.डी.बी. ने गत तीन वर्षों में निर्धनता उन्मूलन की किसी विशिष्ट परियोजना को वित्तपोषित नहीं किया है, लेकिन सार्वजनिक अवसंरचना के विकास और वित्तपोषण को बढ़ावा दिया है।

(ख) आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़।

(ग) आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने संबंधित परियोजनाओं के अंतर्गत अभी तक क्रमशः 89.86 करोड़ रु. और 22.64 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

[अनुवाद]

विनिवेश नीति

2439. श्री शिवाजी अधलराव पाटील:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विनिवेश मंत्रालय को समाप्त करने के बाद विनिवेश प्रक्रिया को समाप्त करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 की शेष अवधि के दौरान विनिवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) नियत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने अपने अधीन कार्य कर रहे आई.टी.डी.सी. और अशोका होटल सहित होटलों की श्रृंखला का विनिवेश करने की अपनी नीति को बदलने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या माडर्न फूड्स, सेंटोर होटल और कोवलम अशोका बीच रिसॉर्ट आदि के निजीकरण/बिक्री के सौदों के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(छ) यदि हां, तो शिकायतों/आरोपों की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने शिकायतों के बारे में जांच की है;

(झ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ञ) सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या उपचारात्मक उपाय शुरू किए गए है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) वर्ष 2004-05 के लिए विनिवेश प्राप्तियां 4000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस लक्ष्य को चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों में सरकार की अल्पांश शेयरधारिता को कम करने के माध्यम से प्राप्त

किए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित विनिवेश संबंधी सरकार की नीति इस प्रकार है:-

"सरकार एक सुदृढ़ और प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है जिसके सामाजिक उद्देश्यों को उसके वाणिज्यिक क्रियाकलापों द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन इसके लिए चयनात्मकता और एक अनुकूल फोकस की आवश्यकता होती है। प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में कार्य करने वाली सफल, लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के लिए सरकार पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता सौंपने के लिए वचनबद्ध है। सामान्यत: लाभ कमाने वाली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

समस्त निजीकरण संबंधी विचार-विमर्श मामला-दर-मामला आधार पर पारदर्शी और परामर्शी तरीके से किया जाएगा। मौजूदा 'नवरत्न' कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहेंगी जबकि ये कंपनियां संसाधन पूंजी बाजार से जुटाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों के आधुनिकीकरण और पुनर्संरचना तथा रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, लगातार घाटे में चल रही कंपनियों के सभी कामगारों को उनकी न्यायसंगत बकाया राशियां और मुआवजे मिल जाने के बाद या तो इन्हें बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा। सरकार, उन कंपनियों के चहुंमुखी विकास के लिए निजी उद्योग को शामिल करेगी, जिनके पुनरूद्धार की संभावना हो।

सरकार का यह मत है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्द्धा बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए। यह किसी भी एकाधिकार के प्रादुर्भाव का समर्थन नहीं करेगी जिससे प्रतियोगिता सीमित होती है। इसका यह भी मत है कि निजीकरण और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच सीधा संबंध होना चाहिए—उदाहरण के लिए निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए निजीकरण से जुटाए गए राजस्व का उपयोग करना। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को संसाधनों को जुटाने और खुदरा निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।"

(च) से (झ) निजीकरण, सौदों के बारे में ऐसी कोई बड़ी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है जिनको प्रमाणित किया जा सके। सरकार, सभी शिकायतों की तत्परता से छानबीन करती है और उपयुक्त कार्रवाई करती है।

(ञ) कामगारों के हित संरक्षण के लिए विनिवेश के समय अनुकूल साझीदार के साथ सम्पन्न शेयरधारक करार में अनेक उपबंध सम्मिलित किए जाते हैं। इस संबंध में मानक उपबंधों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। निजीकृत कंपनियों के बोर्ड में सरकारी निदेशक भी नियुक्त किए जाते हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेयरधारक करार क्रियान्वित किया जाता है।

विवरण

शेयरधारक करार में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों के हित से संबंधित विशेष उपबंध निम्न प्रकार है:-

विधिक अंश का विवरण

- **इस बारे में स्थाई खण्ड-वाक्य के अध्यधीन, पार्टियां इस बात को दृष्टिगत रखती हैं कि कंपनी के सभी कर्मचारी, इस तारीख के बाद कंपनी के रोजगार में बने रहेंगे।**
- **अनुकूल साझीदार इस बात को मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और सामाजिक रूप से उपेक्षित समाज के अन्य वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धान्तों का अनुकरण करती है। अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की छंटनी अन्त में हो।**

स्थायी खण्ड-वाक्य

- **इस अनुच्छेद—में प्रतिकूल किसी भी बात के रहते हुए, सरकार अपने ही विवेक पर किसी भी समय, कंपनी के कर्मचारियों, को इस करार की तारीख को मौजूदा कंपनी की शेयर पूंजी के—प्रतिशत से अनधिक को दर्शाते हुए, कंपनी में अपनी शेयरधारिता में से शेयरों (कर्मचारी बिक्री अंश) को बेचने का विकल्प अपने पास रखेगी। सरकार द्वारा अपने शेयरों के किसी अंश को कर्मचारियों को बेचने के विकल्प का प्रयोग करने की दशा में, कर्मचारियों को हस्तांतरित शेयरों के लिए, कर्मचारियों को नए शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। शेयरधारक इस बात से सहमत हैं कि हस्तांतरण पूरा हो जाने पर इस उप-खण्ड वाक्य के अनुसरण में कर्मचारियों को हस्तांतरित शेयर इस करार में किन्हीं प्रतिबंधों के अध्यधीन नहीं होंगे चाहे मत-व्यवस्था के द्वारा हो अथवा प्रथम अस्वीकृति के अधिकार से।**
- **अनुकूल साझीदार सरकार के साथ विधिवत यह करार करता है कि**

(क) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए वह अन्तिम तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रकार की

पदच्युति अथवा लागू कर्मचारी विनियमन तथा कंपनी के स्थायी आदेशों अथवा लागू कानून के अनुसरण में अपने रोजगार से कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति को छोड़कर, कंपनी के किन्हीं कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेगा।

(ख) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए, परंतु उपरोक्त उप-खण्ड (क) के अध्यधीन कंपनी के श्रम बल की किसी भी प्रकार की पुनर्संरचना, बोर्ड द्वारा की गई संस्तुति के तरीके तथा सभी लागू कानूनों के अनुसरण में क्रियान्वित की जाएगी।

(ग) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए परन्तु उपरोक्त उप-खण्ड (क) के अध्यधीन कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कटौती करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उन शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प की पेशकश करे जो किसी भी तरह से विनिवेश से पूर्व लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से कम अनुकूल न हो।

राज्य वित्त निगम

2440. श्री निखिल कुमार चौधरी:

श्री गुरुदास कामत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य वित्त निगमों की समीक्षा तथा पुनर्गठन के लिए गुप्ता समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा राज्य वित्त निगमों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा और कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों से, विशेषकर महाराष्ट्र और बिहार से, राज्य वित्त निगमों के पुनर्गठन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राज्य वित्त निगमों (एस.एफ.सी.) की पुनरीक्षा एवं पुनर्गठन के लिए जी.पी. गुप्ता समिति स्थापित की गई थी। इस समिति ने राज्य वित्त निगमों के परिचालनात्मक, वित्तीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए सिफारिशें की हैं। इस समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य वित्त निगमों के परिचालन संबंधी सुधारों के साथ संबद्ध किए जाने के लिए 3,600 करोड़ रु. की राशि के पुनर्पूंजीकरण की सिफारिश की है, जो केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राज्य सरकारों द्वारा दी जा सकती है। अन्य सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) यह रिपोर्ट विभिन्न राज्य वित्त निगमों को भेज दी गई है, ताकि राज्य वित्त निगमों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए परिचालनात्मक एवं संगठनात्मक पुनर्गठन से संबंधित सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

(घ) से (च) कुछ राज्य सरकारों ने राज्य वित्त निगमों के पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक राज्य वित्त निगमों के पणधारक नहीं हैं और कोई निधि देने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने में राज्य वित्त निगमों की भूमिका को देखते हुए सरकार और सिडबी ने राज्य वित्त निगमों के लिए राहत एवं रियायतों वाले पुनरुज्जीवन एवं पुनर्गठन पैकेज बनाया है। रियायतों में सभी बकाया राशि और साथ ही भावी वित्त ब्याज दर में 2 प्रतिशत की कटौती और मौजूदा देय राशि की वापसी अदायगी के लिए एक वर्ष का ऋण स्थगन शामिल है। पैकेज की शर्तों के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर राज्य वित्त निगमों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। अभी तक 9 राज्य वित्त निगमों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र एवं बिहार में राज्य वित्त निगमों ने रियायत एवं राहत प्राप्त करने के लिए सिडबी के साथ उक्त समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

विवरण

समिति ने कुछ मामलों पर भी सिफारिशें की हैं, जैसे:

- राज्य वित्त निगमों को लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण/सेवाएं प्रदान करने की भूमिका जारी रखनी चाहिए।
- राज्य वित्त निगमों को विविध उत्पाद/सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि राज्य वित्त निगमों पर कोई अनुचित और प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- प्रति इकाई आवास संबंधी उच्चतम सीमा दूर की जानी चाहिए और राज्य वित्त निगमों के बोर्डों को राज्य में प्रचलित एवं उभरती हुए औद्योगिक वातावरण के आधार पर उद्योग-वार प्रति इकाई निवेश सीमाएं निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए।
- सिडबी को वर्तमान की तरह ही ऋण अंतरालों को पूरा करना और राज्य वित्त निगमों की तुलना में पूरक एवं प्रतिपूरक भूमिका निभाना जारी रखना चाहिए।
- राज्य वित्त निगमों को और अधिक गैर-निधि आधारित क्रियाकलाप करने चाहिए।
- राज्य वित्त निगमों को अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाएं पूरी तरह से पुन: तैयार करनी चाहिए और व्यवहार्य ग्राहक संबंध दृष्टिकोण से कंपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहिए।

- अधिक कुशल एवं प्रभावी जोखिम मूल्यांकन और साथ ही ऋण पोर्टफोलियो की सूक्ष्म निगरानी तंत्र बनाना।
- प्रबंध निदेशक स्तर पर निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति प्रयोग हेतु राज्य सरकारों को प्रदान करना तथापि, अपरिहार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नामोदिस्ट प्रबंध निदेशक की सेवाएं पुन: वापस बुलाए जाने का सहारा लिए बिना तीन वर्ष की न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए संविदा आधार पर ली जानी चाहिए।
- राज्य वित्त निगमों को प्रभावी तरीके से मार्ग निर्देश देने के लिए सिडबी, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के नामिती उपयुक्त वरिष्ठ कार्यपालकों, जो महाप्रबंधक के रैंक से कम न हों, के समूह (पूल) लिए जाने चाहिए।
- राज्य वित्त निगमों को अपने शाखा नेटवर्क का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए बेहतर भौगोलिक फैलाव सहित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखने के अतिरिक्त उनमें से प्रत्येक को "लाभदायक केन्द्र" के रूप में मान कर गैर-अर्थक्षम शाखाओं को बिना विलम्ब के बंद कर देना चाहिए।
- जानकारी/आंकड़े सतत् आधार पर कंप्यूटरीकृत किए जाने चाहिए।
- सिडबी को राज्य वित्त निगमों के संबंध में अपनी आंतरिक निगरानी एवं प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय करने चाहिए।
- वसूलियों में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए, राज्य सरकार राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 32 के अधीन किए गए आवेदनों के निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करे, जो अनन्य रूप से राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दायर किए गए वसूली आवेदनों पर विचार करेंगे।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2004 को वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए मार्गनिर्देशों की तरह, राज्य वित्तीय निगमों के लिए एक बारगी निपटान (ओ.टी.एस.) संबंधी मार्गनिर्देश तैयार करने चाहिए, जो उनकी अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की वसूली के लिए सरलीकृत विवेकाधिकार रहित और अभेदमूलक तंत्र उपलब्ध कराएगा। तत्पश्चात् राज्य वित्तीय निगमों को ओ.टी.एस. को उत्साहपूर्वक कार्यान्वित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य वित्तीय निगमों को कतिपय क्षेत्रीय एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। राज्य वित्तीय निगमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये नई मंजूरियों के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।
- उन विशेष परिस्थितियों की वजह से जिनमें राज्य वित्तीय निगम कार्य करते हैं, आय की पहचान, प्रावधान और आस्ति वर्गीकरण से संबंधित मार्गनिर्देश वाणिज्यिक बैंकों पर लागू मार्गनिर्देशों से भिन्न होने चाहिए।
- खराब नकदी प्रबंधन में सुधार करने के लिए राज्य वित्तीय निगमों को नकदी शेष का लाभप्रद रूप से अल्पावधि निवेशों में निवेश करना चाहिए।
- प्रभावी संसाधन प्रबंधन के लिए, प्रत्येक राज्य वित्तीय निगम में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) गठित की जानी चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य वित्तीय निगम भविष्य में अल्पावधि के लिए उधार न लें और दीर्घावधि के लिए उधार न दें और उसके द्वारा आस्ति देयता असंतुलन से बच सकें।
- राज्य वित्तीय निगमों को तुरंत एकसमान लेखा मानदंड अपनाने का परामर्श दिया जाएं।

निर्धन और बेरोजगार व्यक्तियों को बैंक ऋण

2441. श्री बी. विनोद कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंका को जरूरतमंद निर्धन व्यक्तियों/बेरोजगार युवाओं को एक लाख रुपये से कम के ऋण देने से हतोत्साहित करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में उस श्रेणी के व्यक्तियों को ऋण दिए जाने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना (एस.एल.आर.एस.), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत राज्यवार लक्ष्य एवं संवितरित ऋण तथा विभेदी ब्याज दर (डी.आर.आई.) के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से V में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के तहत राज्य वार वार्षिक वित्तीय लक्ष्य एवं संवितरित ऋण (सं. एवं राशि) का ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-2002		2002-2003		2003-2004 (दिसम्बर, 2003 तक)	
	वार्षिक वित्तीय लक्ष्य	संवितरित कुल ऋण	वार्षिक वित्तीय लक्ष्य	संवितरित कुल ऋण	वार्षिक वित्तीय लक्ष्य	संवितरित कुल ऋण
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	13787.55	8142.96	9213.21	10350.88	11868.40	11785.48
असम	4997.10	739.87	4534.20	1281.87	9111.36	2020.91
बिहार	21541.88	9462.21	22179.69	15569.61	18984.73	10311.46
गुजरात	11800.28	2693.27	8860.04	2099.39	6847.48	1683.33
हरियाणा	3035.32	2442.65	1964.80	1795.59	1788.87	1338.54
हिमाचल प्रदेश	1274.97	1809.72	1137.20	1149.47	1315.54	759.58
जम्मू-कश्मीर	26289.92	1210.09	2740.83	1189.41	1171.21	717.28
कर्नाटक	2251.65	2998.38	2616.24	3397.21	1567.16	2625.70
केरल	2207.79	3839.74	3885.65	3013.27	1697.23	2270.90
मध्य प्रदेश	11511.41	8892.74	12182.76	11214.98	9668.83	7627.27
महाराष्ट्र	16921.47	10822.72	14031.12	5953.06	8101.36	2704.52
मणिपुर	0.00	0	247.00	5.00	243.40	8.53
मेघालय	4.35	2.30	378.00	99.90	376.15	45.31
नागालैंड	57.30	18.27	419.30	220.38	671.83	68.39
उड़ीसा	12548.92	7605.66	6880.48	5896.18	5762.98	4412.18
पंजाब	782.29	2052.4	1247.52	1537.39	1256.95	1066.86
राजस्थान	7620.92	5981.45	7546.11	4407.43	6746.05	1646.85
सिक्किम	203.12	16.52	67.60	73.64	50.00	94.49
तमिलनाडु	5984.33	3628.49	6986.03	6322.88	2049.54	4080.76
त्रिपुरा	1865.29	971.00	803.00	928.0	848.43	278.53
उत्तर प्रदेश	25748.56	9006.65	17734.69	9546.14	21129.58	7616.28
पश्चिम बंगाल	12851.30	2499.84	6460.11	4228.62	3734.55	3684.33
अंडमान एवं निकोबार	0.00	9.00	0.00	19.90	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	312.00	0.00	498.00	121.02	519.86	66.25

1	2	3	4	5	6	7
चण्डीगढ़	0.00	20.67	3.00	16.00	62.90	3.22
दादर एवं नागर हवेली	31.00	12.49	25.50	5.01	0.00	3.04
गोवा	120.35	104.38	128.43	117.22	193.55	103.00
मिजोरम	0.00	0.00	137.00	43.00	109.71	9.46
पांडिचेरी	79.00	20.88	86.50	131.92	42.23	78.71
लक्षद्वीव	0.00	2.37	0.00	3.60	0.00	8.10
दमन एवं द्वीप	1.10	0.06	2.50	0.16	0.00	1.34
दिल्ली	0.00	0.30	0.00	0.55	0.75	0.00
झारखंड	8607.19	6551.78	9346.78	6171.46	4488.53	4478.68
चण्डीगढ़	4694.11	1114.97	4111.11	2863.10	3576.22	1514.43
उत्तरांचल	568.50	802.54	2001.59	1279.51	1326.14	634.55
अखिल भारत	197609.00	93385.70	148455.99	101052.75	125311.52	73748.26

विवरण-II

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 (दिसम्बर 2003 तक) के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एस.जे.एस.आर.वाई. के तहत लक्ष्य, संवितरित ऋण (सं. एवं राशि) का राज्यवार ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-2002			2002-2003			2003-2004 (दिसम्बर, 2003 तक)		
	लक्ष्य	कुल ऋण संवितरण		लक्ष्य	कुल ऋण संवितरण		लक्ष्य	कुल ऋण संवितरण	
		संख्या	राशि		संख्या	राशि		संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	1347	1151	394.49	928	981	326.87	1084	970	309.99
हिमाचल प्रदेश	1682	219	77.33	42	131	52.94	117	181	61.15
जम्मू-कश्मीर	9795	1073	481.43	3474	1186	500.99	3064	462	209.81
पंजाब	1061	2198	688.51	947	1494	454.25	584	385	129.99
राजस्थान	13588	5993	1278.19	10213	3916	832.9	9893	1822	400.91
चण्डीगढ़	101	31	12.73	55	33	11.68	78	21	6.69
दिल्ली	5474	116	23.91	2797	321	62.61	2380	109	27.31
असम	2800	1516	1046.14	2403	1441	705.31	2835	1683	759.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	33	9	3.36	57	14	5.24	54	23	8
मेघालय	476	264	213.36	576	499	200.77	554	396	172.31
नागालैंड	316	332	131.32	330	362	137.73	220	214	98.94
त्रिपुरा	1048	366	226.27	1183	708	337.54	728	478	201.39
अरुणाचल प्रदेश	35	0	0	80	57	23.35	100	71	30.88
मिजोरम	150	110	110.17	326	334	154.11	230	178	82.33
बिहार	2064	1730	532.7	3013	5199	1930.65	3958	1179	454.68
झारखंड	675	221	55.21	1099	430	116.23	1051	254	69.26
उड़ीसा	6759	3057	493.05	4512	2521	424.28	4857	1655	348.33
पश्चिमी बंगाल	2500	1668	235.7	5571	1644	825.59	6407	1740	298.59
अंडमान एवं निकोबार	31	5	0.87	8	4	0.74	0	0	0
सिक्किम	87	19	6.03	59	40	19.43	55	38	15.44
छत्तीसगढ़	2389	1426	345.88	3385	1823	437.27	2780	544	146.26
मध्य प्रदेश	15609	7531	2488.38	12226	5795	1947.91	11654	1667	613.92
उत्तरांचल	1162	340	122.67	1845	1487	484.01	1475	394	160.62
उत्तर प्रदेश	43581	15400	5471.54	16777	6844	2239.64	9948	3915	1434.63
गुजरात	15927	2954	824.05	12802	4886	1394.18	9390	2417	670.52
महाराष्ट्र	13819	5254	1431.34	12946	4936	1213.54	16840	4278	978.91
दमन एवं द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	113	202	81.18	170	124	41.99	139	39	8.51
दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1983	2368	587.48	1191	3350	657.45	3185	3313	1796.53
कर्नाटक	6050	4370	1089.58	8005	9115	2767.96	5775	2953	857.46
केरल	1896	3448	682.91	1156	3818	828.77	1340	2033	617.2
तमिलनाडु	1526	2142	377.92	2808	2816	456.82	3121	3403	589.91
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	115	97	11.76	74	61	5.84	153	117	12.34
विनिर्दिष्ट नहीं	0	0	0	0	0		0	0	0
अखिल भारत	154292	65610	19526.46	111050	66340	19098.59	104029	36932	11571.97

विवरण-III

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 (दिसम्बर 2003 तक) के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एस.एल.आर.एस. के तहत लक्ष्य एवं संवितरित ऋण (सं. एवं राशि) का राज्यवार ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-2002			2002-2003			2003-2004 (दिसम्बर, 2003 तक)		
	लक्ष्य	कुल ऋण संवितरण		लक्ष्य	कुल ऋण संवितरण		लक्ष्य	कुल ऋण संवितरण	
		संख्या	राशि		संख्या	राशि		संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	539	896	111.24	81	859	122.69	374	313	70.87
असम	574	182	31.48	80	47	6.69	102	32	4.02
बिहार		20	1.02	0	35	5.08	2501758	139	30.12
गुजरात	1665	1138	104.88	2412	1727	240.77	265	1436	87.83
हरियाणा	919	506	110.02	346	383	109.69	149	110	28.86
हिमाचल प्रदेश	197	193	44.97	72	157	57.73	113	41	12.66
जम्मू-कश्मीर	207	30	3.48	169	6	1.03	1351	4	1.27
कर्नाटक	1002	439	70.58	959	936	154.75	0	87	14.9
केरल	-	153	19.59	0	160	20.2	4039	3	0.34
मध्य प्रदेश	4433	2698	537.09	4241	1499	354.03	365	1021	250.17
महाराष्ट्र	880	782	100.57	460	707	97.57	0	349	58.49
मणिपुर	-	0	0.00	0	0	0.00	25	0	0.00
मेघालय	25	10	1.80	30	6	1.05	783	6	1.05
नागालैंड	-	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
उड़ीसा	1593	1074	171.82	1636	1049	164.88	2522	353	103.41
पंजाब	20	189	23.19	0	159	22.23	0	20	2.55
राजस्थान	996	449	71.67	1155	379	69.38	0	459	88.4
सिक्किम	-	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
तमिलनाडु	330	2502	394.21	85	2358	304.68	414	16	3.68
त्रिपुरा	-	0	0.00	0	0	0.00	45	0	0.00
उत्तर प्रदेश	6273	1399	219.47	1743	659	103.83	0	243	37.45
पश्चिम बंगाल	102	100	11.73	30	92	8.83	0	31	15.19
अंडमान एवं निकोबार	-	0	0.00	0	0	0.00	3	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश	–	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
चण्डीगढ़	3	5	0.70	3	6	1.21	0	1	0.50
दादर एवं नागर हवेली	–	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
गोवा	–	73	8.80	0	85	8.91	0	1	0.20
मिजोरम	–	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
पांडिचेरी	10	16	3.13	0	21	4.09	0	0	0.00
लक्षद्वीव	–	0	0.00	0	9	0.00	0	0	0.00
दमन एंव द्वीप	–	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
दिल्ली	963	258	42.84	32	91	13.42	70	14	2.26
छत्तीसगढ़	695	233	43.06	533	99	19.81	326	62	10.95
झारखंड	–	8	1.21	0	5	0.62	0	0	0.00
उत्तरांचल	492	115	13.37	794	221	49.32	284	51	10.34
अखिल भारत	21878	13468	2141.92	14657	11467	2016.75	13228	4792	835.51

विवरण-IV

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा पी.एम.आर.वाई. के तहत लक्ष्य, संवितरित ऋण (सं. एवं राशि) का राज्यवार ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-2002			2002-2003			2003-2004		
	लक्ष्य	कुल ऋण संवितरण		लक्ष्य	कुल ऋण संवितरण		लक्ष्य	कुल ऋण संवितरण	
		संख्या	राशि		संख्या	राशि		संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	8800	5796	3291.79	9200	3830	2265.04	9200	7002	4226.67
हिमाचल प्रदेश	3000	2342	1528.51	2700	1777	1358.94	2700	2212	1507.99
जम्मू-कश्मीर	1300	806	695.49	4000	247	214.44	4000	605	517.15
पंजाब	9000	7489	4699.19	9000	3623	2260.25	9000	7756	4768.52
राजस्थान	16400	10094	5484.52	16600	6200	3235.2	16600	12253	6537.24
चंडीगढ़	100	124	86.4	100	37	22.68	100	47	29.32
दिल्ली	4600	606	455.36	4600	456	328.55	4600	631	451.38
असम	6600	1682	1143.10	15000	756	488.33	15000	4062	3279.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	1100	102	57.63	1300	3	2.85	1300	527	377.42
मेघालय	2000	133	95.67	1350	43	30.63	300	256	197.54
नागालैंड	500	35	41.53	700	19	19.6	700	107	138.36
त्रिपुरा	3000	487	283.95	3000	951	660.62	3000	1066	663.44
अरुणाचल प्रदेश	400	275	193.62	700	7	4.01	550	294	273.07
मिजोरम	250	27	14.40	1000	2	2.65	1000	155	107.87
बिहार	18000	6023	4576.90	18100	3197	2487.82	18100	7939	6626.81
झारखंड	9000	2752	2148.46	9000	1736	1380.41	9000	4354	3543.38
उड़ीसा	12050	1750	1099.46	16300	649	373.4	12850	6685	4540.69
पश्चिम बंगाल	22000	1867	1240.33	21100	1291	896.33	21100	2528	1627.72
अंडमान एवं निकोबार	200	103	79.11	175	55	43.51	175	142	110.23
सिक्किम	50	37	18.37	50	8	4.5	50	26	13.17
छत्तीसगढ़	2500	1232	772.78	6000	721	407.87	6000	3006	1873.82
मध्य प्रदेश	28000	10740	6858.71	28600	5603	3545.1	28600	16232	10226.83
उत्तरांचल	5000	3163	1812.61	6000	2642	1769.24	6000	4664	2864.8
उत्तर प्रदेश	50200	32320	20996.17	50900	20559	13249.95	50900	37967	25543.89
गुजरात	16250	6645	3356.5	11950	4302	2082.63	11950	7161	3706.05
महाराष्ट्र	27900	15850	8880.89	27650	8195	4886.65	27650	17612	10413.77
दमन एवं द्वीप	50	8	5.88	50	0	0	50	2	1
गोवा	500	154	109.52	500	62	46.88	500	274	200.6
दादर एवं नागर हवेली	50	10	8.55	50	0	0	50	10	7
आंध्र प्रदेश	33000	8270	4879.67	35800	4946	2912.87	35800	13632	7934.15
कर्नाटक	18700	7823	4786.75	18400	4807	3109.62	18400	10027	6795.67
केरल	22000	8419	4295.53	19250	7914	3885.89	19250	9703	5191.29
तमिलनाडु	20000	8137	3650.18	20000	4931	2180.35	20000	9600	4393.76
लक्षद्वीप	50	23	13.85	50	15	9.11	50	10	7.07
पांडिचेरी	450	161	68.56	550	107	56.11	550	213	101.56
विनिर्दिष्ट नहीं	1356	37	20.93	1866	472	447.54	1694	828	826.1
अखिल भारत	343000	145522	87750.87	361591	90163		356769	189588	

विवरण-V

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा डी.आर.आई. योजना के तहत अग्रिमों का ब्यौरा

(खाते लाख में)

(राशि करोड़ में)

बैंक का नाम	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	बकाया शेष
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	1.19	34.87	0.50	22.65	0.44	17.41
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.82	6.66	0.49	3.88	0.32	2.50
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.30	13.46	0.28	17.17	0.21	12.82
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.13	5.57	0.09	3.60	0.04	3.16
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.06	3.81	0.05	2.89	0.04	2.86
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.10	4.62	0.07	3.37	0.07	3.49
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0.01	0.65	0.06	0.50	-	0.18
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.73	4.28	1.73	5.67	0.06	1.24
इलाहाबाद बैंक	0.61	31.41	1.02	31.70	0.96	28.58
आंध्रा बैंक	0.05	13.56	0.05	13.33	0.05	12.25
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.21	36.18	0.23	36.72	0.16	21.17
बैंक ऑफ इंडिया	0.12	42.86	0.23	50.00	0.38	50.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.01	2.55	0.01	2.10	0.01	1.49
केनरा बैंक	0.38	25.82	0.19	18.00	0.16	21.00
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.16	7.15	0.07	4.22	0.04	3.48
कार्पोरेशन बैंक	0.01	2.52	0.01	0.19	-	0.12
देना बैंक	0.00	4.03	0.00	3.03	-	8.58
इंडियन बैंक	0.08	5.48	0.06	3.83	0.04	2.61
इंडियन ओवरसीज बैंक	-	18.79	0.32	41.62	0.08	20.89
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	0.05	6.82	0.03	4.57	0.13	2.09
पंजाब नैशनल बैंक	0.39	40.83	0.30	42.70	0.31	46.40

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब एंड सिंध बैंक	0.01	11.81	0.01	9.04	0.01	6.55
सिंडिकेट बैंक	0.04	9.00	0.02	6.00	0.02	3.83
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.11	11.20	0.09	7.47	0.07	7.16
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.05	3.00	0.03	2.00	0.02	2.00
यूको बैंक	0.16	9.00	0.11	11.00	0.07	17.00
विजया बैंक	0.05	6.57	0.01	3.84	0.01	1.36
कुल	5.83	362.50	6.05	351.09	3.70	300.22

पेटेंट आवेदन

2442. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 1995 के बाद भरे गए उत्पाद पेटेंट आवेदनों के लिए 'मेल बॉक्स' सुरक्षा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो आज तक 'मेल बॉक्स' सुरक्षा के अंतर्गत भरे गये आवेदनों की संख्या कितनी है तथा उनमें से औषध वर्गीकरण के भीतर कितने आवेदन आते हैं; और

(ग) विदेशी नागरिकों, विदेशी निगमों, भारतीय नागरिकों तथा भारतीय निगमों द्वारा भरे गये आवेदनों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) दवा अथवा औषध के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट आवेदन पेटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यथा संशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 5 की उपधारा (2) के अनुसार भरे जा सकते हैं। धारा 24क, के उपबंधों के अनुसार, इन आवेदनों को 31 दिसंबर, 2004 तक लंबित रखना होता है। ऐसे आवेदन सार्वजनिक तौर पर 'मेल बॉक्स' के रूप में जाने जाते हैं।

(ख) पेटेंट कार्यालय में अब तक प्राप्त हुए 'मेल बॉक्स' आवेदनों की संख्या 5,637 है, जिनमें से 4,792 आवेदन भेषजीय क्षेत्र से संबंधित हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

(i)	विदेशी नागरिक	7
(ii)	विदेशी निगम	4,398
(iii)	भारतीय नागरिक	122
(iv)	भारतीय निगम	1,110

[हिन्दी]

झरिया से विस्थापन

2443. श्री चन्द्र शेखर दूबे:
श्री बाबू लाल मरांडी:

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित बनाकर लाखों लोगों के विस्थापन को रोकने का है; और

(ख) यदि हां, तो हाइड्रोलिक बालू स्टोइंग के माध्यम से बालू भरने के कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दसारी नारायण राव): (क) वर्तमान में झरिया शहर के नीचे कोई खान आग नहीं है और झरिया शहर को स्थानान्तरित करने की कोई योजना नहीं है। संयोग से, झरिया शहर कुजमा, लोदना, सिमलाबहल, ईना, राजापुर जैसी कुछ खान आगों से घिरा पड़ा है और कुछ इलाकों की, वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानान्तरण हेतु पहचान की गई है।

कोयला मंत्रालय, सी.एम.पी.डी.आई. आदि के वैज्ञानिक अध्ययनों की सिफारिशों और उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार बी.सी.सी.एल. की खानों में आग तथा धंसाव के प्रभाव के कारण उन खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को स्थानान्तरित करने की योजना है, जिनकी पहचान अनियंत्रणीय क्षेत्रों के रूप में की गई है तथा बी.सी.सी.एल. के विभिन्न चिन्हित तथा खतरे वाले क्षेत्रों से स्थानान्तरण किए जाने की आवश्यकता है।

मास्टर प्लान/कार्य योजना के अनुसार 20 वर्ष की अवधि में 65300 मकानों (बी.सी.सी.एल. के 36208 मकान, 15571 निजी मकान, अतिक्रमणकारियों के 12719 मकान तथा 802 अन्य मकान) के स्थानान्तरण की योजना है। यह स्थानान्तरण खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित है।

(ख) हाइड्रोलिक रेत भराई कोयला मंत्रालय के अंतर्गत पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण के अधीन निरूपित तथा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले ही की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप झरिया कोलफील्ड के कमान के भीतर कुछ स्थल स्थिर किए जा सकेंगे।

वस्त्र नीति का पुनरीक्षण

2444. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री अर्जुन सेठी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यमान वस्त्र नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वस्त्र हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप क्षमताओं का पर्याप्त ढंग से उपयोग नहीं हो पाया है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है; और

(छ) यदि हां, तो उससे उत्पन्न संकट के समाधान के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) जी नहीं। सरकार ने ऐसे सशक्त और गतिशील वस्त्र उद्योग का विकास करने के लिए नवंबर, 2000 से राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा की थी जो स्वीकार्य कीमतों पर अच्छी कोटि के कपड़े का उत्पादन करने के साथ-साथ विश्व बाजार में भारत के अंशदान को बढ़ाते हुए अन्य वस्त्र उत्पादक देशों के साथ विश्वास से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हो। वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद ही राष्ट्रीय वस्त्र नीति बनाई गई है और इसके परिणाम प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

(घ) और (ङ) दसवीं योजना के लिए वस्त्र और पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह ने 10वीं योजना के अंत में वस्त्र उद्योग के लिए 40.50 मिलियन रोजगार की संभाव्यता का अनुमान लगाया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ संगठित (मिल) वस्त्र क्षेत्र में सूती/मानव निर्मित फाईबर में 1 मिलियन, हथकरघा क्षेत्र में 12.40 मिलियन, हस्तशिल्प क्षेत्र में 6.77 मिलियन, रेशम-उत्पादन में 6.03 मिलियन पटसन, उद्योग में 0.50 मिलियन, सिले-सिलाए परिधान क्षेत्र में 6.80 मिलियन और विद्युतकरघा क्षेत्र में 4.25 मिलियन रोजगार की संभाव्यता शामिल है।

(च) और (छ) सरकार ने वस्त्र, हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों में कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है।

कोयले की रायल्टी में संशोधन

2445. श्री तथागत सत्पथी: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला की रायल्टी दरों को कब से संशोधित नहीं किया गया है;

(ख) इसके कारण संबंधित राज्य सरकारों की हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दसारी नारायण राव): (क) कोयले पर रायल्टी की दरों में अंतिम बार संशोधन 16.8.2002 को किया गया था।

(ख) और (ग) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अनुसार रायल्टी की दरों की समीक्षा करके उसमें किन्हीं 3 वर्षों की अवधि में एक बार से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है। ऐसी तदनुरूपी अधिकतम अवधि नहीं है जिसके पश्चात रायल्टी में संशोधन करके इसे अधिक किया जाना होता है। इस प्रकार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए गए घाटे का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

2446. श्री सुकदेव पासवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोई योजना देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने की है;

(ख) यदि हां, तो देश में तथा बिहार के सुपौल और अररिया जिलों में विशेष रूप से प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस योजना को बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में कब कार्यान्वित करने जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग 10वीं योजना में 675 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय

वाली औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के नाम से एक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उन चुनिन्दा मौजूदा कार्यशील औद्योगिक स्थापना स्थलों में सरकारी— निजी भागीदारी के जरिये गुणवत्ता अवसंरचना प्रदान करके घेरलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना है। जिनमें विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बनने की अधिक संभावना है, तथापि, यह योजना नये औद्योगिक समूहों (क्लस्टर्स) की स्थापना करने की व्यवस्था नहीं करती बल्कि इसका उद्देश्य मौजूदा औद्योगिक समूहों/स्थापना स्थलों में उच्च विकास संभाव्यता के साथ गुणवत्ता अवसंरचना सृजित करना है। भारत सरकार एक समूह/स्थापना-स्थल को परियोजना लागत की अधिकतम 75 प्रतिशत अथवा 50 करोड़ रुपये की राशि, जो भी कम हो, प्रदान करेगी।

उक्त योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

तथापि, विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत, बिहार राज्य के लिए पांच विकास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। इन पांच विकास केन्द्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य, विकास केन्द्र/जिले का नाम	अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित परियोजना लागत	केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि	राज्य तथा इसकी एजेन्सियों द्वारा जारी की गई राशि
1.	बेगुसराय (बेगुसराय)	03.05.95	2,475.00	500.00	697.75
2.	भागलपुर (भागलपुर)	30.09.96	3,755.00	50.00	392.77
3.	छपरा (छपरा)	30.09.96	3,511.00	50.00	90.00
4.	दरभंगा (दरभंगा)	13.02.98	4,113.00	50.00	—
5.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	03.09.96	3,311.00	50.00	90.00

कम कर प्रभारित करने संबंधी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

2447. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी 2003 की रिपोर्ट सं.-13 (प्रत्यक्ष कर) के पृष्ठ 74, 75 और 76 पर पैरा 3.6.1 में बताया है कि प्रमुख भेषज कंपनियों के मामले में कर निर्धारण में 302.23 करोड़ रुपए का कर कम प्रभारित करने संबंधी त्रुटियां पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कम कर निर्धारण के कारणों का पता लगाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्धारितियों से देय राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी आयकर अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) यह सही है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने एक पुनरवलोकन किया तथा टिप्पणियां की जो वर्ष 2003 (प्रत्यक्ष कर) की रिपोर्ट संख्या 13 में विहित हैं। लेखा परीक्षा टिप्पणियां करना और इनका निपटान करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) न्यून कर निर्धारणों के लिए कारणों की आयकर आयुक्त की वरीयता वाले अधिकारियों द्वारा जांच की गई है। जो प्रमुख कारण सामने आए थे, वे इस प्रकार हैं:-

(i) लेखा परीक्षा आपत्तियां धारा 143(1) (क) के तहत आदेशों पर उठायी गई थी, जहां कर निर्धारण अधिकारी को लेखा परीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों को नामंजूर करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी।

(ii) कुछेक मामलों में लेखा परीक्षा आपत्तियों को वास्तव में गलत पाया गया है और विभाग द्वारा इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

(ग) निर्धारितियों से देय राशि को वसूल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 7.8.1995 की हिदायत सं. 1928 के तहत देश में आयकर आयुक्तालयों में कार्यरत अपने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को निदेश जारी किए हैं कि वे राजस्व लेखा परीक्षा संबंधी सभी मामलों में संशोधनकारी उपायों सहित उपचारात्मक कार्रवाई अवश्य ही आरम्भ करें भले ही राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियों को विभाग द्वारा स्वीकार किया जाए या नहीं। मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को पहले ही से अनुदेश दिए गए हैं कि वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा उठायी गई लेखा परीक्षा आपत्तियों पर शीघ्र कार्रवाई करें तथा यह देखें कि आपत्तियों का शीघ्रता से निपटान किया जाए। इस पुनरीक्षा के संबंध में लोक सभा सचिवालय से एक अग्रिम प्रश्नावली प्राप्त हुई है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग द्वारा पहले ही से लोक सभा सचिवालय तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 30.10.2003 को एक विस्तृत उत्तर भेज दिया

गया है। प्रणाली पुनरीक्षा में यथा रूप में उठाई गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर आयकर आयुक्तों द्वारा समयबद्ध तरीके से निगरानी रखी जाती है तथा नियमानुसार संशोधनात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) जहां लेखा परीक्षा आपत्तियां सही पायी जाती हैं उन मामलों में आयकर आयुक्तों द्वारा संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगना आवश्यक होता है।

रुग्ण उद्योग

2448. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, रुग्ण तथा बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्या है;

(ख) ये इकाइयां कब से बंद पड़ी हैं/रुग्ण हैं;

(ग) इन इकाइयों के बंद हो जाने के कारण कितने कामगार बेरोजगार हुए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन इकाइयों में काम करने वाले कामगारों को क्या सहायता दी गई है तथा इन उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) देश में बद पड़े औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े श्रम ब्यूरो, शिमला, श्रम मंत्रालय द्वारा संकलित किए जाते हैं। श्रम ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2003 के दौरान देश में बंद पड़े एककों की कुल संख्या 111 (पी) और बेरोजगार हो गए श्रमिकों की संख्या 7885 (पी) है। वर्ष 2003 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में बंद हुए एककों की संख्या 2 है और बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या 78 है। वर्ष 2003 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पहला एकक 9.6.2003 को बंद हुआ था जिससे 54 व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे और दूसरा एकक 12.8.2003 को बंद हुआ था जिससे 24 व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे। वित्तीय कठिनाई और उत्पादों की मांग में कमी इन दो एककों के बंद होने के मुख्य कारण थे। वर्ष 2004 (जनवरी से मई) के दौरान देश में बंद हुए एककों की कुल संख्या 49 (पी) और बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या 6758 (पी) है। वर्ष 2004 के दौरान मार्च की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी एकक को बंद किए जाने की सूचना नहीं दी गयी है। (पी=अनंतिम)

(घ) भारत सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए कई उपाय किये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, स्वस्थ एककों के साथ रुग्ण एककों का समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना करना आदि शामिल हैं।

नाबार्ड द्वारा गोदामों का निर्माण

2449. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर गोदामों का निर्माण किया गया है;

(ख) उनके निर्माण पर नाबार्ड द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव अभी भी नाबार्ड के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नाबार्ड द्वारा उक्त प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में किसी भी गोदाम परियोजना को, न तो मंजूरी दी गई है न ही मंजूरी के लिए लंबित है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गनपाउडर फैक्ट्रियां

2450. श्री शिशुपाल एन. पाटले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश के विभिन्न राज्यों में गनपाउडर फैक्ट्रियां स्थापित करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त गनपाउडर फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के भंडारा जिले में तुमसर में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। फिलहाल, सरकार के पास कोई गनपाउडर फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वायुयानों को पट्टे पर देना

2451. श्री मनोज कुमार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने सभी ए-319 वायुयानों को ड्राई लीज पर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक पूरा किया जाएगा;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से लीजिंग के विरुद्ध कोई जमानत राशि की मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस के आई.ए.ई. अथवा सी.एफ.एम. इंजिन युक्त 11 ए-319 विमान के ड्राई लीज के लिए एक विश्व निविदा आमंत्रित की है। निविदा को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2004 है।

(ग) विमान की डिलीवरी नवम्बर, 2004 और आगे से होने की उम्मीद है।

(घ) इंडियन एयरलाइंस लीज कर्ता को उतना लीज किराया देगी जितने पर लीज कर्ता के साथ सहमति हुई थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठते।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कल रिक्वैस्ट की थी कि प्रधान मंत्री जी आकर शिबु सोरेन जी के बारे में बताएं। वह अभी तक प्रोक्लेम्ड ऑफैन्डर हैं और गवर्नमेंट ने खुद इस बात को कहा है। गवर्नमेंट ने इस बात को कहा है कि उनको मालूम नहीं कि वह कहां हैं। आपको मालूम नहीं, गवर्नमेंट को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। ऐसे व्यक्ति को हाउस में लाए बिना हाउस के कामकाज का कोई मतलब नहीं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे बोलने देंगे? एक मिनट मुझे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, मुझे आप से बोलने की अनुमति लेनी होगी। इसलिए मैं क्या कुछ बोल सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा पहले भी मेरे साथ हुआ है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आपका निर्देश हमारे सर माथे पर।...*(व्यवधान)* श्री शिबू सोरेन हाउस में नहीं हैं और आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है। जब तक शिबू सोरेन यहां न आएं, हाउस के चलने का कोई मतलब नहीं है। सभा की कार्यवाही इस तरह से नहीं चल सकती।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, आप जनते हैं। क्या मुझे हर माननीय सदस्य से सीखना होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे...(व्यवधान)

[हिन्दी]

हम आपसे फिर रिक्वैस्ट करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। आपने कल भी यही बात कही थीं।

...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): ये सभा की मर्यादा नहीं जानते...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

सभा की कार्यवाही में व्यवधान

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। मुझे सभा के नेता श्री प्रणब मुखर्जी से सूचना प्राप्त हुई है। वह एक वक्तव्य देना चाहते हैं और मैं उन्हें इसके लिए अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री प्रणब मुखर्जी का वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)*@

***रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** अध्यक्ष महोदय, सुबह जब आप हमारे देश के नागरिकों का इराक में बंधक बनाए जाने देश में सूखे और बाढ़ की गंभीर स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर अपनी टिप्पणी कर रहे थे, तब विपक्ष के कुछ सदस्य विशेषरूप से भा.ज.पा. सदस्यों ने चिल्लाना और आपके भाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर दिया...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

श्री प्रणब मुखर्जी: कुछ विपक्षी सदस्यों ने यहां तक कहा कि अध्यक्ष को प्रवचन देने की बजाय पहले विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर देना चाहिए। यह सभा में एक अभूतपूर्व घटना है कि अध्यक्ष महोदय को अपनी टिप्पणी पूरी तक नहीं करने दी गई।...*(व्यवधान)* इस प्रकार के व्यवहार की भर्त्सना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। अध्यक्ष सभा की गरिमा, विशेषाधिकार और अधिकारों के संरक्षक हैं, उन्हें अपने कार्य के निर्वहन करने से रोकना, अध्यक्ष-पीठ और सभा के प्रति बहुत बड़ा असम्मान है।...*(व्यवधान)*

हम विपक्षी सदस्यों के एक वर्ग के इस प्रकार के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। *

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पत्र अब सभा पटल पर रखे जायें। मद संख्या तीन, श्री शिवराज वि. पाटील।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर परिवहन तथा मोटर मेकेनिक संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 जो 10 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 181(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 388/2004]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): महोदय, मैं जूट विनिर्मित विकास परिषद अधिनियम, 1983 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 264(अ) जो 27 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों वाली जूट विनिर्मित विकास परिषद का 27 फरवरी, 2004 से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 389/2004]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री लालू प्रसाद, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूडिशियल एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 390/2004]

अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): महोदय, मैं अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 391/2004]

@कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*...*श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा की गई टिप्पणियों को वापस लिए जाने के पश्चात् श्री प्रणब मुखर्जी ने भी दिनांक 16.8.2004 को अपना वक्तव्य वापस लिया। तद्नुसार श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को वापस लिया माना गया।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, श्री प्रफुल पटेल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा समीक्षा सम्बंधी विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 392/2004]

(ख) (एक) एयरलाइंस अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयरलाइंस अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) एयरलाइंस अलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के लेखाओं पर भारत के महानियंत्रक की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा समीक्षा सम्बंधी विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 393/2004]

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं कंपनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 394/2004]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं।

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री दूसरा (संशोधन) नियम, 2003 जो 31 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 73(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उसका एक शुद्धिपत्र जो 11 मार्च, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 185(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 395/2004]

(3) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2004 जो 25 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 396/2004]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारी नारायण राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 397/2004]

(2) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 398/2004]

(3) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 399/2004]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 400/2004]

(3) (एक) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ऑथोरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ऑथोरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 401/2004]

(5) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी), सिल्चर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी), सिलचर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 402/2004]

(7) (एक) डा. बी.आर. अम्बेडकर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जालंधर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डा. बी.आर. अम्बेडकर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जालंधर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 403/2004]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट टेक्नोलॉजी (पूर्व रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज), वारंगल के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (पूर्व रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज), वारंगल के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 404/2004]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 405/2004]

(13) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन भाग एक से तीन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 406/2004]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्वत: विनियामक संगठन) विनियम, 2004 जो 19 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एस.ई.बी.आई./एल.ए.डी./डी.ओ.पी./3348/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लोकपाल) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 5 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एस.ई.बी.आई./एल.ए.डी./डी.ओ.पी./22090/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 23 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एस.ई.बी.आई./एल.ई./15/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने संबंधी प्रक्रिया और शास्ति लगाना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 30 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एस.ई.बी.आई./एल.ए.डी./डी.ओ.पी./24418/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 12 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एस.ई.बी.आई./एल.ए.डी./डी.ओ.पी./4/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्रतिभूति अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 9 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या सा.का.नि. 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) प्रतिभूति अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 जो 9 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 27 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एस.ई.बी.आई./एल.ए.डी./डी.ओ.पी./19023/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004 जो 19 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एस.ई.बी.आई./एल.ए.डी./डी.ओ.पी./3349/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार प्रतिभागियों का केन्द्रीय डाटा बेस) विनियम, 2003 जो 9 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एस.ई.बी.आई./एल.ई./03/23142 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हेतु मानदंड) विनियम, 2004 जो 26 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) का.आ. 467(अ) जो 6 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधियां) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 6 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 468(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 6 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 469(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 2 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 654(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 407/2004]

(2) निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों

और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :—

(एक) अधियमन ग्राम बैंक,

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 408/2004]

(दो) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक, पौड़ी (गढ़वाल)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 409/2004]

(तीन) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 410/2004]

(चार) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 411/2004]

(पांच) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 412/2004]

(छह) भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 413/2004]

(सात) बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 414/2004]

(आठ) छिंदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 415/2004]

(नौ) दमोह-पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 416/2004]

(दस) देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 417/2004]

(ग्यारह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 418/2004]

(बारह) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 419/2004]

(तेरह) गिरीडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरीडीह।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 420/2004]

(चौदह) हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 421/2004]

(पंद्रह) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 422/2004]

(सौलह) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 423/2004]

(सत्रह) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 424/2004]

(अठारह) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद, होशंगाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 425/2004]

(उन्नीस) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 426/2004]

(बीस) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 427/2004]

(इक्कीस) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नान्देड।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 428/2004]

(बाईस) मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 429/2004]

(तेईस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली-मारवाड़।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 430/2004]

(चौबीस) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 431/2004]

(पच्चीस) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 432/2004]

(छब्बीस) नालंदा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 433/2004]

(सत्ताईस) पंचमहल बडोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 434/2004]

(अट्ठाईस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 435/2004]

(उनतीस) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 436/2004]

(तीस) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 437/2004]

(इकतीस) शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिपुरी।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 438/2004]

(बत्तीस) सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 439/2004]

(तैंतीस) सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 440/2004]

(चौंतीस) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 441/2004]

(पैंतीस) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 442/2004]

(छत्तीस) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 443/2004]

(सैंतीस) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 444/2004]

(अड़तीस) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 445/2004]

(उनतालीस) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 446/2004]

(चालीस) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 447/2004]

(इकतालीस) बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 448/2004]

(बयालीस) रीवा सिद्धि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीवा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 449/2004]

(तेंतालीस) शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 450/2004]

(चवालीस) वलसाड डॉग्स ग्रामीण बैंक, वलसाड।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 451/2004]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केनरा बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 452/2004]

(दो) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 453/2004]

(तीन) आंध्रा बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 454/2004]

(चार) यूको बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 455/2004]

(पांच) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 456/2004]

(छह) देना बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 457/2004]

(4) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित संरक्षण अधिनियम, 2002 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित संरक्षण (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2004 जो 6 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 466(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 458/2004]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 22 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3941 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 459/2004]

(दो) विजया बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 15 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में 28.5.2004 की अधिसूचना संख्या पी.ई.आर./पी.ए. एंड पी.डी/पेंशन/150/2004 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 460/2004]

(तीन) पंजाब एंड सिंध बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 6 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एस.बी./जी.(ए)आर./2003 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 461/2004]

(चार) कारपोरेशन बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 31 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या संदर्भ संख्या आई.एस.डी.: 629:2003-04 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 462/2004]

(6) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकक की अर्हता) विनियम, 2004 जो 5 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आई.आर.डी.ए./रेग./2/2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 463/2004]

(7) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2004 जो 17 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.वाई.डी.-1569/2.5.09/2003-2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 464/2004]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 643(अ) जो 31 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 465/2004]

(दो) का.आ. 737(अ) जो 25 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 466/2004]

(तीन) का.आ. 738(अ) जो 25 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 467/2004]

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झ ग के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 741(अ) जो 28 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तरांचल राज्य में अधिसूचना में उल्लिखित तहसील या उप-तहसील के संबंध में औद्योगिक संपदाओं या औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में खसरा नम्बर अधिसूचित किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 468/2004]

(10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 742(अ) जो 29 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 469/2004]

(11) राजकोषीय उत्तरादायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत जनवरी—मार्च, 2004 की तिमाही के लिए अर्थव्यवस्था तथा बजट संबंधी त्रैमासिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 470/2004]

(12) संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 471/2004]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 472/2004]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 2004 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 जुलाई, 2004 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 जुलाई, 2004 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.05½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 16 अगस्त, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 16 अगस्त, 2004/25 श्रावण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री दरोगा प्रसाद सरोज श्री मनसुखभाई डी. वसावा	262
2.	श्री उदय सिंह श्री अधीर चौधरी	263
3.	श्री रामजीलाल सुमन	264
4.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	265
5.	श्री शैलेन्द्र कुमार प्रो. राया सिंह रावत	266
6.	श्री बीर सिंह महतो	267
7.	श्री पी.के. वासुदेव नायर	268
8.	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	269
9.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्रीमती निवेदिता माने	270
10.	श्री रायापति सांबासिवा राव	271
11.	श्री रामकृपाल यादव श्री काशीराम राणा	272
12.	डा. एम. जगन्नाथ श्री मोहन रावले	273
13.	श्री नीतीश कुमार श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	274
14.	श्री भर्तृहरि महताब	275
15.	श्री प्रदीप गांधी	276
16.	श्री दानवे राव साहेब पाटील श्री अनन्त नायक	277
17.	श्री अजय चक्रवर्ती	278
18.	श्री अर्जुन सेठी प्रो. एम. रामदास	279
19.	श्री सांताश्री चटर्जी श्री प्रबोध पाण्डा	280
20.	श्री कैलाश मेघवाल डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	281

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	2276
आदित्यनाथ, योगी	2312
अहीर, श्री हंसराज जी.	2297, 2353
आठवले, श्री रामदास बंडु	2307, 2380, 2410, 2428, 2438
'बचदा', श्री बच्ची सिंह रावत	2298, 2372
भडाना, श्री अवतार सिंह	2304
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2321, 2404, 2444
चक्रवर्ती, श्री अजय	2371, 2405
चालिहा, श्री किरिप	2299, 2354, 2395
चंद, श्री निहाल	2306
चंदेल, श्री सुरेश	2305, 2377
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2292, 2352, 2439
चारेनामै, श्री मणि	2295, 2351, 2394, 2418, 2433
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2309, 2417
चौधरी, श्री निखिल कुमार	2440
चौहान, श्री शिवराज सिंह	2308, 2404
चौधरी, श्री अधीर	2355, 2396, 2419, 2437
चौधरी, श्री विकास	2303
दास, श्री खगेन	2333, 2384
दासगुप्त, श्री गुरुदास	2310, 2322, 2386, 2415, 2431
देवरा, श्री मिलिन्द	2288, 2401
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचन्द्र	2372
दूबे, डा. चन्द्र शेखर	2336, 2443
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2315, 2322
गढ़वी, श्री पी.एस.	2332, 2381, 2383
गांधी, श्री प्रदीप	2348, 2393, 2399, 2425
गंगवार, श्री संतोष	2281, 2370, 2404
गाव श्री तापिर	2413
गेहलोत, श्री थावरचन्द	2306
हुसैन, श्री अनवर	2278

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
जगन्नाथ, डा. एम.	2345, 2397, 2424, 2435
जटिया, डा. सत्यनारायण	2287, 2372
झा, श्री रघुनाथ	2317, 2319, 2375, 2407
जोगी, श्री अजीत	2290, 2349
जोशी, श्री कैलाश	2296
कामत, श्री गुरुदास	2330, 2390, 2440
कनोडीया, श्री महेश	2322
करुणाकरन, श्री पी.	2320, 2376
खैरे, श्री चन्द्रकांत	2294
खां, श्री सुनील	2300, 2341
खारवेनथन, श्री एस.के.	2285
कोया, श्री पी.पी.	2302
कृष्ण, श्री विजय	2283, 2317, 2358, 2364, 2374
कुसमारिया, डा. रामकृष्ण	2363, 2402
महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2313
महाजन, श्री वाई.जी.	2321, 2399, 2424
महतो, श्री बीर सिंह	2357
महताब, श्री भर्तृहरि	2369
महतो, श्री टेक लाल	2331
माझी, श्री परसुराम	2284, 2325, 2344, 2385
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2364
माने, श्रीमती निवेदिता	2358
मरांडी, श्री बाबू लाल	2443
मेघवाल, श्री कैलाश	2317, 2373, 2406, 2426
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2300
मोदी, श्री सुशील कुमार	2291
मोहले, श्री पुन्नू लाल	2324, 2381
मनोज कुमार, श्री	2301, 2451
मूर्ति, श्री ए.के.	2279
मुर्मु, श्री रूपचन्द	2295, 2334, 2413, 2424
नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	2310
नायक, श्री अनन्त	2280, 2346, 2404, 2414

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	2442
नीतीश कुमार, श्री	2368, 2399
ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2282, 2356, 2411, 2429, 2448
पाण्डा, श्री प्रबोध	2379, 2409
परस्ते, श्री दलपत सिंह	2318
पासवान, श्री सुकदेव	2326, 2446
पटेल, श्री दिन्शा	2340
पाटील, श्री प्रकाश वी.	2341, 2389, 2404
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	2422
पाटले, श्री शिशुपाल एन.	2339, 2388, 2416, 2432, 2450
प्रसाद, श्री अनिरुद्ध उर्फ साधु यादव	2305
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2277, 2437
राजेन्द्रन, श्री पी.	2314, 2367
रामदास, प्रो. एम.	2391
राणा, श्री काशीराम	2366
राव, श्री रायापति सांबासिवा	2365, 2403, 2423, 2434
रावत, प्रो. रासा सिंह	2343, 2392, 2422
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2361, 2400, 2421
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	2328, 2382, 2413, 2439
रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2327, 2377
शैलेन्द्र कुमार, श्री	2387, 2388, 2417
शर्मा, डा. अरुण कुमार	2424
सत्पथी, श्री तथागत	2300, 2325, 2423, 2438, 2445
सेठी, श्री अर्जुन	2404, 2444
शिवाजीराव, अधलराव पाटील	2350, 2412, 2430, 2439, 2449
सिंह, श्री दुष्यंत	2348
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2358, 2364
सिंह, श्री मोहन	2311, 2362
सिंह, श्री प्रभुनाथ	2338, 2436, 2447
सिंह, श्री राजीव रंजन 'ललन'	2360, 2368
सिंह, डा. राम लखन	2316

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
सिंह, श्री सूरज	2323, 2378, 2427
सिंह, श्री उदय	2359, 2398, 2420
सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2342, 2404
सुब्बा, श्री मणी कुमार	2293
सुमन, श्री रामजीलाल	2360, 2399
ठक्कर, श्रीमती जया बहन बी.	2286
थामस, श्री पी.सी.	2337, 2369

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2399
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2335
वर्मा, श्रीमती ऊषा	2358
वीरेन्द्र कुमार, श्री	2329
विनोद कुमार, श्री बी.	2441
यादव, श्री राम कृपाल	2357, 2366
येरननायडू, श्री किन्जरपु	2289, 2347, 2408

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन		
कोयला और खान	:	
वाणिज्य और उद्योग	:	263, 264, 265, 267, 269, 270, 274, 276, 278
कम्पनी कार्य	:	
वित्त	:	266, 268, 272, 273, 275, 279
विधि और न्याय	:	281
वस्त्र	:	262, 271, 277, 280

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	2291, 2296, 2298, 2304, 2307, 2309, 2310, 2313, 2338, 2341, 2372, 2382, 2391, 2404, 2409, 2422, 2424, 2451.
कोयला और खान	:	2284, 2289, 2300, 2323, 2331, 2336, 2342, 2353, 2362, 2380, 2403, 2414, 2421, 2428, 2443, 2445.
वाणिज्य और उद्योग	:	2276, 2278, 2285, 2303, 2328, 2329, 2330, 2337, 2345, 2349, 2356, 2366, 2369, 2370, 2376, 2379, 2385, 2395, 2398, 2399, 2401, 2402, 2408, 2417, 2420, 2423, 2430, 2434, 2435, 2437, 2442, 2446, 2448, 2450.
कम्पनी कार्य	:	2406.
वित्त	:	2277, 2279, 2281, 2283, 2288, 2290, 2292, 2293, 2294, 2295, 2299, 2301, 2302, 2305, 2306, 2311, 2315, 2316, 2317, 2319, 2320, 2322, 2324, 2326, 2327, 2332, 2333, 2334, 2335, 2339, 2340, 2343, 2344, 2346, 2348, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355, 2357, 2358, 2359, 2361, 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2373, 2374, 2377, 2383, 2384, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2392, 2393, 2394, 2396, 2400, 2407, 2410, 2411, 2412, 2416, 2418, 2419, 2425, 2426, 2429, 2431, 2432, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, 2441, 2447, 2449,
विधि और न्याय	:	2286, 2308, 2314, 2318, 2375, 2405.
वस्त्र		2280, 2282, 2287, 2297, 2312, 2321, 2325, 2347, 2360, 2368, 2378, 2381, 2397, 2413, 2415, 2427, 2444

पी०एल०एस०-40/3/15/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।